रजिस्टर्ड सं० डी० (डी)-73

REGISTERED NO. D (D)-73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 33] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 16, 1975/ श्रावण 25, 1897

No. 33] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 16, 1975/SRAVANA 25, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं

Statutory orders and notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

भारत के नियंत्रक और महालेखापाल का कार्यालय

नई दिल्ली, 23 अप्रैल, 1975

का० आ० 2623.—भारत का नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधियोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 (1971 का 40) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, नीचे की सारणी के स्तम्भ (1) में वर्णित अधिकारी को, जो सरकार का राजपत्रित अधिकारी है, उस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये संपदा अधिकारी के रूप में नियुक्त करता है, जो उक्त सारणी के स्तम्भ (2) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट सरकारी स्थानों की बाबत अपनी अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर उक्त अधिनियम द्वारा संपदा अधिकारी को दी गई शक्तियों का प्रयोग या उसके अधीन अधिरोपित कर्तव्यों का पालन करेगा।

सारणी

1	2
ज्येष्ठ उप-महालेखापाल (संकर्म) कार्यालय महालेखापाल, मध्य प्रदेश, भोपाल शाखा, भोपाल।	महालेखापाल, मध्य प्रदेश, भोपाल शाखा, भोपाल के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन सरकारी स्थान और जो उसकी स्थानीय सीमाओं के भीतर स्थित है।

[संख्या सं० 887-एन० जी० ई० II/36-74]

ह०-अपठनीय

सहायक निदेशक (एम०)

OFFICE OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA

New Delhi, the 23rd April, 1975

S.O. 2623.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 (40 of 1971) the Comptroller & Auditor General of India hereby appoints the officer mentioned in column (1) of the table below, being Gazetted Officer of the Government, to be Estate Officer for the purposes of the said Act, who shall exercise the powers conferred and perform the duties imposed on the Estate Officer, by or under the said Act, within the local limits of their respective jurisdiction in respect of the Public Premises specified in the corresponding entry in column (2) of the said table.

TABLE

1	2
Senior Deputy Accountant General (Works) Office of the A.G. M.P. Bhopal Branch, Bhopal.	Public premises under the administralve Control of the A.G.M.P. Bhopal Branch, Bhopal and which are situated within the local limits of his Jurisdiction.

[No. 887-NGE II/36-74]

Sd/- (Illegible)

Assistant Director (N)

भारत का निर्वाचन आयोग

आदेश

नई दिल्ली, 18 जुलाई, 1975

का० आ० 2624.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मार्च, 1972 में हुये मध्य प्रदेश विधान सभा के लिये साधारण निर्वाचन के लिये 162—मन्डला निर्वाचन-क्षेत्र के चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री किशोरी लाल, नावेल्टी स्टोर्स, मण्डला, जिला मण्डला लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाये गये नियमों द्वारा अपेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यतः, उक्त उम्मीदवार द्वारा दिये गये अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात्, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिये कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री किशोरी लाल को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिये इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० म० प्र-वि० स० 162/72(81)]

ELECTION COMMISSION OF INDIA

ORDER

New Delhi, the 18th July, 1975

S.O. 2624.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Kishorilal, Novelty Stores, Mandla, District Mandla who was a contesting candidate for election to the Madhya Pradesh Legislative Assembly from 162-Mandla constituency held in March, 1972 has failed to lodge an account of his election expenses in the manner as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

And whereas, after considering the representation made by the said candidate, the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure ;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Kishorilal to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. MP-LA/162/72(81)]

आदेश

नई दिल्ली, 22 जुलाई, 1975

का० आ० 2625.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मार्च, 1972 में हुये मध्य प्रदेश विधान सभा के लिये साधारण निर्वाचन के लिये 6 डिमनी असैम्बली निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री भोज राज, गांव पिपरिया, डा० नायकपुरा परगना और जिला मुरैना लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाये गये नियमों द्वारा अपेक्षित समय के अन्दर तथा रीति से अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यतः, उक्त उम्मीदवार द्वारा दिये गये अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात्, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिये कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री भोज राज को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिये इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० म० प्र-वि० स०/6/72(82)]

ORDER

New Delhi, the 22nd July, 1975

S.O. 2625.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Bhoj Raj, Village Piparia, Post Naikpura, Pargana and District Morena who was a contesting candidate for election to the Madhya Pradesh Legislative Assembly from 6-Dimni Assembly constituency held in March, 1972 has failed to lodge an account of his election expenses within the time and in the manner as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

And whereas, after considering the representation made by the said candidate the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure ;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Bhoj Raj to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. MP-LA/6/72(82)]

आदेश

का० आ० 2626.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मार्च, 1972 में हुये मध्य प्रदेश विधान सभा के लिये साधारण निर्वाचन के लिये 6—डिमनी निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री बाबूलाल, गांव भकरोली, पो० गोठ, परगना अम्बाह जिला मुरैना लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाये गये नियमों द्वारा अपेक्षित समय के अन्दर तथा रीति से अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यतः, उक्त उम्मीदवार द्वारा दिये गये अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात्, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिये कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री बाबूलाल को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिये इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिये निरर्हित घोषित करता है।

[सं० म० प्र-वि० स०/6/72(83)]

ORDER

S.O. 2626.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Babu Lal, Village Bhakreoli, Post Goth, Pargana Ambah, District Morena who was a contesting candidate for election to the Madhya Pradesh Legislative Assembly from 6 Dimni constituency held in March, 1972 has failed to lodge an account of his election expenses within the time

and in the manner as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas, after considering the representation made by the said candidate the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Babu Lal to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. MP-LA/6/72(83)]

आदेश

का० आ० 2627.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मार्च, 1972 में हुए मध्य प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 22 करैरा निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री गज्जूराम, ग्राम व पोस्ट करैरा, जिला शिवपुरी लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक् सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री गज्जू राम को संसद् के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० म० प्र०-वि० स०/22/72(84)]

ORDER

S.O. 2627.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Gajju Ram, Village and Post Karera, District Shivpuri who was a contesting candidate for election to the Madhya Pradesh Legislative Assembly from 22-Karera constituency held in March, 1972 has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candidate even after the due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Gajju Ram to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. MP-LA/22/72(84)]

आदेश

का० आ० 2628.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है या कि मार्च, 1975 में हुये मध्य प्रदेश विधान सभा के लिये साधारण निर्वाचन के लिये 124—धमतरी निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उमीदवार श्री चम्पालाल रानूलाल, दुर्गा चौक, वार्ड नम्बर 16, राज नन्दगांव, जिला रायपुर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाये गये नियमों द्वारा अपेक्षित समय के अन्दर तथा रीति से अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिये कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिये कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री चम्पालाल रानूलाल को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिये इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिये निरर्हित घोषित करता है।

[सं० म० प्र०-वि० स०/124/72(85)]

ORDER

S.O. 2628.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Champalal Ranulal, Durga Chouk, Ward No. 16, Rajnandgaon Raipur District who was a contesting candidate for election to the Madhya Pradesh Legislative Assembly from 124-Dhamtari constituency held in March, 1972 has failed to lodge an account of his election expenses within the time and in the manner as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candidate even after the due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Champalal Ranulal to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. MP-LA/124/72(85)]

आदेश

नई दिल्ली, 23 जुलाई, 1975

का० आ० 2629.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मार्च, 1972 में हुए मध्य प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 88—सारंगढ़ निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री डमरूधर जोलहे, ग्राम हिरी डाकघर हरदी, तहसील सारंगढ़, जिला रायगढ़ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक् सूचना दिये जाने पर भी अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री डमरूधर जोलहे को संसद् के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० म० प्र०-वि० स०/88/72(86)]

ORDER

New Delhi, the 23rd July, 1975

S.O. 2629.—Whereas the Election Commision is satisfied that Shri Damrudhar Jolhe, Hirri, P.O. Hardi, Tehsil Sarangarh, District Raigarh who was a contesting candidate for election to the Madhya Pradesh Legislative Assembly from 88-Sarangarh constituency held in March, 1972 has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candidate even after the due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Eelection Commission hereby declares the said Shri Damrudhar Jolhe to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. MP-LA/88/72(86)]

आदेश

का० आ० 2630.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मार्च, 1972 में हुये बिहार विधान सभा के लिये साधारण निर्वाचन के लिये 166–बांका निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री राम लखन यादव, ग्राम मिरजापुर, पो० चंगेरी, जिला भागलपुर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाये गये नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिये कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिये कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री राम लखन यादव को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान-सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिये इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिये निरर्हित घोषित करता है।

[सं० बिहार वि–स० /166/72(206)]

ORDER

S.O. 2630.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Ram Lakhan Yadav, Village Mirjapur, P.O. Chengari, District Bhagalpur who was a contesting candidate for election to the Bihar Legislative Assembly from 166-Banka constituency held in March, 1972 has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candidate even after the due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Ram Lakhan Yadav to be disqualified for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. BR-LA/166/72(206)]

आदेश

नई दिल्ली, 24 जुलाई, 1975

का० आ० 2631.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मार्च, 1972 में हुये बिहार विधान सभा के लिये साधारण निर्वाचन के लिये 158–कहलगांव निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री अब्दुल रहमान, ग्राम राजपुर, पो० सबौर, जिला भागलपुर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाये गये नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिये कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिये कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10–क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री अब्दुल रहमान को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान-सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिये इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिये निरर्हित घोषित करता है।

[सं० बिहार–वि० स०/158/72(207]

ORDER

New Delhi, the 24th July, 1975

S.O. 2631.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Abdul Rehman, Village Rajpur, P. O. Sabour, District Bhagalpur who was a contesting candidate for election to the Bihar Legislative Assembly from 158-Colgong constituency held in March, 1972 has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candidate even after the due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Abdul Rehman to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. BR-LA/158/72(207)]

आदेश

नई दिल्ली, 25 जुलाई, 1975

का० आ० 2632.—यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 7–बद्री केदार निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री पूरण सिंह, ग्राम तुणजी, पो० रुद्रवा, जिला चमोली, उत्तर प्रदेश लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों को लेखा रीति से दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक् सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं

दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री पूरण सिंह को संसद् के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० उ० प्र०-वि०स०/7/74 (21)]

ORDER

New Delhi, the 25th July, 1975

S.O. 2632.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Puran Singh, Village Tunji, Post Raduwa, Distt. Chamoli a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 7-Badri Kedar assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses in the manner as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

2. And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure ;

3. Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Puran Singh to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/7/74(21)]

आदेश

का० आ० 2633.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 7-बद्री केदार निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री रामेश्वर प्रसाद, ग्राम पैंठाणी, पो० पैंठाणी, जिला चमोली, उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा रीति से दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री रामेश्वर प्रसाद को संसद् के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० उ० प्र०-वि० स०/7/74(22)]

ORDER

S.O. 2633.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Rameshwar Prasad, Village Paithani, Post Paithani, Distt. Chamoli, a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 7-Badri Kedar assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses in the manner as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

2. And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

3. Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Rameshwar Prasad to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/7/74(22)]

आदेश

नई दिल्ली, 30 जुलाई, 1975

का० आ० 2634.—यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 18-धामपुर निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री असगर अली ग्राम व पोस्ट मिलक, मुकीमपुर, जिला बिजनौर, उत्तर प्रदेश लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा रीति से दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री असगर अली को संसद् के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० उ० प्र० वि० स०/18/74(25)]

ORDER

New Delhi, the 30th July, 1975

S.O. 2634.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Asgar Ali, Village & P.O. Milak, Mukimpur, District Bijnor, U.P. a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 18-Dhampur assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses in the manner as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

2. And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

3. Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Asgar Ali to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/18/74(25)]

आदेश

का० आ० 2635.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए

18-धामपुर निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री खेमा, गांव अब्दीपुर हरबन्स, डा० हरगनपुर, जिला बिजनौर, उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व, अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्वारा उक्त श्री खेमा को संसद् के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० उ० प्र० वि० स०/18/74(26)]

ORDER

S.O. 2635.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Khema, Village Abdipur Harbans, P.O. Harganpur, District Bijnor, U.P. a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 18-Dhampur assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

2. And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason of justification for such failure;

3. Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Khema to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/18/74(26)]

आदेश

का० आ० 2636.—यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 18–धामपुर निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री रमेश, गांव जहांगीराबाद, मिलक, डा० पीपालसना, जिला बिजनौर, उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों को कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसारण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री रमेश को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० उ०प्र०–वि०स०/18/74(27)]

ORDER

S.O. 2636.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Ramesh, Village Jahangirabad Milak, P.O. Pipalsana, District Bijnor, U.P. a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 18-Dhampur assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

2. And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason of justification for such failure;

3. Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Ramesh to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No UP-LA/18/74(27)]

आदेश

का० आ० 2637.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिये साधारण निर्वाचन के लिये 15-हल्दवानी निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री जन प्रिय गौतम, मुहल्ला भवानी गंज, हल्दवानी, जिला नैनीताल, उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों को कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिय जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिये कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान है हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिये कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री जन प्रिय गौतम को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिये इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिये निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० उ० प्र० वि० स०/15/74(28)]

आदेश से,
ए० एन० सेन, सचिव,

ORDER

S.O. 2637.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Jan Priya Gautam, Mohalla Bhawari Ganj, Haldwani, District Nainital, Uttar Pradesh a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 15-Haldwani assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

2. And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

3. Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act the Election Commission hereby declares the said Shri Jan Priya Gautam to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament

or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/15/74(28)]

By order,

A. N. SEN, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 25 जुलाई, 1975

का० आ० 2638.—यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए राजस्थान विधान सभा के उप-निर्वाचन के लिए 131—सलूम्बर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री मेफूज अहमद, सुपुत्र अभीवुल्ला खान, ऊपरी मंजिल, धोलीबावड़ी के निकट, मस्जिद के सामने, उदयपुर, राजस्थान, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित समय के अन्दर तथा रीति से अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री मेफूज अहमद को संसद् के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० राज-वि० स०/131/74(उप)/(59)]

ORDER

New Delhi, the 25th July, 1975

S.O. 2638.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Mehphooj Ahmad S/o Shri Abhi Dula Khan, Upper Storey beside mosque near Ghalibadi, Udaipur Rajasthan, a contesting candidate for Bye-election to the Rajasthan Legislative Assembly held in 1974 from 131-Salumber constituency has failed to lodge an account of his election expenses in the manner and time required by law as required by the Representation of the People Act, 1951 and the Rules made thereunder;

2. And whereas the said candidate, even after due notices has not given any reason or explanation for the failure and as the Election Commission is further satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Mehphooj Ahmad to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. RJ-LA/131/74(Bye)(59)]

नई दिल्ली, 29 जुलाई, 1975

का० आ० 2639.—निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के नियम 23 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये और इस सम्बन्ध में जारी की गई अपनी सभी पहली अधिसूचनाओं को अतिष्ठित करते हुये निर्वाचन आयोग, मुख्य निर्वाचन आफिसर, हिमाचल प्रदेश को एतद्द्वारा ऐसे आफिसर के रूप में अभिहित करता है जिससे उक्त नियमों के नियम 20, नियम 21 या नियम 21क के अधीन हिमाचल प्रदेश राज्य के सभी सभा निर्वाचन क्षेत्रों के रजिस्ट्रीकरण आफिसरों के विनिश्चयों की अपील की जायेगी।

[सं० 429/हि० प्र०/1/75]

आदेश से,

वी० नागसुब्रमण्यन, सचिव

New Delhi, the 29th July, 1975

S.O. 2639.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 23 of the Registration of Electors Rules, 1960 and in supersession of all its earlier notifications in this regard, the Election Commission hereby designates the Chief Electoral Officer, Himachal Pradesh as the officer to whom appeals shall lie from the decisions under rule 20, rule 21 of 21A of the said Rules of the Registration Officer of each of the Assembly Constituencies in the State of Himachal Pradesh.

[No. 429/HP/1/75]

By Order,

V. NAGASUBRAMANIAN, Secy.

मंत्रिमण्डल सचिवालय

(कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग)

नई दिल्ली, 29 जुलाई, 1975

का० आ० 2640.—दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का 2) की धारा 24 की उपधारा (6) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा मामला सं० 1972 के 27 एस० में मुख्य प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट, बम्बई द्वारा दिये गये मैसर्स इन्टरनेशनल फ्रेन्चाईजेज प्राइवेट लिमिटेड तथा अन्यों के दोष-मुक्ति आदेश के विरुद्ध राज्य द्वारा (नियमित मामला सं० 26/ई० ओ० डब्ल्यू०66-बम्बई) अच्च न्यायालय में दायर की गई अपील के संचालन के लिये श्री विजय आर० देसाई को विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करती है।

[संख्या 225/10/75-ए० वी० डी०(1)]

बी० सी० वंजानी, अवर सचिव

CABINET SECRETARIAT

(Department of Personnel & Administrative Reforms)

New Delhi, the 29th July, 1975

S.O. 2640.—In exercise of the powers conferred by sub-section (6) of section 24 of the code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), the Central Government hereby appoints Shri Vijay R. Desai, as Special Public Prosecutor for conducting the appeal filed in the Bombay High Court by the State (Regular Case No. 26/EOW/66-Bombay), against the order of acquittal of M/s. International Franchises Private Limited and others by the Chief Presidency Magistrate, Bombay, in Case No. 27/S of 1972.

[No. 225/10/75-AVD. II]

B. C. VANJANI, Under Secy.

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(न्याय विभाग)

नई दिल्ली, 1 अगस्त, 1975

नोटिस

का० आ० 2641.—इसके द्वारा, लेख्य प्रमाणक नियम (नोटेरीज रूल्स), 1956 के नियम 6 के अनुसर, सक्षम प्राधिकारी द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्राधिकारी को श्री प्रेम नाथ सेठ, अधिवक्ता, भटिन्डा (पंजाब) ने उक्त नियमों के नियम 4 के अधीन, भटिन्डा में लेख्य प्रमाणक (नोटेरी) का काम करने की नियुक्ति के लिये आवेदन-पत्र भेजा है ।

उक्त व्यक्ति की लेख्य प्रमाणक के रूप में नियुक्ति के बारे में यदि कोई आपत्तियां हों तो वे इस नोटिस के प्रकाशित होने के चौदह दिन के अन्दर नीचे हस्ताक्षर करने वाले को लिख कर भेज दिये जायें ।

[संख्या 22/33/73-न्याय]

के० त्यागराजन, सक्षम अधिकारी

MINISTRY OF LAW, JUSTICE & COMPANY AFFAIRS

(Department of Justice)

NOTICE

New Delhi, the 1st August, 1975

S.O. 2641.—Notice is hereby given by the Competent Authority in pursuance of rule 6 of the Notaries Rules, 1956, that application has been made to the said Authority, under rule 4 of the said Rules, by Shri Prem Nath Seth, Advocate, Bhatinda (Punjab) for appointment as a Notary to practise in Bhatinda.

2. Any objection to the appointment of the said person as a Notary may be submitted in writing to the undersigned within fourteen days of the publication of this Notice.

[No. F. 22/33/73-Jus.]

K. THYAGARAJAN, Competent Authority.

वित्त मंत्रालय

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

आदेश

नई दिल्ली, 19 जून, 1975

का आ० 2642.—आयकर (प्रमाणपत्र कार्यवाहियां) नियम, 1962 के नियम 6 के अनुसरण में केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड निदेश देता है कि श्री बी० के० निगम, जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 2 के खण्ड (44) के उपखण्ड (III) के अधीन कर वसूली अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया गया है, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश राज्य में निम्नलिखित जिलों की बाबत अधिकारियों का प्रयोग करेंगे :—

1. लखनऊ
2. रायबरेली
3. बाराबंकी
4. गोंडा
5. बहराइच
6. हरदोई
7. इलाहाबाद
8. जौनपुर
9. फैजाबाद
10. बस्ती
11. गोरखपुर
12. देवरिया
13. सुल्तानपुर
14. प्रतापगढ़
15. वाराणसी
16. मिर्जापुर
17. आजमगढ़
18. बलिया
19. गाजीपुर
20. नैनी ताल
21. बदायूं
22. शाहजहांपुर
23. बरेली
24. पीलीभीत
25. सीतापुर
26. लखीमपुर-खीरी
27. पिथौरागढ़
28. मुरादाबाद
29. बिजनौर (नजीबाबाद)
30. बुलन्दशहर
31. रामपुर
32. अलमोड़ा
33. गढ़वाल
34. चमोली

2. बोर्ड के आदेश संख्या 388 (फा० सं० 404/167/73-आई टी सी० सी०) तारीख 20 जून, 1973 के अधीन श्री जैपाल सिंह को प्रदत्त अधिकारिता उस तारीख से वापस ली जाती है जिस तारीख को श्री बी० के० निगम, कर वसूली अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण करते हैं ।

यह आदेश उस तारीख से प्रवृत्त होगा जिस तारीख को श्री बी० के निगम कर वसूली अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण करते हैं ।

[संख्या 941/फा० संख्या 404/83/75-आई०टी०सी०सी०]

Ministry of Finance

(Central Board of Direct Taxes)

ORDER

New Delhi, the 19th June, 1975

S.O. 2642.—In pursuance of Rule 6 of the Income tax (Certificate Proceedings) Rules, 1962, the Central Board of Direct Taxes hereby directs that shri B.K. Nigam authorised by the Central Government to exercise the powers of a Tax Reccovery officer under sub-clase (iii) clause (44) of Section 2 of the Income tax Act, 1951 (43 of 1951), Shall concurrently exercise jurisdiction in respect of the following districts in the state of Uttar Pradesh:—

1. Lucknow
2. Rae Bareilly
3. Barabanki
4. Monda
5. Bahraich
6. Hardoi
7. Allahabad
8. Jaunpur
9. Faizabad
10. Basti
11. Gorakhpur
12. Deoria
13. Sultanpur

14. Pratapgarh
15. Varanasi
16. Mirzapur
17. Azamgarh
18. Ballia
19. Gazipur
20. Nainital
21. Badaun
22. Shahjahanpur
23. Bareilly
24. Pillibhit
25. Sitapur
26. Lakhimpur-Kheri
27. Pithoragarh
28. Moradabad
29. Bijnor (Najibabad)
30. Bulandshahr
31. Rampur
32. Almora
33. Garhwal
34. Chamoli

2. The jurisdiction conferred upon Shri Jaipal Singh under Board's Order No. 388 (F. No. 404/167/73-ITCC) the 20th June, 1973 is hereby withdrawn with effect from the date Shri B.K. Nigam takes over as a Tax Recovery Officer :

3. This Order shall come into force with effect from the date Shri B.K. Nigam takes over as a Tax Recovery Officer.

[No. 941/F. No. 404/83/75-ITCC]

आवेश

का० आ० 2643.—आयकर (प्रमाणपत्र कार्यवाहियां) नियम, 1962 के नियम 6 के अनुसरण में केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड निवेश देता है कि सवश्री जे० आर० चानन, जे० एन० मेहरा, बी० डी० तनेजा और आई० डी० नेभनाणी, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 2 के खण्ड (44) के उपखण्ड (III) के अधीन कर वसूली अधिकारियों की शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत हैं उसके साथ-साथ राजस्थान राज्य के सभी जिलों की बाबत अधिकारिता का प्रयोग भी करेंगे।

2. बोर्ड के आदेश संख्या 249 (फा० संख्या 404/235/72-आई टी सी सी) तारीख 28 दिसम्बर, 1972; 337 (फा० संख्या. 404/128/73-आई टी सी सी) तारीख 24 अप्रैल, 1973; 479 (फा० संख्या 404/128/73-आई टी सी सी) तारीख 29 सितम्बर, 1973 और संख्या 626 (फा० सं० 404/133/74-आई टी सी सी) तारीख 23 मई, 1974 के अधीन क्रमशः सर्वश्री वी० के० बत्रा, के०के० कालिया, एम० एस० रन और एम० पी० राणा को प्रवत्त अधिकारिता उस तारीख से प्रत्याहृत की जाती है जिस तारीख को पैरा 1 में के अधिकारी कर वसूली अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण करते हैं।

3. यह आदेश उस तारीख से प्रवृत्त होगा जिस तारीख को पैरा 1 में के अधिकारी कर वसूली अधिकारियों के रूप में कार्यभार ग्रहण करते हैं।

[सं० 943/फा० संख्या 404/103/75-आई टी.सी सी]

ORDER

S.O. 2643.—In pursuance of Rule 6 of the Income-tax (Certificate Proceedings) Rules, 1962, the Central Board of Direct Taxes hereby directs that S/Shri J. R. Chanana, J. N. Mehra, B. D. Taneja and I. D. Nebhnani authorised by the Central Government to exercise the powers of Tax Recovery Officers under sub-clause (iii) of clause (44) of Section 2 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), shall concurrently exercise jurisdiction in respect of all the Districts in the State of Rajasthan.

2. The jurisdiction conferred upon S/Shri V. K. Batra, K. K. Kalia, M. S. Ran and M. P. Rana under Board's Orders Nos. 249 (F. No. 404/235/72-ITCC) dated the 28th December, 1972, 337 (F No. 404/128/73-ITCC) dated the 24th April, 1973, 479 (F. No. 404/128/73-ITCC) dated the 29th September, 1973 and No. 626 (F. No. 404/133/74-ITCC) dated 23rd May, 1974 respectively, shall be withdrawn with effect from the date the officers in paragraph I take over as Tax Recovery Officers.

3. This Order shall come into force with effect from the date the officers in paragraph I take over as Tax Recovery Officers.

[No. 943/F.No. 404/103/75-ITCC]

आवेश

नई दिल्ली, 4 जुलाई, 1975

का० आ० 2644.—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर (प्रमाणपत्र कार्यवाहियां) नियम, 1962 के नियम 6 के अनुसरण में निदेश देता है कि सर्वश्री टी० बी० अबिचन्दानी, एच० एस० राव, बी० एन० सन्तानी, एन० के० बाम, टी० एम० खट्टोर, आर० एन० भड़गांवकर, अमी राजगोपालन, के० एच० भुराने, एस० के० अछावले और पी० नारायणन, जिन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 2 के खण्ड (44) के उपखण्ड (III) के अधीन कर वसूली अधिकारियों की शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया गया है, साथ ही साथ महाराष्ट्र राज्य के मुम्बई नगर तथा मुम्बई उपनगर जिलों के सभी क्षेत्रों की बाबत अधिकारिता का प्रयोग करेंगे।

2. बोर्ड के आदेश सं० 186 (फा० सं० 404/1 70 आई टी सी सी), तारीख 23-11-70 के अन्तर्गत श्री एम० एस० मन्दापुरकर को; आदेश संख्या 82 (फा० सं० 404/51/71-आई टी सी सी), तारीख 15-3-71 के अन्तर्गत सर्वश्री के० वी० खबनिस, के० ए० पन्सारे, पी० बाबाप्रसाद को; आदेश संख्या 686 (फा० सं० 404/189/74-आईटी सी सी), तारीख 20-7-74 के अन्तर्गत सर्वश्री ओ० सोमसेखरन, ए० एस० आहूजा को; आदेश सं० 465 (फा० सं० 404/15/71-आई टी सी सी) तारीख 17-9-73 के अन्तर्गत सर्वश्री एम० पी० गोपालकृष्णन, एम० एस० नवरेंकर को; आदेश स० 143 (फा० सं० 404/51/71-आई टी सी सी), तारीख 7-5-71 के अन्तर्गत श्री जी० टी० हेमनाणी को तथा आदेश सं० 119 (फा० सं० 404/232/72-आई टी सी सी) तारीख 20-6-72 के अन्तर्गत श्री जे० बी० पैथंकर को प्रदत्त अधिकारिता उस तारीख से वापस ली जाती है जिस तारीख को पैरा 1 में के अधिकारी कर वसूली अधिकारियों के रूप में कार्यभार सम्भालते हैं।

3. यह आदेश उस तारीख को प्रवृत्त होगा जिस तारीख को पैरा 1 में के अधिकारी कर वसूली अधिकारी के रूप में कार्यभार सम्भालते हैं।

[सं० 951/फा० सं० 404,116/75-आई टी सी सी]

ORDER

New Delhi, the 4th July, 1975

S.O. 2644.—In pursuance of Rule 6 of the Income-tax (Certificate Proceedings) Rules, 1962, the Central Board of Direct Taxes hereby directs that S/Shri T. B. Abiekandani,

H. S. Rao, B. N. Santani, N. K. Bam, T. M. Khadtare, R. N. Bhadgaonkar, Mani Rajagopalan, K. H. Bhuraney, L. K. Athavle and P. Narayanan authorised by the Central Goverment to exercise the powers of Tax Recovery Officers under sub-clause (iii) of clause (44) of Section 2 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), shall concurrently exercise jurisdiction in respect of all the areas in Bombay City and in the Bombay suburban Districts in the State of Maharashtra.

2. The jurisdiction conferred upon S/Shri M. S. Mandapurkar under Board's Order No. 186 (F. No. 404/1/70-ITCC) dated 23-11-70; K. V. Sabnis, K. A. Pansare, P. Babaprasad under Order No. 82 (F. No. 404/51/71-ITCC) dated 15-3-71; O. Somasekharan, A. S. Ahuja under Order No. 686 (F. No. 404/159/74-ITCC) dated 20-7-74; M. P. Gopalkrishnan, M. S. Nevrekar under Order No. 465 (F. No. 404/15/71-ITCC) dated 10-9-73; G. T. Hemnani under Order No. 143 (F. No. 404/51/71-ITCC) dated 7-5-71 and J. V. Paithanker under Order No. 119 (F. No. 404/232/72-ITCC) dated 20-6-72 are hereby withdrawn w.e.f. the date the officers in paragraph 1 take over as Tax Recovery Officers.

3. This order shall come into force w.e.f. the date the officers in paragraph 1 take over as Tax Recovery Officers.

[No. 951/F. No. 404/116/75-ITCC]

(राजस्व और बीमा विभाग)

नई दिल्ली, 19 जून, 1975

आय कर

का० आ० 2645.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 2 के खंड (44) के उपखंड (iii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, केन्द्रीय सरकार श्री बी० के० निगम को, जो केन्द्रीय सरकार के राजपत्रित अधिकारी हैं, उक्त अधिनियम के अधीन कर वसूली अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करती है।

2. अधिसूचना संख्या 387 (फा० संख्या 404/167/73-आई० टी० सी० सी०) तारीख 20 जून, 1973 के अधीन की गई श्री जैपाल सिंह की नियुक्ति उस तारीख से रद्द कर दी जायेगी, जिस दिन से श्री बी० के० निगम कर वसूली अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण करते हैं।

3. यह अधिसूचना उस तारीख से प्रवृत्त होगी जिस तारीख को श्री बी० के० निगम कर वसूली अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण करेंगे।

[संख्या 940/फा० सं० 404/83/75-आई०टी०सी०सी०]

(Department of Revenue and Insurance)

New Delhi, the 19th June, 1975

INCOME TAX

S.O. 2645.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (iii) of clause (44) of section 2 of the Income-tax act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby authorises Shri B. K. Nigam who is a Gazetted Officer of the Central Government to exercise the powers of a Tax Recovery Officer under the said Act.

2. The appointment of Shri Jaipal Singh made under Notification No. 387 (F. No. 404/167/73-ITCC) dated the 20th June, 1973 shall be cancelled with effect from the date Shri B. K. Nigam takes over charge as a Tax Recovery Officer.

3. This Notification shall come into force with effect from the date Shri B. K. Nigam takes over as a Tax Recovery Officer.

[No. 940/F. No. 404/83/75-ITCC]

का० आ० 2646.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 2 के खण्ड (44) के उप-खण्ड (iii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार सर्वश्री जे० आर० चानना, जे० एन० मेहरा, बी०डी० तनेजा और आई० डी नेभनाणी को जो केन्द्रीय सरकार के राजपत्रित अधिकारी हैं, उक्त अधिनियम के अधीन कर वसूली अधिकारियों की शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करती है।

2. अधिसूचना सं० 248 (फा० सं० 404/235/72-आई टी सी सी) तारीख 28 दिसम्बर, 1972, संख्या 336 (फा० सं० 404/128/73-आई टी सी सी) तारीख 24 अप्रैल, 1973; सं 478 (फा० सं० 404/128/73-आई टी सी सी) तारीख 29 सितम्बर, 1973 और सं० 625 (फा सं० 404/133/74-आई टी सी सी) तारीख 23 मई, 1974, जिनके अधीन क्रमशः सर्वश्री वी०के० बत्रा, के०के० कालिया, एम०एस० रन और एम० पी० राणा, कर वसूली अधिकारियों के कृत्य करने के लिये प्राधिकृत किये गए थे, उस तारीख से रद्द हो जाएंगी, जिस तारीख को पैरा 1 में के अधिकारी, कर-वसूली अधिकारियों के रूप में कार्यभार ग्रहण करते हैं।

3. यह अधिसूचना उस तारीख से प्रवृत्त होगी जिस तारीख को पैरा 1 में वर्णित अधिकारी, कर वसूली अधिकारियों के रूप में कार्यभार ग्रहण करते हैं।

[सं० 942/फा० संख्या 404/103/75-आई टी सी सी]

S.O. 2646.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (iii) of clause (44) of Section 2 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby authorises S/Shri J. R. Chanana, J. N. Mehra, B. D. Taneja and I. D. Nebhnani who are Gatted Officers of the Central Government, to exercise the powers of the Tax Recovery Officers under the said Act.

2. Notification No. 248 (F. No. 404/235/72-ITCC) dated the 28th December, 1972, No. 336 (F. No. 404/128/73-ITCC) dated the 24th April, 1973; No. 478 (F. No. 404/128/73-ITCC) dated the 29th September, 1973 and No.625 (F.No. 404/133/74-ITCC) dated the 23rd May, 1974 respectively under which S/Shri V. K. Batra, K. K. Kalia, M. S. Ran and M. P. Rana were authorised to perform the functions of Tax Recovery Officers shall stand cancelled with effect from the dated of the officers in paragraph I, take over charges as Tax Recovery Officers.

3. This Notification shall come into force with effect from the date the officers mentioned in paragraph I take over as Tax Recovery Officers.

[No. 943/F. No. 404/103/75-ITCC]

नई दिल्ली, 4 जुलाई, 1975

का० आ० 2647.—केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 2 के खण्ड (44) के उप खण्ड (iii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सर्वश्री टी०बी० अबिचन्दानी, एच० एस० राव, बी०एन० सन्तानी, एन०के० बाम, टी०एम० खड़टारे, आर० एन० भड़गांवकर, मनी राजगोपालन, के एच० भुराने, एल० के० अष्ठावले और पी० नारायण को, जो केन्द्रीय सरकार के राजपत्रित अधिकारी हैं, उक्त अधिनियम के अधीन कर वसूली अधिकारियों की शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करती है।

2. नीचे वर्णित अधिसूचनाएं, जिनके आधार पर प्रत्येक अधिसूचना के सामने उल्लिखित राजपत्रित अधिकारी, कर वसूली अधिकारी के कृत्यों

का पालन करता था, जैसे ही पैरा 1 में वर्णित राजपत्रित अधिकारी कर वसूली अधिकारी के रूप में कार्यभार सम्भालते हैं, रद्द हो जाएंगी।

अधिसूचना सं० और तारीख	अधिकारियों के नाम
187 (फा०सं० 404/1/70-आई टी सी सी), तारीख 23-11-70	श्री एम०एस० ममदापुरकर
81 (फा० सं० 404/51/71-आई टी सी सी) तारीख 15-2-71	सर्वश्री के० वी० साब्निस, के० ए० पन्सारे, पी० बाबाप्रसाद।
685 (फा० सं० 404/159/74-आई टी सी सी) तारीख 15-3-71	सर्वश्री ओ० सोम सेखरन, ए०एस० आहूजा।
464 (फा सं० 404/15/73-आई टी सी सी) तारीख 10-9-73	सर्वश्री एम० पी० गोपालकृष्णन, एम० एस० नेवरेकर।
142 (फा०सं० 404/51/71-आई टी सी सी) तारीख 7-5-71	श्री जी० टी० हेमनाणी
118 (फा०सं० 404/232/72-आई टी सी सी) तारीख 20-6-72	श्री० जे० वी० पैथकर

3. यह अधिसूचना उस तारीख को प्रवृत्त होगी जिस तारीख को पैरा में के अधिकारी कर वसूली अधिकारियों के रूप में कार्यभार सम्भालते हैं

[सं० 950/(फा० सं० 404/116/75-आई० टी० सी० सी०)]

टी० आर०० अग्रवाल उप सचिव

New Delhi, the 4th July, 1975

S.O. 2647. In exercise of the powers conferred by sub-clause (iii) of clause (44) of Section 2 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby authorises, S/Shri T.B Abichandani, H.S. Rao B.N. Santani, N.K. Bam, T.M. Khadtare, R.N. Bhadgaonkar, Mani Rajagopalan, K.H. Bhuraney, L.K. Atlavle and P. Narayanan who are Gazetted Officers of the Central Government to exercise the powers of Tax Recovery Officers under the said Act.

2. The undermentioned Notifications by Virtue of which the Gazetted Officers mentioned against each Notification, performed the functions of Tax Recovery Officers, shall stand cancelled as and when the Gazetted Officers mentioned in para 1 take over charge as Tax Recovery Officers.

Notification No. and date	Names of Officers
187 (F.No. 404/1/70-ITCC) dated 23-11-70	Shri M.S. Mamdapurkar
81 (F. No. 404/51/71-ITCC) Dated 15-3-71	S/Shri K.V. Sabins K.A. Pansare, P. Babaprasad.
685 (F.No. 404/159/74-ITCC) dated 15-3-71	S/Shri O. Somasekharam, A.S. Ahuja.
464 (F.No. 404/15/73-ITCC) dated 10-9-73	S/Shri M.P. Gopalkrishnan M.S. Nevrekar.
142 (F.No. 404/51/71-ITCC) dated 7-5-71	Shri G.T. Hemnani
118 (F.oN. 404/232/72-ITCC) dated 20-6-72	Shri J.V. Paithanker

3. This Notification shall come into force with effect from the date the Officers in para 1 take over as Tax Recovery Officers.

[No. 950 (F.No. 404/116/75-ITCC]

T. R. Aggarwal, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 19 जुलाई, 1975

का० आ० 2648.—सर्वसाधारण की जानकारी के लिये यह अधिसूचित किया जाता है कि निम्न वर्णित संस्था को भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद्, विहित प्राधिकारी, द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (i) के खण्ड (iii) के प्रयोजनों के लिये अनुमोदित किया गया है ।

संस्था

वि इण्डियन इकोनोमीट्रिक सोसाईटी, हैदराबाद ।

यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 1975 से प्रभावी होती है ।

[सं० 973/फा० सं० 203/72/75-आई टी० ए० II]

टी० पी० झुनझुनवाला, उप-सचिव

New Delhi, the 19th July, 1975

S.O. 2648.—It is hereby notified for general information that the institution mentioned below has been approved by Indian Council of Social Science Research, the prescribed authority for the purposes of clause (iii) of sub-section (1) of Section 35 of the Income-tax Act, 1961.

INSTITUTION

THE INDIAN ECONOMETRIC SOCIETY, HYDERABAD.
The notification takes effect from 1st April, 1975.

[No. 973 F. No. 203/72/75-ITA.II]

T. P. JHUNJHUNWALA, Dy. Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 6 अगस्त, 1975

स्टाम्प

का०आ० 2649.—केन्द्रीय सरकार, भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैसर्स कैम्फर एलाइड, प्रॉडक्टस लिमिटेड, मुम्बई को, उनके द्वारा जारी किए गए बंधपत्रों पर, जोकि एक-एक हजार रुपये के अंकित मूल्य वाले पांच हजार संपरिवर्तनीय प्रमाणपत्रों के डिबेंचरों के रूप में हैं, स्टाम्प शुल्क भद्दे प्रभार्य सैंतीस हजार पांच सौ रुपए का समेकित स्टाम्प शुल्क का संदाय करने की अनुज्ञा देती है ।

[संख्या 32/75-स्टाम्प/फा०सं० 471/55 सीमाशुल्क-7]

ORDER

New Delhi, the 6th August, 1975

STAMPS

S.O. 2649.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899), the Central Government hereby permits M/s. Camphor Allied Products Limited, Bombay, to pay consolidated stamp duty of thirty-seven thousand and five hundred rupees only, chargeable on account of the stamp duty on bonds in the form of debentures of the face value of five

thousand Convertible Bonds Certificates of rupees one thousand each issued by the said M/s. Camphor Allied Products Limited, Bombay.

[No. 32/75-Stamps/F. No. 471/55/75-Cus. VII]

आदेश

का०आ० 2650.—भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, महाराष्ट्र राज्य वित्त निगम को, उक्त निगम द्वारा जारी किए गए पचपन लाख रुपये अंकित मूल्य के डिबेंचरों के रूप में बन्धपत्रों पर स्टाम्प शुल्क मदधे प्रभार्य इकतालिस हजार, दो सौ पचास रुपये समेकित स्टाम्प शुल्क का संदाय करने की अनुज्ञा देती है ।

[संख्या 33/75-स्टाम्प/फा० संख्या 471/58/75-सीमाशुल्क VII]

डी० के० आचार्य, अवर सचिव

ORDER

S.O. 2650.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899), the Central Government hereby permits the Maharashtra State Finance Corporation, Bombay, to pay consolidated stamp duty of forty one thousand, two hundred and fifty rupees only, chargeable on account of the stamp duty on bonds in the form of debentures of the face value of fifty-five lakhs of rupees issued by the said Corporation.

[No. 33/75-Stamps/F. No. 471/58/75-Cus. VII]

D. K. ACHARYYA, Under Secy.

(बैंकिंग विभाग)

नई दिल्ली, 28 जुलाई, 1975

का० आ० 2651.—बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 38क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा कलकत्ता उच्च न्यायालय के सहायक न्यायालय परिसमापक (लेखा) श्री पी० के० बसु को 1 अगस्त, 1975 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक के वास्ते कलकत्ता उच्च न्यायालय से सम्बद्ध न्यायालय परिसमापक के रूप में स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिये नियुक्त करती है ।

[सं० 2(2)-बी० ओ० III/75]

द० म० सुकथनकर, निदेशक

(Department of Banking)

New Delhi, the 28th July, 1975

S.O. 2651.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 38A of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government hereby appoints Shri P. K. Basu, Assistant Court Liquidator (Accounts), Calcutta High Court, to officiate as Court Liquidator attached to the said High Court, from the forenoon of the 1st August, 1975 and until further orders.

[No. 2(2)-B.O. III/75]

D. M. SUKTHANKAR, Director.

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 1975

का० आ० 2652.—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्ध और प्रकीर्ण उपबन्ध) स्कीम, 1970 के खण्ड 8 के उपखण्ड (1) के साथ पठित खण्ड 3 के उपखण्ड (क) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात् श्री टी० आर० तुली, को 1 अगस्त, 1975 से आरम्भ होने वाली और 31 जुलाई, 1976 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए, पंजाब नेशनल बैंक के प्रबन्ध निदेशक के रूप में नियुक्त करती है ।

[सं० एफ० 9/8/75-बी०ओ० I-(i)]

New Delhi, the 31st July, 1975

S.O. 2652.—In pursuance of sub-clause (a) of clause 3, read with sub-clause (1) of clause 8, of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, the Central Government, after consultation with the Reserve Bank of India, hereby appoints Shri T. R. Tuli as the Managing Director of Punjab National Bank for the period commencing on 1st August, 1975 and ending with 31st July, 1976.

[No. F. 9/8/75-BO. I-(i)]

का० आ० 2653.—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्ध और प्रकीर्ण उपबन्ध) स्कीम, 1970 के खण्ड 7 के साथ पठित खण्ड 5 के उपखण्ड (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात् श्री टी० आर० तुली को, जिन्हें 1 अगस्त, 1975 से पंजाब नेशनल बैंक के प्रबन्ध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, उसी तारीख से पंजाब नेशनल बैंक के निदेशक-बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करती है ।

[सं० एफ० 9/8/75-बी०ओ० I-(ii)]

एम० जी० बालसुब्रमन्यन,

अपर सचिव

S.O. 2653.—In pursuance of sub-clause (1) of clause 5, read with clause 7, of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, the Central Government , after consultation with the Reserve Bank of India hereby appoints Shri T. R. Tuli, who has been appointed as Managing Director of Punjab National Bank with effect from 1st August, 1975, to be the Chairman of the Board of Directors of Punjab National Bank with effect from the same date.

No. F. 9/8/75-B.O. I-(ii)]

M. G. BALASUBRAMANIAN, Add. Secy.

आयकर आयुक्त कार्यालय

पटियाला, 2 जुलाई, 1975

आयकर

का०आ० 2654.—यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में यह आवश्यक एवं समीचीन है कि वित्तीय वर्ष 1973-74 के दौरान ऐसे सभी निर्धारितियों के—

(i) जो व्यष्टि अथवा हिन्दू अविभक्त परिवार है, जिनकी आय एक लाख रुपये से अधिक निर्धारित की गई है; और

(ii) जो फर्में, व्यक्ति-संगम अथवा कम्पनी है, जिनकी आय दस लाख रुपये से अधिक निर्धारित की गई है;

नाम तथा उनसे संबंधित अन्य विशिष्टियां प्रकाशित की जायें।

और यतः आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 287 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का तथा इस निमित्त उसे समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने, अपने आदेश दिनांक 5 जुलाई, 1974 के द्वारा आयकर के सभी आयुक्तों को, वित्तीय वर्ष 1973-74 के दौरान उनके अधिकार-क्षेत्र के भीतर स्थित निर्धारितियों से सम्बन्धित नाम, पते, हैसीयत तथा निर्धारण वर्ष प्रकाशित करने के लिये प्राधिकृत किया है ।

अतः अब केन्द्रीय सरकार द्वारा दिनांक 5 जुलाई, 1974 के पूर्वोक्त आदेश द्वारा मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं इससे संलग्न अनुसूची-I में उपर्युक्त निर्धारितियों के नाम तथा अन्य विशिष्टयां एतद्द्वारा प्रकाशित करता हूं।

अनुसूची-I

वित्तीय वर्ष 1973-74 के दौरान एक लाख रुपये की आय निर्धारित किये सभी इण्डल तथा हिन्दू अविभक्त परिवारों के नाम, जहां सहायक आयुक्त (अपील) को कोई भी अपील उसके लिए अनुज्ञेय समय के भीतर प्रस्तुत नहीं की गई थी अथवा जहां प्रस्तुत की गई अपील का निपटान वर्ष के दौरान कर दिया गया है।

क्रम सं०	निर्धारिती का नाम तथा पता	हैसियत	निर्धारण वर्ष	दिया गया आय विवरण	निर्धारण आय	निर्धारिती द्वारा संदेय कर	निर्धारिती द्वारा संदत्त कर
1	2	3	4	5	6	7	8
				रु०	रु०	रु०	रु०
1.	सेठ नन्द लाल गिनेरीवाला, सरसा .	इण्डल	73-74	1,88,880	2,00,470	1,52,260	1,52,260
2.	धर्मपाल मारफत मैसर्स लिबर्टी फुटवियर कं०, करनाल	हिन्दू अविभक्त परिवार	71-72	2,07,442	2,09,110	1,53,718	1,53,718
3.	श्री परषोत्तम दास मारफत यथा-पूर्वोक्त	हिन्दू अविभक्त परिवार	यथोक्त	1,93,530	1,95,090	1,40,879	1,40,879
4.	श्री राज कुमार मारफत यथा पूर्वोक्त	इण्डल	71-72	1,99,377	2,00,230	1,45,416	1,45,416
5.	श्री डी० डी० पुरी, मारफत सरस्वती हाऊस, यमुनानगर	इण्डल	73-74	1,99,670	2,00,840	1,52,573	1,51,488

[फा० रैक/प्रकाशन]

एस० एन० माथुर, आयकर आयुक्त

Office of The Commissioner of Income Tax

Patiala, the 2nd July, 1975

INCOME TAX

S.O.2654.—Whereas the Central Government is of the opinion that it is necessary and expedient in Public interest to publish the names and other particulars relating to assessees:—

(i) being individuals or Hindu Undivided Families, who have been assessed on an income of more than one lakh of rupees ; and

(ii) being Firms, Association of persons or companies, who have been assessed on an income of more than ten lakhs of rupees; during the financial year 1973-74.

And whereas in exercise of the powers conferred by section 287 of the Income-tax Act (43 of 1961) and all other powers enabling them in this behalf the Central Government has by its order dated 5th July, 1974 authorised all Commissioners of Income-tax, to publish the names, addresses, states, assessment year relating to assessees within their jurisdiction during the financial year 73-74.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred on me by the Central Government by its aforesaid order dated 5th July, 1974. I hereby publish in Schedule I, hereto annexed, the names and other particulars of the assessees aforesaid.

SCHEDULE I

Names of all Indls. & HUF's assessed on an income of Rs.1 lakh during the financial year 1973-74 where no appeal was presented to the AAC within the time allowed therefor or where the appeal presented has been disposed of during the year.

Sl. No.	Names and address of the assessee	Status	Asstt. year	Income Returned	Income assessed	Tax payablely the assessee	Tax paid by the assessee
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Seth Nand La Generiwala Sirsa	Indl.	73-74	1,88,880	2,00,470	1,52,260	1,52,260
2.	Sh. Dharam Paul C/o M/s. Liberty Footwear Co., Karnal	H.U.F	71-72	2,07,442	2,09,110	1,53,718	1,53,718
3.	Shri Parshotam Dass C/o as above	H.U.F	Do.	1,93,530	1,95,090	1,40,879	1,40,879
4.	Shri Raj Kumar C/o as above	Indl.	71-72	1,99,377	2,00,230	1,45,416	1,45,416
5.	Shri D. D. Puri C/o Sarswati House, Yamunanagar . .	Indl.	73-74	1,99,670	2,00,840	1,52,573	1,51,488

[F. Rec./Publication]

S. N. MATHUR, Commissioner of Income-tax.

भारतीय रिजर्व बैंक

बैंकिंग विभाग

नई दिल्ली, 1 अगस्त, 1975

का०आ० 2655.—भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के अनुसरण में जुलाई 1975 के दिनांक 25 को समाप्त हुए सप्ताह के लिए लेखा

इशू विभाग

देयताएं	रुपये	रुपये	आस्तियां	रुपये	रुपये
बैंकिंग विभाग में रखे हुए नोट	45,63,84,000		सोने का सिक्का और बुलियन :		
			(क) भारत में रखा हुआ	182,52,58,000	
संचलन में नोट	6303,60,00,000		(ख) भारत के बाहर रखा हुआ	..	
			विदेशी प्रतिभूतियां	121,73,97,000	
जारी किये गये कुल नोट		6349,23,84,000			
			जोड़		304,26,55,000
			रुपये का सिक्का		9,57,57,000
			भारत सरकार की रुपया प्रतिभूतियां		6035,39,72,000
			देशी विनिमय बिल और दूसरे वाणिज्य पत्र		..
कुल देयताएं		6349,23,84,000	कुल आस्तियां		6349,23,84,000

दिनांक : 30 जुलाई 1975

एन० सी० सेन गुप्ता, गवर्नर

25 जुलाई, 1975 को भारतीय रिजर्व बैंक के बैंकिंग विभाग के कार्यकलाप का विवरण

देयताएं	रुपये	रुपये	आस्तियां	रुपये
चुकता पूंजी		5,00,00,000	नोट	45,63,84,000
			रुपये का सिक्का	4,43,000
आरक्षित निधि		150,00,00,000	छोटा सिक्का	3,87,000
			खरीदे और भुनाये गये बिल :	
राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि		334,00,00,000	(क) देशी	98,66,48,000
			(ख) विदेशी	..
राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण) निधि		140,00,00,000	(ग) सरकारी खजाना बिल	404,28,96,000
			विदेशों में रखा हुआ बकाया*	423,57,70,000
राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि		390,00,00,000	निवेश**	1158,19,96,000
			ऋण और अग्रिम :	
जमाराशियां :			(i) केन्द्रीय सरकार को	..
(क) सरकारी			(ii) राज्य सरकारों को†	144,78,57,000
			ऋण और अग्रिम :	
(i) केन्द्रीय सरकार	56,85,57,000		(i) अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को‡	48,37,00,000
			(ii) राज्य सहकारी बैंकों को@	250,02,39,000
(ii) राज्य सरकारें	9,13,53,000		(iii) दूसरों को	10,77,76,000
			राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि से ऋण, अग्रिम और निवेश :	
(ख) बैंक			(क) ऋण और अग्रिम :	
(i) अनुसूचित वाणिज्य बैंक	590,07,11,000		(i) राज्य सरकारों को	69,64,11,000
			(ii) राज्य सहकारी बैंकों को	12,76,14,000
(ii) अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	16,88,08,000		(iii) केन्द्रीय भूमिबन्धक बैंकों को	..
			(iv) कृषि पुनर्वित्त निगम को	87,20,00,000

देयताएं	रुपये	आस्तियां	रुपये
(iii) गैर अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	1,58,40,000	(ख) केन्द्रीय भूमिबन्धक बैंकों के डिबेंचरों में निवेश	10,65,46,000
(iv) अन्य बैंक	60,98,000	राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण) निधि से ऋण और अग्रिम	
		राज्य सहकारी बैंकों को ऋण और अग्रिम	92,11,60,000
(ग) अन्य	1035,21,81,000	राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि से ऋण, अग्रिम और निवेश	
देय बिल	128,34,38,000	(क) विकास बैंक को ऋण और अग्रिम	307,98,86,000
		(ख) विकास बैंक द्वारा जारी किये गये बांडों/डिबेंचरों में निवेश	..
अन्य देयताएं	673,62,38,000	अन्य आस्तियां	366,55,11,000
रुपये	3531,32,24,000	रुपये	3531,32,24,000

*नकदी, अवधिक जमा और अल्पकालीन प्रतिभूतियां शामिल हैं ।

**राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि और राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि में से किये गये निवेश शामिल नहीं हैं ।

†राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि से प्रदत्त ऋण और अग्रिम शामिल नहीं हैं, परन्तु राज्य सरकारों को दिये गये अस्थायी ओवर-ड्राफ्ट शामिल हैं ।

‡भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 17(4)(ग) के अधीन अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को मीयादी बिलों पर अग्रिम दिये गये 32,69,00,000.00 रुपये शामिल हैं ।

@राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि और राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण) निधि से प्रदत्त ऋण और अग्रिम शामिल नहीं हैं ।

एन० सी० सेन गुप्ता, गवर्नर

दिनांक : 30 जुलाई 1975

[सं० फ० 10(1)/75—बी० ओ० I]

च० व० मीरचन्दानी, अवर सचिव

RESERVE BANK OF INDIA

Department of Banking

New Delhi, the 1st August, 1975

S.O. 2655—An account pursuant to the Reserve Bank of India Act, 1934 for the week ended the 25th day of July 1975

Issue Department

Liabilities	Rs.	Rs.	Assets	Rs.	Rs.
Notes held in the Banking Department	45,63,84,000		Gold Coin and Bullion:—		
Notes in circulation	6303,60,00,000		(a) Held in India	182,52,58,000	
			(b) Held outside India	..	
Total notes issued		6349,23,84,000	Foreign Securities	121,73,97,000	
			Total		304,26,55,000
			Rupee Coin		9,57,57,000
			Government of India Rupees Securities		6035,39,72,000
			Internal Bills of Exchange and other commercial paper		..
Total Liabilities		6349,23,84,000	Total Assets		6349,23,84,000

N.C. SEN GUPTA, Governor

Dated the 30th day of July 1975

Statement of the affairs of the Reserve Bank of India, Banking Department as on the 25th July, 1975.

Liabilities	Rs.	Assets	Rs.
Capital Paid up	5,00,00,000	Notes	45,63,84,000
		Rupee Coin	4,43,000
Reserve Fund	150,00,00,000	Small Coin	3,87,000
		Bills Purchased and Discounted:—	
National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund	334,00,00,000	(a) Internal	98,66,48,000
		(b) External	..
		(c) Government Treasury Bills	404,28,96,000
National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund	140,00,00,000	Balances Held Abroad*	423,57,70,000
		Investments**	1158,19,96,000

National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund	390,00,00,000	Loans and Advances to:— (i) Central Government	
Deposits:—		(ii) State Governments@	144,78,57,000
(a) Government		Loans and Advances to:— (i) Scheduled Commercial Banks+	48,37,00,000
(i) Central Government	56,85,57,000	(ii) State Co-operative Banks‡	250,02,39,000
(ii) State Governments	9,13,53,000	(iii) Others	10,77,76,000
(b) Banks		Loans, Advances and Investements from National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund	
(i) Scheduled Commercial Banks	590,07,11,000	(a) Loans and Advances to:— (i) State Governments	69,64,11,000
(ii) Scheduled State Co-operative Banks	16,88,08,000	(ii) State Co-operative Banks	12,76,14,000
(iii) Non-Scheduled State Co-operative Banks	1,58,40,000	(iii) Central Land Mortgage Banks	..
		(iv) Agricultural Refinance Corporation	87,20,00,000
(iv) Other Banks	60,98,000	(b) Investment in Central Land Mortage Bank Debentures	10,65,46,000
(c) Others	1035,21,81,000	Loans and Advances from National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund	
Bills Payable	128,34,38,000	Loans and Advances to State Co-operative Banks	92,11,60,000
Other Liabilities	673,62,38,000	Loans, Advances and Investments from National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund	
		(a) Loans and Advances to the Development Banks	307,98,86,000
		(b) Investment in bonds/debentures issued by the Development Bank	..
		Other Assets	366,55,11,000
Rupees	3531,32,24,000	Rupees	3531,32,24,000

*Includes Cash, Fixed Deposits and Short-term Securities.

**Excluding Investments from the National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund and the National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund.

@Excluding Loans and Advances from the National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund, but including temporary overdrafts to State Governments.

+Includes Rs. 32,69,00,000.00 Advanced to scheduled commercial banks against usance bills under Section 17(4)(c) of the Reserve Bank of India Act.

‡Excluding Loans and Advances from the National A-ricultural Credit (Long Term Operations) Fund and the National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund.

Dated the 30th day of July 1975.

No.F. 10(1)/75—BO. I]
N.C. SEN GUPTA, Governor
C.W. Mirchandani, Under Secy.

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 29 जुलाई, 1975

का० आ० 2656.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 239 के खण्ड (1) के अनुसरण में, एतद्द्वारा निदेश देते हैं कि दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम, 1958 (1958 का 59) की धारा 35 और धारा 38 के अधीन केन्द्रीय सरकार की शक्तियों, का प्रयोग, राष्ट्रपति के नियंत्रण के अधीन रहते हुए और जब तक और आदेश न हो, दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक (उपराज्यपाल) द्वारा किया जाएगा।

[सं० यू०-11030/1/75-यू०टी०एल०]

हरीश चन्द्र बख्शी, अवर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 29th July, 1975

S.O. **2656.**—In pursuance of clause (1) of article 239 of the Constitution, the President hereby directs that the powers of the Central Government under section 35 and section 38 of the Delhi Rent Control Act, 1958 (59 of 1958) shall, subject to the control of the President and until further orders, be exercised by the Administrator (Lieutenant Governor) of the Union territory of Delhi.

[No. U-11030/2/75-UTL]
H.C. BAKHSHI, Under Secy.

कृषि और सिंचाई मंत्रालय

(ग्राम विकास विभाग)

नई दिल्ली, 29 जुलाई, 1975

का० आ० 2657.—तम्बाकू श्रेणीकरण और चिह्न नियम, 1937 में और संशोधन करने के लिए नियमों को, जिन्हें केन्द्रीय सरकार कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिह्नन) अधिनियम, 1937 (1937 का 1) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाना चाहती है, निम्नलिखित प्रारूप उक्त धारा की अपेक्षानुसार, उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है, जिनकी उससे प्रभावित होने की सम्भावना है, और सूचना दी जाती है कि उस राजपत्र के, जिसमें यह अधिसूचना अन्तर्विष्ट हो, जनता को उपलब्ध कराए जाने की तारीख से एक मास की अवधि के समाप्त होने पर या उसके पश्चात् उक्त प्रारूप पर विचार किया जाएगा।

केन्द्रीय सरकार उक्त प्रारूप की बाबत उन सभी सुझावों या आक्षेपों पर विचार करेगी जो किसी व्यक्ति से ऊपर विनिर्दिष्ट तारीख से पूर्व प्राप्त होंगे ।

संशोधनों का प्रारूप

1. इन नियमों का नाम तम्बाकू श्रेणीकरण और चिह्नन (संशोधन) नियम, 1975 है।

2. तम्बाकू श्रेणीकरण और चिह्नन नियम, 1937 में,--

(1) नियम 3 में, 'तम्बाकू' से आरम्भ होने वाले और "अथवा नहीं होगी, के साथ समाप्त होने वाले शब्दों के स्थान पर, निम्नलिखित शब्द अंक, चिह्न और कोष्ठक रखे जाएंगे :--

"तम्बाकू साबुत पत्ते, स्ट्रिपों ×या तनों=या सिरे वाले पत्तों *1 या पत्ते के सिरों *2 को हो सकती है, किन्तु इनका मिश्रण नहीं, और वह सुधारी हुई मशीन द्वारा पुनर्शुष्कित हो सकती या नहीं हो सकती है।

(2) नियम 3 के बाद-टिप्पण में, चिह्न "‡" और उसकी प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

*1. सिरेवाला पत्ता साबुत पत्ते की लम्बाई के 75 प्रतिशत से से 85 प्रतिशत तक का होगा।

*2. पत्ते के सिरे साबुत पत्ते की लम्बाई के 75 से 25 प्रतिशत तक के होंगे।

मशीन द्वारा काटे जाने में होने वाली आनुषंगिक त्रुटियों के लिए गुंजाइश रखने के लिए, "सिरे वाले पत्ते" की दशा में, साबुत पत्ते का 5 प्रतिशत तक होना अनुज्ञात है" :

3. द्वितीय अनुसूची में, पाद-टिप्पण के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

"श्रेणी--नाम निम्नलिखित शर्तों के अधीन लागू होंगे :--

कि परेषण किसी विशेष आर्डर पर निर्यात के लिए आशयित है और निर्यातकर्ता विक्रीय-कीमत को उपदर्शित करेगा और इस आशय का गारण्टी-पत्र देगा कि विक्रीय-आगम छह मास के भीतर प्राप्त किए जाएंगे और ऐसा प्राप्ति का प्रमाण दिया जाएगा :--

4. अनुसूची iii में,

(क) सारणी में, श्रेणी-नाम "वी एस 2" के पश्चात् निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्

श्रेणी-नाम	विशेष लक्षण		
	रंग	बनावट	विकृति
1	2	3	4
"तने"**	--	--	तनों में पत्तों की मध्य शिरायें होंगी, जो तम्बाकू की धूप से सुखाई गई वर्जीनिया किस्मों और वैसे ही लक्षण वाले उनके संकरों से तने निकालने की प्रक्रिया में पत्ते की लम्बाई के कम से कम 3/5 या 60 प्रतिशत की सीमा तक निकाले हुई होंगी।

(ख) सारणी के नीचे पाद-टिप्पण में चिह्न "ल" और उसकी प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

"**श्रेणी नाम निम्नलिखित शर्तों के अधीन लागू होगा :--

कि परेषण किसी विशेष आर्डर पर निर्यात के लिए आशयित है और निर्यात उपदर्शित करेगा और इस आशय का गारण्टी-पत्र देगा कि विक्रय आगम छह मास के भीतर प्राप्त किए जाएंगे और ऐसी प्राप्ति का प्रमाण दिया जाएगा।"

कर्ता विक्रय कीमत

[संख्या 13-1/72 ए० एम०]

आर० एन० बख्शी, अवर सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE & IRRIGATION

(Department of Rural Development)

New Delhi, the 29th July, 1975

S.O.2657.—The following draft rules further to amend the Tabacco Grading and Marking Rules, 1937, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 3 of the Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937 (1 of 1937) are hereby published as required by the said section, for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration on or after the expiry of a period of one month from the date of the Official Gazette containing this notification is made available to the public.

Any objection or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft before the date specified above will be considered by the Central Government.

DRAFT AMENDMENTS

1. These rules may be called the Tobacco Grading and Marking (Amendment) Rules, 1975.

2. In the Tobacco Grading and Marking Rules, 1937,—

(1) in rule 3, for the words beginning with "The tobacco may consist of leaf" and ending with "or not", the words, figures, marks and brackets

"The tobacco may consist of whole leaf, strips†or stems‡or tipped leaf *1 or leaf tips *2, but not of mixtures thereof and may be reconditioned (mechanically redired) or not shall be substituted,

(2) in the foot-note to rule 3, after the mark "‡" and the entries thereto, the following shall be inserted, namely

*1. Tipped Leaf shall consist of 75 to 85 percent of the length of the whole leaf.

*2. Leaf Tips shall consist of 15 to 25 percent of the length of the whole leaf.

To allow for incidental errors in mechanical cutting, presence of whole leaf to the extent of 5 percent is allowed in the case of "Tipped Leaf",

(3) in Schedule II for foot-note §§ the following shall be substituted namely :—

"§§ Grade designation will be applicable under the following conditions :—

That the consignment is meant for export against a specific order and that the exporter will indicate the sale price and furnish a guarantee letter to the effect that the sale proceeds shall be received within six months and that the evidence of such receipt furnished" ;

(4) in Schedule III,

(a) in the table, after grade designation "VS 2" the following shall be inserted, namely :—

Grade designation	Special Characteristics		
	Colour	Texture	Blemish
1	2	3	4
"Stems**	—	—	Stems shall consist of midribs of leaves removed to the extent of at least three fifths or 60 percent of the length of the leaf in the process of stemming from sun-cured Virginia varieties of tobacco and their hybrids having similar characteristics"

(b) in foot-note below the table after mark†† and the entries thereto the following shall be inserted, namely :

**Grade designation will be applicable under the following conditions—

That the consignment is meant for export against a specific order and that the exporter will indicate the sale price and furnish a guarantee letter to the effect that the sale proceeds shall be received within six months and the evidence of such receipt furnished".

[No. F. 13-1/72 AM]

R.N. BAKSHI Under Secy.

वाणिज्य मंत्रालय

मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात का कार्यालय, नई दिल्ली

आदेश

दिनांक 20 जून, 1975

का० आ० 2658 सर्वश्री हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक लि०, पिम्परी, पूना.—18 को 62000 रु० (बासठ हजार रुपये मात्र) का एक आयात लाइसेन्स सं० आई/ए/1058052/एस/जीएन/46/एच/35-36 दिनांक 18-11-72 स्वीकृत किया गया था। उन्होंने उक्त लाइसेन्स की अनुलिपि सीमाशुल्क प्रयोजन/मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रयोजन प्रतियों के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि मूल सीमाशुल्क प्रयोजन/मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रयोजन प्रतियां खो गई/अस्थानस्थ हो गई हैं। आगे यह बताया गया है कि मूल सीमाशुल्क प्रयोजन/मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रयोजन प्रतियां बम्बई सीमाशुल्क अधिकारियों के पास पंजीकृत कराई गई थीं

इस का कुछ उपयोग नहीं किया गया था और दिनांक 23-4-75 को इस में 62,000 रुपये शेष थे।

इस तर्क के समर्थन में आवेदक ने उप मंडल दण्डनायक पूना के एक प्रमाण पत्र के साथ एक शपथ पत्र दाखिल किया है। मैं तद्नुसार संतुष्ट हूं कि उक्त लाइसेंस की मूल सीमा प्रयोजन/मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रयोजन प्रतियां खो गई हैं। इसलिये, यथा संशोधित आयात व्यापार (नियंत्रण) आदेश, 1955 की उपधारा 9 (सी सी) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर सर्वश्री हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक लि०, पिम्परी पूना को जारी किए गए लाइसेंस सं० 1058052/एस/जी/एन/46/एच/35–36 दिनांक 18–11-72 की मूल सीमाशुल्क प्रयोजन/मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रयोजन प्रतियों को इस के द्वारा रद्द किया जाता है।

लाइसेंस को उक्त लाइसेंस की अनुलिपि सीमाशुल्क प्रयोजन/मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रयोजन प्रतियां अलग से जारी की जा रही हैं।

[संख्या यू डी/75-एच/72–73/पी एल एस ए]

MINISTRY OF COMMERCE

(Office of the Chief Controller of Imports and Exports)

ORDER

New Delhi, the 20th June, 1975

S.O. 2658.—M/s. Hindustan Antibiotics Limited, Pimpri Poona-18, were granted an import licence No. I/A/1058052/S/GN/46/H/35-36 dated 18-11-72 for Rs. 62,000 (Rupees sixty two thousand only). They have applied for the issue of a duplicate Customs purposes/Exchange Control Purposes copies of the said licence on the ground that the original Customs purposes Exchange Control Purposes copies has been lost/misplaced. It is further stated that the original Customs purposes/Exchange Control copy was registered with the Customs authorities at Bombay.

It was utilised for Rs. NIL and the balance available on it was Rs. 62,000 as on 23-4-75.

2. In support of this contention the applicant has filled an affidavit along with a certificate from Sub. Div. Magistrate Poona. I am accordingly satisfied that the original customs purposes/Exchange Control Purposes copies of the said licence has been lost. Therefore in exercise of the powers conferred under Sub-clause 9 (cc) of the Imports (Control) order, 1955 dated 7-12-55 as amended the said original Customs purposes/Exchange Control purposes copies of licence No. 1058052/S/GN/46/H/35-36 dated 18-11-72 issued to M/s. Hindustan Antibiotics Ltd., Pimpri, Poona, is hereby cancelled.

3. A duplicate customs purposes/Exchange Control copies of the said licence is being issued separately to the licencee.

[No. UD/75-H/72-73/PLSA]

आदेश

का० आ० 2659.—सर्वश्री हिन्दुस्तान मशीन टूल्ज लि०, पिंजौर को 12,00 000 रुपये (बारह लाख रुपये मात्र) मूल्य के लिए एक आयात लाइसेन्स सं० आई/ए/1399973/आर/आई एन/ 51/एच/39-40 दिनांक 22-6-74 प्रदान किया गया था। उन्होंने उक्त लाइसेन्स की सीमाशुल्क निकासी प्रति की अनुलिपि प्रति जारी करने के लिए इस आधार पर आवेदन किया है मूल सीमाशुल्क निकासी प्रति खो गई/अस्थानस्थ हो गई है। यह भी उल्लेख किया गया है कि मूल सीमाशुल्क निकासी प्रति सीमाशुल्क प्राधिकरण बम्बई में पंजीकृत कराई गई थी। इसका उपयोग 3,83,039 रुपये के लिए किया गया था और 6-5-1975 को इस पर 8,16,961 रुपये का उपयोग करना बाकी था।

2. इस तर्क के समर्थन में आवेदक ने प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट चन्डीगढ़ से एक प्रमाण पत्र के साथ एक शपथ पत्र दाखिल किया है। तदनुसार मैं सन्तुष्ट हूं कि उक्त लाइसेंस की मूल सीमाशुल्क निकासी प्रति खो गई है। इसलिए यथा संशोधित आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 दिनांक 7-12-1955 की उपधारा 9 (सी सी) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए सर्वश्री हिन्दुस्तान मशीन टूल्ज लि०, पिंजौर को जारी किए गए लाइसेंस सं आई/ए/1399973/आर/आई एन/51/एच/39-40 दिनांक 22-6-74 की मूल सीमाशुल्क निकासी प्रति एतद् द्वारा रद्द की जाती है।

3. उक्त लाइसेंस की सीमाशुल्क निकासी प्रति की अनुलिपि लाइसेंस-धारी को अलग से जारी की जा रही है।

[संख्या-एच एम टी/5/74-75 पी एल एस ए]

एस० के० उस्मानी, उप-मुख्य नियंत्रक

ORDER

S.O. 2659.—M/s. Hindustan Machine Tools Limited, Pinjore were granted an import licence No. I/A/1399973/R/IN/51/H/39-40 dated 22-6-1974 for Rs. 12,00,000 (Rupees twelve lakhs only). They have applied for the issue of a duplicate Customs Purposes copy of the said licence on the ground that the original Customs Purposes copy has been lost/misplaced. It is further stated that the original customs purposes copy was registered with the customs authorities at Bombay.

It was utilised for Rs. 3,83,039 and the balance available on it was Rs. 8,16,961 as on 6-5-1975.

2. In support of this contention the applicant has filed an affidavit along with a certificate from 1st Class Magistrate, Chandigarh. I am accordingly satisfied that the original Customs Purposes copy of the said licence has been lost. Therefore in exercise of the powers conferred under Sub-clause 9(cc) of the Imports (Control) Order, 1955 dated 7-12-1955 as amended the said original Customs Purposes copy of licence No. I/A/1399973/R/IN/51|H|39-40 dated 22-6-1974 issued to M/s. Hindustan Machine Tools Limited, Pinjore is hereby cancelled.

3. A duplicate Customs Purposes copy of the said licence is being issued separately to the licencee.

[No. HMT/5/74-75/PLSA]

S. K. USMANI, Dy. Chief Controller

आदेश

नई दिल्ली, 3 जुलाई, 1975

का० आ० 2660.—भारत का राज्य व्यापार निगम लि० नई दिल्ली को सामान्य मुद्रा क्षेत्र से 65,663 रुपये मूल्य के डेन्सिटी पालिएथीन मोल्डिंग पाउडर के आयात के लिए एक लाइसेंस सं० जी/टी/1064633 दिनांक 15-10-73 प्रदान किया गया था। उन्होंने उपर्युक्त लाइसेंस की मूल मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति की अनुलिपि जारी करने के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि मूल मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति उन से खो गई है। इस लाइसेंस के पंजीकरण का पत्तन बम्बई है। इस लाइसेंस की सीमाशुल्क निकासी प्रति 15-10-75 तक पुनर्बंध की गई है।

अपने तर्क के समर्थन में आवेदक ने एक शपथ पत्र दाखिल किया है। अधोहस्ताक्षरी संतुष्ट है कि लाइसेंस सं० जी/टी/1064633 दिनांक 15-10-73 की मूल मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति खो गई है और निदेश देता है कि इसकी अनुलिपि प्रति उन को जारी की जानी चाहिए। लाइसेंस की मूल मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति एतद् द्वारा रद्द की जाती है।

लाइसेंस सं० जी/टी/1064633 की मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति की अनुलिपि प्रति से अलग जारी की जा रही है।

[सं० एस० टी० सी/मिस्क-626-638/73-74/आर एम सैल/572]

एस० वर्मा, उप-मुख्य नियंत्रक

ORDER

New Delhi, the 3rd July, 1975

S.O. 2660.—The State Trading Corporation of India Ltd., New Delhi were granted licence No. G/T/1064633 dated 15-10-1973 for the import of Density Polythene Moulding Powder from GCA to the value of Rs. 65,663. They have requested for the issue of duplicate Exchange control copy of the above licence on the ground that the original Exchange copy of the above licence has been lost by them. The port of registration of this licence is Bombay. The custom purpose copy of this licence has been revalidated upto 15-10-1975.

In support of their contention the applicant have filled an affidavit. The undersigned is satisfied that the original Exchange copy of the licence No. G/T/1064633 dated 15-10-1973 has been lost and direct that duplicate Exchange copy of the said licence should be issued to them. The original Exchange copy of the licence is hereby cancelled.

The duplicate Exchange copy of the licence No. G/T/1064633 is being issued separately.

[File No. STC/Misc.-626-638/73-74/RM Cell/572]

S. VARMA, Dy Chief Controller

आदेश

नई दिल्ली, 29 जुलाई, 1975

का० आ० 2661.—सर्वश्री ए० मुहम्मद कासिम एंड कं०, मद्रास को 2,22,000 रुपये (दो लाख बाईस हजार रुपये मात्र) मूल्य के लिए एक आयात लाइसेंस संख्या पी सी जी/2067190/एस/जी/एन/51/एच/39-40/सीजी-4, दिनांक 14-5-74 प्रदान किया गया था। उन्होंने उक्त लाइसेंस की सीमाशुल्क निकासी प्रति की अनुलिपि जारी करने के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि मूल सीमाशुल्क निकासी प्रति खो गई है। यह भी उल्लेख किया गया है कि मूल सीमाशुल्क निकासी प्रति किसी भी सीमाशुल्क प्राधिकरण में पंजीकृत नहीं कराई गई थी और उसका बिलकुल भी उपयोग नहीं किया गया था।

2. इस तर्क के समर्थन में आवेदक ने एक शपथपत्र दाखिल किया है। तदनुसार मैं संतुष्ट हूं कि मूल सीमाशुल्क निकासी प्रति खो गई है। इसलिए यथा संशोधित आयात (नियंत्रण) आदेश 1955 दिनांक 7-12-1955 की उप-धारा 9(सीसी) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए सर्वश्री ए० मुहम्मद कासिम एंड कं०, मद्रास को जारी किए गए लाइसेंस संख्या: पी/सी जी/2067190, दिनांक 14-5-74 की मूल सीमाशुल्क निकासी प्रति एतद् द्वारा रद्द की जाती है।

3. उक्त लाइसेंस की सीमाशुल्क निकासी प्रति की अनुलिपि प्रति लाइसेंसधारी को अलग से जारी की जा रही है।

[संख्या: 735/74/31/सी जी-4/4805]

ORDER

New Delhi, the 29th July, 1975

S.O. 2661.—M/s. A. Mohamed Khasim & Co., Madras were granted an import licence No. P/CG/2067190/S/GN/51/H/39-40/CG. IV dated 14-5-1974 for Rs. 2,22,000 (Rupees two lakhs & twenty two thousand only). They have applied for the issue of duplicate Customs Purposes copy of the said licence on the ground that the original Customs Purposes copy have been lost. It is further stated that the original Customs Purposes copy was not registered with any Customs authorities and was not utilised at all.

In support of their contention the applicant has filed an affidavit. I am accordingly satisfied that the original Customs Purposes copy has been lost. Therefore, in exercise of the powers conferred under Sub-clause 9(cc) of the Imports (Control) Order 1955 dated 7-12-1955 as amended, the said original Customs Purposes copy of Licence No. P/CG/2067190 dated 14-5-1974 issued to M/s. A. Mohamed Khasim & Co., Madras is hereby cancelled.

3. The duplicate Customs Purposes copy of the said licence is being issued separately to the licensee.

[No. 735/74/31/CG. IV/4805]

आदेश

का० आ० 2662.—सर्वश्री ए० मुहम्मद कासिम एंड कम्पनी, मद्रास को 4,84,000/- रुपये (चार लाख चौरासी हजार रुपये मात्र) मूल

के लिए एक आयात लाइसेंस संख्या: पी/सीजी/2067191/टी/सीआर 51/एच-39-40/सीजी-4, दिनांक 15-4-74 प्रदान किया गया था। उन्होंने उक्त लाइसेंस की सीमाशुल्क निकासी प्रति और मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति की अनुलिपि प्रतियां जारी करने के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि मूल सीमाशुल्क निकासी प्रति और मुद्रा विनियम नियंत्रण प्रति खो गई है। यह भी उल्लेख किया गया है कि मूल सीमाशुल्क निकासी प्रति और मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति किसी भी सीमाशुल्क प्राधिकरण में पंजीकृत नहीं की गई थी और बिलकुल भी उपयोग नहीं की गई थी।

2. इस तर्क के समर्थन में आवेदक ने एक शपथपत्र दाखिल किया है। तदनुसार मैं संतुष्ट हूं कि मूल सीमाशुल्क निकासी और मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रतियां खो गई हैं। इसलिए यथा संशोधित आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 दिनांक 7-12-1955 की उपधारा 9(सीसी) द्वारा प्रदत्त, अधिकारों का प्रयोग करते हुए सर्वश्री ए० मुहम्मद कासिम एंड कम्पनी मद्रास को जारी किए गए लाइसेंस संख्या पी/सीजी/2067191/दिनांक 14-5-74 की उक्त मूल सीमाशुल्क निकासी और मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रतियां एतद्द्वारा रद्द की जाती है।

3. उक्त लाइसेंस की सीमाशुल्क निकासी प्रति और मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति की अनुलिपि प्रतियां लाइसेंसधारी को अलग से जारी की जा रही है।

[संख्या 735/74/31/सीजी-4/4806]

ORDER

S.O. 2662.—M/s. A. Mohamed Khasim & Co., Madras were granted an import licence No. P/CG/2067191/T/CR/51/H/39-40/CG. IV dated 14-5-1974 for Rs. 4,84,000/- (Rupees four lakhs & eighty four thousand only). They have applied for the issue of duplicate Customs purposes and Exchange Control purposes copies of the said licence on the ground that the original Customs Purposes and Exchange Control purposes copies have been lost. It is further stated that the original Customs Purposes and Exchange Control Purposes copies were not registered with any Customs authority and were not utilised at all.

2. In support of this contention, the applicant has filed an affidavit. I am accordingly satisfied that the original Customs Purposes and Exchange Control purposes copies have been lost. Therefore, in exercise of the powers conferred under Sub-clause 9(cc) of the Imports (Control) Order 1955, dated 7-12-1955 as amended, the said original Customs Purposes and Exchange Control purposes copies of Licence No. P/CG/2067191, dated 14-5-1975 issued to M/s. A. Mohamed Khasim & Co. Madras are hereby cancelled.

3. The duplicate Customs Purposes and Exchange Control purposes copies of the said licence are being issued separately to the licensee.

[No. 735/74/31/CG-IV/4806]

आदेश

का० आ० 2663.—सर्वश्री रेन बाक्सी लेबोरेट्रीज प्राइवेट लि०, नई दिल्ली को एक आयात लाइसेंस संख्या: पी/सी जी/2066893/आर/केके/50/एच/37-38/सीजी-4, दिनांक 13-3-1974 प्रदान किया गया था। उन्होंने उक्त आयात लाइसेंस की अनुलिपि प्रति जारी करने के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि मूल सीमाशुल्क निकासी प्रति अस्थानस्थ हो गई/खो गई है। यह भी उल्लेख किया गया है कि मूल सीमाशुल्क निकासी प्रति किसी भी सीमाशुल्क प्राधिकरण में पंजीकृत नहीं की गई थी। कुल धनराशि जिसके लिए लाइसेंस जारी किया गया था, 1,98,652/- रुपये (एक लाख अट्ठानवे हजार छः सौ बावन रुपये मात्र) है और कुल धनराशि जिसके लिए मूल प्रति का उपयोग किया गया है कुछ नहीं है। अब अनुलिपि प्रति की आवश्यकता 1,98,652 रुपये (एक लाख अट्ठानवे हजार छः सौ बावन रुपये मात्र) के लिए है।

2. इस तर्क के समर्थन में आवेदक ने नोटरी पब्लिक, दिल्ली के सामने विधिवत् शपथ लेकर एक शपथ पत्र दाखिल किया है। तदनुसार मैं संतुष्ट हूं कि उक्त लाइसेंस की मूल सीमशुल्क निकासी प्रति खो गई है। इसलिए यथा संशोधित आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 दिनांक 7-12-1955 की उप-धारा 9(सीसी) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए सर्वश्री रेन बाक्सी लेबोरेट्रीज प्राइवेट लि०, नई दिल्ली को जारी किए गए लाइसेंस संख्या: पी/सीजी/2066893, दिनांक 13-3-74 की उक्त मूल सीमाशुल्क निकासी प्रति एतद्द्वारा रद्द की जाती है।

3. उक्त लाइसेंस की सीमाशुल्क निकासी प्रति की अनुलिपि प्रति अलग से जारी की जा रही है।

[संख्या 22(41)/73-74/सीजी-4/4807]

चन्द्र गुप्त, उप-मुख्य नियंत्रक,

ORDER

S.O. 2663.—M/s. Ranbaxy Laboratories Private Ltd., New Delhi were granted an import licence No. P/CG/2066893/R/KK/50/H/37-38/CG. IV dated 13-3-1974. They have applied for the issue of a duplicate Customs Purposes of the said import licence on the ground that the original Customs Purposes copy has been misplaced/lost. It is further stated that the original Customs Purposes copy was not registered with any customs authorities. The total amount for which the licence was issued is Rs. 1,98,652/- (Rupees one lakh, ninety eight thousand, six hundred and fifty two only) and the total amount for which the original copy was utilised is nil. The duplicate copy now required is Rs. 1,98,652/- (Rupees one lakh ninety eight thousand, six hundred and fifty two only).

2. In support of this contention, the applicant has filed an affidavit duly sworn in before the Notary Public, Delhi. I am accordingly satisfied that the original Customs Purposes copy of the said licence has been lost. Therefore, in exercise of powers conferred under sub-clause 9(cc) of the Import (Control) Order, 1955, dated 7-12-1955 as amended the said original Customs Purposes copy of licence No. P/CG/2066893, dated 13-3-1974 issued to M/s. Ranbaxy Laboratories Private Ltd., New Delhi is hereby cancelled.

3. A duplicate Customs Purposes copy of the said licence is being issued separately.

[No. 22(41)/73-74/CG. IV/4807]
CHANDRA GUPTA, Dy. Chief Controller.

आदेश

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 1975

का० आ० 2664.—राज्य व्यापार निगम भारत लि०, नई दिल्ली को सामान्य मुद्रा क्षेत्र से सिन्थेटिक रबड़ के आयात के लिए 52,870/- रु० का एक आयात लाइसेंस संख्या: जी०/टी०/2413947, दिनांक 26-4-74 स्वीकृत किया गया था। उन्होंने उक्त लाइसेंस की अनुलिपि मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि उपर्युक्त लाइसेंस की मूल मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति उनके द्वारा खो गई है। लाइसेंसधारी द्वारा आगे यह बताया गया है कि लाइसेंस भारत के किसी भी पत्तन पर पंजीकृत नहीं करवाया गया था।

अपने तर्क के समर्थन में आवेदक ने एक शपथपत्र दाखिल किया है। अधोहस्ताक्षरी संतुष्ट है कि लाइसेंस सं० : जी०/टी०/2413947, दिनांक 26-4-1974 की मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति खो गई है और निदेश देता है कि उन्हें उक्त लाइसेंस की अनुलिपि मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति जारी की जानी चाहिये। लाइसेंस की मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति इसके द्वारा रद्द की जाती है।

लाइसेंस सं० : जी०/टी०/2413947 की मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति अलग से जारी की जा रही है।

[सं० एस० टी० सी०/रबड़ 10-23/73-75/आर० एम०-सेल/792]

के० आर० श्रीनिवासन, उप-मुख्य नियंत्रक

ORDER

New Delhi, the 31st July, 1975

S.O. 2664.—The State Trading Corporation of India Ltd. New Delhi were granted licence No. G/T/2413947, dated 26-4-74 for the import of Synthetic Rubber from G.C.A. to the value of Rs. 52,870. They have requested for the issue of duplicate Exchange Control copy of the above noted licence on the ground that the Original Exchange Control copy of the above licence has been lost by them. It has been further reported by licensee that the licence has not been registered with any port in India.

In support of their contention, the applicant have filed an affidavit. The undersigned is satisfied that Exchange Control copy of the licence No. G/T/2413947, dated 26-4-74 has been lost and direct that E.C. Copy of the said licence should be issued to them. The Exchange Control copy of the licence is hereby cancelled.

E.C. Copy of the licence No. G/T/2413947 is being issued separately.

[File No. STC/Rubber-10-13/74-75/RMC/792]
K. R. SRINIVASAN, Dy. Chief Controller

लाइसेंस रद्द करने का आदेश

नई दिल्ली, 2 जुलाई, 1975

का० आ० 2665.—सर्वश्री माथुर एक्सपोर्टस, ए-189, डिफेन्स कालोनी, नई दिल्ली को रेडबुक 74-75 के वा० 2 के डी० 2.2 के सामने कालम (4) की मदों के लिए 8080/- रुपये मूल्य का आयात लाइसेंस सं० पी/के/2728732, दिनांक 27-7-74 प्रदान किया गया था । उन्होंने बताया है कि विषयाधीन लाइसेंस उन्हें प्राप्त नहीं हुआ है।

2. मैं संतुष्ट हूं कि उक्त लाइसेंस की सीमाशुल्क निकासी प्रति और मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति दोनों डाक मार्ग में खो गई/अस्थानस्थ हो गई हैं।

3. अद्यतन यथा संशोधित आयात व्यापार नियंत्रण आदेश, 1955 दिनांक 7-12-1955 की विषयक धारा 9(सी) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उक्त लाइसेंस सं० पी/के/2728732 दिनांक 27-7-74 की सीमाशुल्क निकासी प्रति और मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति एतद् द्वारा रद्द की जाती हैं।

[मि० सं० लेदर-47/ए०जे०-73/एस सी-5/सी० एल० ए०]
एम० जी० गोम्बर, उप-मुख्य नियंत्रक,
कृते संयुक्त मुख्य नियंत्रक

CANCELLATION ORDER

New Delhi, the 2nd July, 1975

S.O. 2665.—M/s. Mathur Exports, A-189, Defence Colony, New Delhi were granted an import L. No. P/K/2728732, dt. 27-7-1974 for Rs. 8080/- for column (4) items against D. 2.2. of volume II Red Book 74-75. They have stated that the licence in question has not been received by them.

2. I am satisfied that the both original Customs Purposes and Exchange Control copy of the said licence have been lost/misplaced in transit.

3. In exercise of the powers conferred on me under subject clause (9) (c) in the Import Trade Control Order 1955, dated 7-12-1955 as amended upto date the said licence No. P/K/2728732, dt. 27-7-1974 Customs Purposes as well as Exchange Control copy is hereby cancelled.

[File No. Leather 47/AJ-73/SC-V/CLA]
M. G. GOMBAR, Dy. Chief Controller
for Jt. Chief Controller

संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात का कार्यालय

आदेश

कलकत्ता, 31 जुलाई, 1975

का० आ० 2666.—सर्वश्री डी० एस० चौबे एंड सन्स (प्रा०) लि० 4/1 सदर स्ट्रीट, कलकत्ता-16 को अप्रैल/मार्च'74 अवधि के लिए निम्नलिखित आयात लाइसेंस जारी किया गया था :—

लाइसेंस सं० एवं दिनांक	विवरण	मूल्य
पी०/ई०/0240018/सी०/एक्स एक्स/47 सी०/36-37 दिनांक 8-6-73	'अप्रैल/मार्च'74 अवधि के लिए आयात नीति के अनुसार घड़ियों के पुर्जे ।	1250/- (एक हजार दो सौ पचास रुपये मात्र)

उन्होंने उक्त आयात लाइसेंस के पूरे मूल्य अर्थात् 1250/- रुपए के लिए अनुलिपि मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रयोजन प्रति के लिए इस आधार पर आवेदन किया है चूंकि उन्होंने इस बात की पुष्टि कर ली है कि लाइसेंस की मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रयोजन प्रति सीमाशुल्क कार्यालय, कलकत्ता के पास पंजीकृत कराने के बाद एवं उसका 1039 रुपए के लिए उपयोग कर लेने के बाद खो गई/अस्थानस्थ हो गई है । अब अनुलिपि मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रयोजन प्रति की आवश्यकता अप्रैल/मार्च'75 अवधि के लिए आवृत्ति प्रचालन के लिए है ।

2. इस तर्क के समर्थन में आवेदक ने महानगरीय मजिस्ट्रेट, तृतीय कोर्ट, कलकत्ता द्वारा विधिवत साक्ष्यांकित स्टाम्प कागज पर एक शपथ पत्र दाखिल किया है ।

3. मैं संतुष्ट हूं कि आयात लाइसेंस सं० पी०/ई०/0240018/सी/एक्स एक्स/47/सी/36-37 दिनांक 8-6-73 की मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रयोजन प्रति खो गई/अस्थानस्थ हो गई है और निदेश देता हूं कि आवेदक को अप्रैल-मार्च/75 अवधि के लिए आवृत्ति प्रचालन के लिए आयात लाइसेंस के पूरे मूल्य अर्थात् 1250 रुपये के लिए अनुलिपि मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रयोजन प्रति जारी की जानी चाहिए । 1250 रुपए के लिए उक्त आयात लाइसेंस की मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रयोजन प्रति रद्द की जाती है ।

[संख्या : ई - 07005/12/ए एम'74]

एस० क० शाह, उप-मुख्य नियंत्रक

OFFICE OF THE JOINT CHIEF CONTROLLER OF EXPORTS AND IMPORTS

ORDER

Calcutta, 31st July, 1975

S.O. 2666.—M/s. D. S. Chowbey & Sons (P) Ltd., 4/1 Sudder St. Calcutta-16 were issued import licence for the period April/March 74 as under :—

Licence No & Date	Description	Value
P/E/0240018/C/XX/47/C/36-37 Dated 8-6-73	Parts of Watches as per import Policy Book for A/M' 74 period	Rs. 1250/- (Rupees one thousand two hundred and fifty only)

They have applied for duplicate Exchange Control Purposes copy of the above import licence for the full value of Rs. 1250 since they have confirmed that the Exchange Control Purposes Copy of the above licence has been lost/misplaced having been registered with Customs House, Calcutta and utilised upto Rs. 1039. The total amount for which the original licence was issued is Rs. 1250 and the original licence was utilised upto Rs. 1039. The duplicate Exchange Control Purposes copy is now required for Repeat Operation for A/M' 75 period.

2. In support of this contention the applicant has filed an affidavit on a stamped paper duly attested by Metropoliton Magistrate, 3rd. Court, Calcutta.

3. I am satisfied that the Exchange Control Purposes copy of import licence No. P/E/0240018/C/XX/47/C/36-37 dated 8-6-73 has been lost/misplaced and direct that the duplicate Exchange Control Purposes copy of the import licence for the full value of Rs. 1250 should be issued to the applicant for repeat operation for AM'75 period. The Exchange Control Purposes copy of the above import licence is cancelled for the amount of Rs. 1250.

[No. EI/07005/12/AM'74/523]
S. K. SAHA, Dy. Chief Controller.

आदेश

नई दिल्ली, 16 अगस्त, 1975

का. आ. 2667.—भारत रक्षा नियम, 1971 के नियम 140 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार शिलांग स्थित कस्टम और सेन्ट्रल एक्साइज के कलक्टर श्री एस. सी. नियोगी को श्री एच. आर. सईम के, जिन्हें स्थानान्तरित कर दिया गया है, स्थान पर 9 जून, 1975 से आसाम तथा मेघालय के लिए शत्रु फर्मों के उपनियंत्रक के रूप में एतद्द्वारा नियुक्त करती है।

फा. सं. 12(53)/75-ई. आई. एण्ड ई. पी.
के. वी. बालसुब्रह्मणियम, उप निदेशक

ORDER

New Delhi, the 16th August, 1975

S.O. 2667.—In exercise of the powers conferred by rule 140 of the Defence of India Rules, 1971, the Central Government hereby appoints Shri S. C. Niyogi, Collector of Csutoms and Central Excise, Shillong as Deputy Controller of Enemy Firms for Assam and Meghalaya with effect from 9th June, 1975 vice Shri H. R. Syiem transferred.

[F No. 12(53)/75-EI&EP]
K. V. BALASUBRAMANIAM, Deputy Director

संचार मंत्रालय

(डाक-तार बोर्ड)

नई दिल्ली, 8 अगस्त, 1975

का० आ० 2668.—स्थायी आदेश संख्या 627, दिनांक 8 मार्च, 1960 द्वारा लागू किए गए भारतीय तार नियम, 1951 के नियम 434 के खंड III के पैरा (क) के अनुसार डाक-तार महानिदेशक ने गोकाक टेलीफोन केन्द्र में दिनांक 1-9-75 से प्रमाणित दर प्रणाली लागू करने का निश्चय किया है।

[सं० 5-4/75-पी० एच०बी०]
ह. (अपठनीय)
तार निदेशक (ई)

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(P. & T. Board)

New Delhi, the 8th August, 1975

S.O. 2668.—In pursuance of para (a) of Section III of Rule 434 of Indian Telegraph Rules, 1951, as introduced by S.O. No. 627 dated 8th March, 1960, the Director General Posts and Telegraphs, hereby specifies the 1-9-75 as the date on which the Measured Rate System will be introduced in Gokak Telephone Exchange, Karnataka Circle.

[No. 5-4/75-PHB]
Sd/- (Illegible)
Director Phones (E)

उद्योग तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालय

भारतीय मानक संस्था

नई दिल्ली, 24 जुलाई, 1975

का० आ० 2669.—समय-समय पर संशोधित भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिह्न) विनियम 1955 के विनियम 3 के उपविनियम (2) और (3) के अनुसार भारतीय मानक संस्था द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि नीचे अनुसूची में जिन मानकों के ब्यौरे दिए गए हैं, 1 मार्च से 31 मार्च, 1974 की अवधि में निर्धारित किए गए हैं :

अनुसूची

क्रम संख्या	निर्धारित भारतीय मानक की पदसंख्या और शीर्षक	नए भारतीय मानक द्वारा रद्द किए हुए भारतीय मानक की पदसंख्या और शीर्षक	संक्षिप्त विवरण
1	2	3	4
1.	IS : 199-1973 कोरी और फिनिश दी सूती वस्त्र सामग्रियों में नमी, कुल माड़ी अथवा फिनिश, राख और वसा की मात्रा की अकलन पद्धति (दूसरा पुनरीक्षण)	IS : 199-1957 कोरी और फिनिश दी सूती वस्त्र सामग्रियों में नमी, कुल माड़ी अथवा फिनिश, राख और वसा की मात्रा की अकलन पद्धति (पुनरीक्षित)	इस मानक में कोरी अथवा फिनिश दी गई सूती वस्त्र सामग्रियों में नमी, कुल माड़ी अथवा फिनिश, राख और वसा की मात्रा के आकलन की पद्धतियां बताई गई हैं। (मूल्य रु० 4.00)
2.	IS : 273-1973 कुदाली और गैंती की विशिष्टि (दूसरा पुनरीक्षण)	IS : 273-1961 कुदाली और गैंती की विशिष्टि (पुनरीक्षित)	इस मानक में सामान्य रूप से काम में आने वाली तीन प्रकार की कुदालों और दो प्रकार की गैंतियों के विषय में अपेक्षायें दी गई हैं। (मूल्य रु० 4.00)

2	3	4
3. IS : 361-1973 सामान्य बूटाइल अल्कोहल, तकनीकी की विशिष्टि (दूसरा पुनरीक्षण)	IS: 361-1962 सामान्य बूटाइल अल्कोहल, तकनीकी की विशिष्ट (पुनरीक्षित)	इस मानक में सामान्य बूटाइल अल्कोहल तकनीकी के विषय में अपेक्षाएं और बानगी लेने तथा परीक्षण की पद्धतियां बताई गई हैं। ये पदार्थ औद्योगिक घोलक के रूप में और विशेष रूप से रंगरोगन में पतला करने अथवा घोलक के रूप में प्रयोग किया जाता । (मूल्य रु० 6.00)
4. *IS : 1115-1973 कटाई तेल, घुलनशील की की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	IS : 1115-1957 कटाई तेल घुलनशील की विशिष्टि	इस मानक में कटाई तेल घुलनशील के विषय में अपेक्षाएं और बानगी लेने तथा प्रशिक्षण की की पद्धतियां दी गई हैं। इस तेल का उपयोग उन मशीनों में किया जाता है जहां कटाई औजारों में प्रशीतक और स्नेहक पदार्थ के रूप में ऐसे उपयुक्त कटाई तेल का प्रयोग किया जा सकता हो जिससे अपार दर्शी जलीय इमलसन बनता हो। (मूल्य रु० 4.00)
5. IS : 2021-1973 धात्विक मैंगनीज की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	IS : 2021 1962 धात्विक मैंगनीज की विशिष्ट	इस मानक में लोह और अलोह धातु उद्योग में आमतौर पर काम में आने वाली धात्विक मैंगनीज के विषय में अपेक्षाएं दी गई हैं। (मूल्य रु० 3.00)
6. IS : 2106(भाग 13)-1973 इलेक्ट्रानिक विद्युत साजसामान का परिवातीय परीक्षण भाग 13 फफूंदी लगने सम्बन्धी परीक्षण (पहला पुनरीक्षण)	IS : 2106(भाग 13)-1966 इलेक्ट्रानिक विद्युत साजसामान का परिवातीय परीक्षण भाग 13 फफूंदी लगने सम्बन्धी परीक्षण	इस मानक में इलेक्ट्रानिक और बिजली के तथा ऐसे ही तकनीकों वाले साजसामान के परिवातीय परीक्षण के भाग स्वरूप, फफूंदी लगने की परीक्षण की विधि विस्तार सहित बताई गई हैं। (मूल्य रु० 5.00)
7. IS : 2111-1973 नसवार की विशिष्ट (पहला पुनरीक्षण)	IS : 2111-1962 नसवार की विशिष्टि	इस मानक में भारत में निर्मित नसवार के विषय में गुणता, पैकिंग सम्बन्धी अपेक्षाएं और परीक्षण पद्धतियां बताई गई हैं । इस मानक में नसवार की सुगंध को नहीं लिया गया है। (मूल्य रु० 5.00)
8. IS : 2183-1973 उच्च दाब पारा वाष्प बत्तियों की अनुसूची (पहला पुनरीक्षण)	IS : 2183-1963 उच्चदाब पारा वाष्प बत्तियों की अनुसूची ।	इस मानक में सामान्य रूप से काम आने वाली उच्च दाब परावाष्प बत्तियों के प्रकारों के विषय में सिफारिशें दी गई हैं। साथ ही उनके अनिवार्य विद्युत लक्षण भी बताए गए हैं जिससे उनके पुर्जों की अदला-बदली और नियंत्रण कार्य के लिए बत्तियों के सहायक अंगों की डिजाइन, उनके समग्र माप, तथा टोपियों के ब्यौरे के विषय में मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। (मूल्य रु० 3.00)
9. IS : 3677-1973 ताप रोधन के लिए छुट्टा शैल और मल ऊन की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	(i) IS : 3677-1966 ताप रोधन के लिए शैल और मल ऊन की गद्दियों की विशिष्टि (ii) IS : 5696-1970 छुट्टा खनिज ऊन (शैल ऊन और मल ऊन) की विशिष्टि	इस मानक में पताप रोधन के लिए छुट्टा शल ऊन और मल ऊन के विषय में अपेक्षाएं और बानगी लेने तथा परीक्षण की पद्धतियां बताई गई हैं। (मूल्य रु० 5.00)
10. IS : 3850-1973 सूखी नमक लगी धारा और सूखी नमक लगी घोल मछली की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	IS : 3850-1966 सूखी नमक लगी धारा और सूखी नमक लगी घोल मछली की विशिष्टि	इस मानक में सूखी नमक लगी धारा (पोली-डैक्टाइल्स इंडीक्स और सूडोसायना डायकन्थस के विषय में अपेक्षाएं और बानगी लेने तथा परीक्षण की पद्धतियां दी गई हैं। (मूल्य रु 5.00)
11. IS : 4307-1973 पशु आहार के रूप में मछली चूरे की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	IS : 4307-1967 पशु आहार के रूप में मछली चूरे की विशिष्टि	इस मानक में पशु आहार के रूप में काम आने वाली मछली चूरे के विषय में अपेक्षाएं और बानगी लेने तथा परीक्षण की पद्धतियां बताई गई हैं। (मूल्य रु० 6.00)

*भा मा० संस्था प्रमाणन मुहर योजना के लिए IS : 1115-1973, 1 जुलाई 1974 से लागू होगा।

(1)	(2)	(3)	(4)
12.	IS : 6789–1972 कावला लगे ज्वालासह केबल कपलर और एडाप्टर की विशिष्टि	——	इस मानक में 3,000 अम्पीयर तक के रेटिंग वाले की कावला लगे ज्वालासह केबल कपलर और एडाप्टर की डिजाइन और निर्माण सम्बन्धी अनिवार्य बातें बताई गई हैं। ये कपलर और एडाप्टर खानों में 3.3 किलो से अनधिक वोल्टता पर दो केबलों को जोड़ने अथवा एक केबल को किसी एक उपकरण से जोड़ने के काम आते हैं। (मूल्य रु० 8.50)
13.	IS : 6916–1973 इस्पात की ढली वस्तुओं की पिटवां वेल्डिंग की रीतिसंहिता	——	इस मानक में इस्पात की ऐसी ढली वस्तुओं को गलन वेल्डिंग द्वारा जोड़ने के विषय में अपेक्षाएं दी गई हैं जिनमें अन्तिम गढ़ाई के पुर्जे पिटवा वेल्डिंग के लिए डिजाइन किए गए हों अथवा जहां वेल्डिंग फाउंड्री में आयोजना की अवस्था में ही लागू कर दी गई हो। (मूल्य रु० 10.50)
14.	IS : 6999–1973 कृत्रिम गर्भाधान के लिए कैनूला की विशिटि	——	इस मानक में कृत्रिम गर्भाधान में प्रयुक्त कैनूला के विषय में माप सम्बन्धी तथा अन्य अपेक्षाएं बताई गई हैं। (मूल्य रु० 3.00)
15.	IS : 7003–1973 साबूदाना बनाने की इकाइयों के लिए स्वास्थ्य सम्बन्धी स्थितियों की संहिता	——	इस मानक में साबूदाना बनाने वाली इकाइयां स्थापित करने और उनके रखरखाव के लिए अवश्यक स्वास्थ्यकारी स्थितियां बताई गई हैं। (मूल्य रु० 4.00)
16.	IS : 7012–1973 ऐक्स-रे ट्यूब शील्ड की विशिष्टि	——	इस मानक में ऐक्स-रे ट्यूब में लगी हुई शील्डों के विषय में अनिवार्य लक्षण, माप सम्बन्धी अपेक्षाएं तथा अन्य तकनीकी बातें निर्धारित की गई हैं। (मूल्य रु० 2.50)
17.	IS : 7018–1973 मापकों की तकनीकी सप्लाई सम्बन्धी तकनीकी शर्तें	——	इस मानक में मापक की सप्लाई की तकनीकी शर्तों के अधीन आवश्यक रेखीय कोणीय और चूड़ी के माप बताए गए हैं। (मूल्य रु० 5.00)
18.	IS : 7037 (भाग 1)–1973 द्रवों और गैसों के लिए आई एस ओ सिरीज 1 के टंकी धारकों की विशिष्टि भाग 1 सामान्य अपेक्षयएं	——	इस मानक में आई एस ओ सिरीज 1 के टंकी धारकों के विषय में मूलभूत अपेक्षाएं दी गई हैं। ये टंकी धारक द्रवों के वाहनों के लिए और गैसों के दाब पर अथवा नीचे की ओर निकालने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आवात प्रवात के लिए सड़क, रेल और समुद्र द्वारा अथवा एक प्रकार के परिवहन से दूसरे प्रकार के परिवहन पर लादे जाने के लिए उपयुक्त होते हैं इस मानक में न्यूनतम अपेक्षाएं निर्धारित की गई हैं यदि इन टंकी धारकों में खतरनाक सामान ले जाना जाना हो तो डिजाइन, निर्माण, परीक्षण सूचना अंकन और प्रमाणन के सम्बन्ध में अधिकारियों द्वारा अतिरिक्त अपेक्षाएं भी निर्धारित की जा सकती हैं। (मूल्य रु० 5.00)
19.	IS : 7037 (भाग 2)–1973 द्रवों और गैसों के लिए आई एस ओ सिरीज 1 के टंकी धारकों की विशिष्टि भाग 2 परीक्षण	——	इस मानक में द्रवों और गैसों की टंकी धारकों पर किए जाने वाली परीक्षण बताए गए हैं। (मूल्य रु० 5.00)

(1)	(2)	(3)	(4)
20.	IS : 7064–1973 10 किवो से 400 किवो पर काम करने वाले चिकित्सा ऐक्स-रे साज सामान से विकिरण से बचाव की विशिष्टि	---	इस मानक में अयोनकारी विकरण से मरीजों और और कर्मचारियों के बचाव के लिए उपाय बताए गए हैं। ये उपाय 10 किवो से 400 किवो की अधिकतम विभव अंतर पर काम करने वाले चिकित्सा ऐक्स-रे साज समान की डिजाइन के अनुरूप होते है। (मूल्य रु० 10.00)
21.	IS : 7076–1973 पुस्तकों के धातु के रोकों की विशिष्टि	---	इस मानक में पुस्तकों के धातु के रोकों के विषय में लगने वाली सामग्री, आकार, निर्माण और तैयार सम्बन्धी अपेक्षाएं दी गई है। (मूल्य रु० 2.50)
22.	IS : 7077–1973 मोड़क छड़ों की विशिष्ट	---	इस मानक में मोड़क छड़ों के विषय मे सामान्य अपेक्षाएं दी गई है। (मूल्य रु० 3.00)
23.	IS : 7084–1973 विद्युत कार्यों के लिए बिट्-यूमिन के बने भराव पदार्थों की विशिष्टि		इस मानक में बिजली के कार्यों मे भराई के काम आने वाले बिट्यूमनी प्रकार के भराव पदार्थों के विषय में अपेक्षाएं दी गई है। (मूल्य रु० 9.50)
24.	IS : 7096–1973 धात्विक सामग्रियों के लिए शोर कठोरता परीक्षण की पद्धति	---	इस मानक में शोर दृढ़तादर्शी द्वारा कठोरता मापन की पद्धति निर्धारित की गई हैं। (मूल्य रु० 2.50)
25.	IS : 7097–1973 नूप कठोरता परीक्षण मशीन की जांच के लिए मानकीकृत ब्लाकों की अनुसंशोधन पद्धति	---	इस मानक में नूप परीक्षण मशीनों की परोक्ष रूप में जांच करने के लिए प्रयुक्त ब्लाकों की अनुसंशोधन की पद्धति निर्धारित की गई है। (मूल्य रु० 2.50)
26.	IS : 7108–1973 नाखून निकालने के कुंटमर यंत्र के हथौड़े की विशिष्टि	---	इस मानक मेंवकलांगता सिर्जरी मे काम आने वाले नाखून निकालने के कुंटमर यंत्र के लिए प्रयुक्त हथौड़े के विषय में माप सम्बन्धी तथा अन्य अपेक्षाएं निर्धारित की गई हैं। (मूल्य रु० 3.00)
27.	IS : 7115–1973 नलियों के मुंह नापने की उपकरण की विशिष्टि	---	इस मानक में समंजनीय रबड़ की डाट वाले वाले कैनूला में लगी हुई नलियों के मुखों के परीक्षण के लिए काम आने वाले उपकरणों के विषय में माप सम्बन्धी तथा अन्द अपेक्षाएं बताई गई हैं। (मूल्य रु० 3.00)

इन भारतीय मानकों की प्रतियां बिक्री के लिए भारतीय मानक संस्था, मानक भवन, 9 बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110001 तथा इसके शाखा कार्यालयों : अहमदाबाद, बंगलोर, बम्बई कलकत्ता, चंडीगढ़, हैदराबाद, कानपुर, मद्रास और पटना में उपलब्ध हैं।

[सं० सी० एम डी/13 · 2]

MINISTRY OF INDUSTRY AND CIVIL SUPPLIES

(Indian Standards Insitution)

New Delhi, the 24th July, 1975

S.O. 2669.—In pursuance of Sub-regulations (2) and (3) of regulation 3 of Indian Standards Institution (Certification Marks) Regulations, 1955 the Indian Standards Institution hereby notifies that the Indian Standard (s), particulars of which are given in the Schedule hereto annexed, have been established during the period 1 to 31 March, 1974.

SCHEDULE

Sl. No.	No. and Title of the Indian Standard Established	No. and Title of the Indian Standard or Standards, if any, superseded by the new Indian Standard.	Brief Particulars
1	2	3	4
1.	IS: 199-1973 Methods for estimation of moisture, total size or finish, ash and fatty matter in grey and finished cotton textile materials (Second Revision)	IS: 199-1857 Methods for estimation of moisture, total size or finish, ash and fatty matter in grey and finished cotton textile materials (revised)	This standard prescribes methods for estimating (a) moisture, (b) total size or finish, (c) ash, and (d) fatty matter in grey and finished cotton textiles materials (Price Rs. 4.00)

1	2	3	4
2.	IS: 273-1973 Specification for picks and beaters (Second Revision)	IS: 273-1961 Specification for picks and beaters (revised)	This standard gives the requirements for three types of picks and two types of beaters intended for general use (Price. Rs. 4.00)
3.	IS: 361-1973 Specification for normal butyl alcohol, technical (Second Revision)	IS: 361-1962 Specification for normal butyl alcohol, technical (revised)	This standard prescribes requirements and methods of sampling and test for normal butyl alcohol technical which is used as an industrial solvent and especially as a thinner and solvent for paints. (Price Rs. 6.00)
4.	*IS:115-1973 Specification for cutting oil, soluble (First Revision)	IS: 1115-1957 Specification for oil, cutting soluble	This standard prescribes the requirements and the methods of sampling and test for cutting oil, soluble intended for use in machines where the use of a suitable cutting oil giving a non-transparent aqueous emulision is permissible as coolant and lubricant for cutting tools. (Price Rs. 4.00)
5.	IS: 2021-1973 Specification for metallic manganese (First Revision)	IS: 2021-1962 Specification for metallic manganese	This standard gives the requirements of metallic manganese commonly used in the ferrous and non-ferrous metals industry. (Price Rs. 3.00)
6.	IS:2106 (Part XIII)-1973 Environmental tests for electronic and electrical equipment Part XIII mould growth test (First Revision)	IS:2106 (Part XIII)-1966 Environmentals tests for electronic equipment Part XIII Mould growth test.	This standard gives details of the procedure for application of mould growth test as part of the environmental testing of electronic and electrical and other equipment employing similar techniques. (Price Rs. 5.00)
7.	IS:2111-1973 Specification for snuff (First Revision)	IS :2111-1962 Specification for snuff	This standard prescribes the requirements for quality, packing, and the methods of test for snuff manufactured in India. This standard does not cover the requirements for flabour and aroma of snuff (Price Rs. 5.00)
8.	IS:2183-1973 Schedule for high pressure mercury vapour lamps (First Revision)	IS: 2183-1963 Schedule for high pressure mercury vapour lamps	This standard lays down recommended types of high pressure mercury vapour lamps in general use together with their essential electrical characteristics to guide the design of lamp accessories, and their overall dimensions and cap details to control interchangeability. (Price Rs. 3.00)
9.	IS:3677-1973 Specification for unbonded rock and slag wool for thermal insulation (First Revision)	(a) IS:3677-1966 Specification for rock and slag wool mats for thermal insulation: and (b) IS: 5696-1970 Specification for loose mineral wool (rock wool and slag wool)	This standard prescribes the requirements and the methods of sampling and tests for unbonded rock and slag wool for thermal insulation (Price Rs. 5.00)
10.	IS:3850-1973 Specification for dry-salted thread fin (DARA and dry-salted jew fish (GHOL) (First Revision)	IS: 3850-1966 Specification for dry-salted thread fin (DARA) and dry-salted jew fish (GHOL)	This standard prescribes requirements and methods of sampling and test for dry-salted thread in (DARA) Polydactyus indicus and dry-salted jew fish (GHOL) Pseudosciaena diacanthus). (Price Rs. 5.00)
11.	IS : 4307-1973 Specification for fish meal as livestock feed (First Revision)	IS : 4307-1967 Specification for fish meal as livestock feed.)	This standard prescribes requirements and methods of sampling and test for fish meal meant for livestock feeding. (Prices Rs. 6.00)
12.	IS:6789-1972 Specified for bolted flameproof cable couplers and adaptors.	—	This standard prescribes essential features of design and construction of bolted flameproof cable couplers and adaptors up to and including 3000 A rating, primarily for use in mines for coupling two cables or for coupling a cable to an apparatus at a supply voltage not exceeding 3.3 kV (Price Rs. 8.50)

*For purposes of ISI Certification Marks Scheme; IS : 1115-1973 shall come into force with effect from 1st July, 1974

1	2	3	4
	IS : 6916-1973 Code of practice for fabrication welding of steel castings	——	This standard specifies requirements for the joining together of steel castings by fusion welding, where the components of the final fabrications are designed for that purpose or when welding is introduced at the foundry planning stage. (Price Rs. 10.50)
14.	IS:6999-1973 Specification for cannula, artificial insemination.	——	This standard specifies the dimensional and other requirements for artificial insemination cannula. (Price Rs. 3.00)
15.	IS : 7003-1973 Code for hygienic conditions for sago (Saboodana) manufacturing units	——	This code prescribes the hygienic conditions required for establishing and maintaining sago (Saboodana) manufacturing units (Price Rs. 4.00)
16.	IS: 7012-1973 Specification for X- ray tube shield	——	This standard lays down the essential characteristics, dimensional requirements and other technical data relating to X-ray tube shields. (Price Rs. 2.50)
17.	IS: 7018-1973 Technical supply conditions for gauges.	——	This standard deals with the technical supply conditions for gauges for liner, angular and thread measurements. (Price Rs. 5.00)
18.	IS : 7037 (Part I)-1973 Specification for ISO series 1 tank containers for liquids and gases Part I general requirements	——	This standard specifies the basic requirements of ISO series I tank containers suitable for the carriage of liquid and for gases, either for gravity or pressure discharge, for international exchange and for conveyance by road, rail and sea including interchange between these forms of transport. The requirements of this standard are minimum. Where tank containers are required to be used for the carriage of dangerous goods, the design, construction, testing, marking and certification may be subject to additional requirements by competent authorities (Price Rs. 5.00)
19.	IS : 7037 (Part II)-1973 Specification for ISO series 1 tank containers for liquids and gases Part II testing	——	This standard prescribes the tests to be carried out on tank containers for liquids and gases. (Price Rs. 5.00)
20.	IS : 7004-1973 Specification for radiation protection in medical X-ray equipment operating at 10 kV. to 500 kV.	——	This standard specifies measures for the protection of patient and personnel against ionizing radiation, which govern the design of medical X-ray equipment with maximum potential differences from 10 kV to 400 kV. (Price Rs. 10.00)
21.	IS : 7076-1973 Specification for metal book ends	——	This standard lays down requirements for materials, size manufacture and finish of metal book ends. (Price Rs. 2.50)
22.	IS: 7077-1973 Specification for bending bars	——	This standard lays down the general requirements for bending bars. (Price Rs. 3.00)
23.	IS:7084-1973 Specification for bitumen based filling compounds for electrical purposes	——	This standard covers compounds of bituminous nature suitable for use as filling compounds for electrical purposes. (Price Rs. 9.50)
24.	IS:7096-1973 Method of shore hardness test for metallic materials	——	This standrad prescribes the method of measuring rebound hardness by the shore scleroscope. (Price Rs. 2.50)
25.	IS:7097-1973 Method for calibration of standardized blocks for verification of Knoop hardness testing machines	——	This standard prescribe the method for calibration of blocks for indirect verification of Knoop hardness testing machines (Price Rs. 2.50)
26.	IS:7108-1973 Specification for hammer for Kuntscher nail extractor	——	This standard specifies dimensional and other requirement for hammer for Kuntscher nail extractor used in orthopaedic surgery. (Price Rs. 3.00)
27.	IS:7115-1973 Specification for apparatus tubal patency		This standard specifies the dimensional and other requirements for apparatus for testing tubal patency fitted with cannula having adjustable rubber stopper. (Price Rs. 3.00)

Copies of these Indian Standards are available for sale with the Indian Standards Institution, Manak Bhavan, 9, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110001 and also its branch offices at Ahmedabad, Bangalore, Bombay, Calcutta, Chandigarh, Hyderabad, Kanpur, Madras and Patna.

[No.CMD/13:2]

का० ग्रा० 2670.—समय-समय पर संशोधित भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिह्न) विनियम, 1955 के विनियम 4 के अनुसार भारतीय मानक संस्था द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि उक्त विनियम (3) के उप विनियम (1) के अनुसार प्राप्त अधिकारों के अधीन यहां अनुसूची में दिये भारतीय मानकों के संशोधन जारी किये गए हैं :—

अनुसूची

क्रम सं०	संशोधित भारतीय मानक की पद-संख्या और शीर्षक	जिस राजपत्र में भारतीय मानक के तैयार होने की सूचना छपी थी उसकी एस ग्रो संख्या और दिनांक	संशोधित मानक की संख्या और दिनांक	संशोधन का संक्षिप्त विवरण	संशोधन लागू होने की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	**IS**: 20-1959 बर्तनों के लिये ढलवां एलुमिनियम और एलुमिनियम मिश्र धातु (दूसरा पुनरीक्षण)	एस ग्रो 2834 दिनांक 26 दिसम्बर, 1959	संख्या 2 अक्तूबर 1973	(1) खण्ड 0.4 और ए-2.2 (संशोधन संख्या 1 भी देखिये) के स्थान पर नए खण्ड दिये गए हैं और (2) [पृष्ठ 2 (रिप्रिंट के पृष्ठ 3) खण्ड 0.4.1] इसको हटा दीजिये।	1 अक्तूबर, 1973
2.	**IS**: 697-1963 निर्यात के लिये ऊनी ड्रैगेट (दरीचे) की विशिष्टि (पुनरीक्षित)	एस ग्रो 1102 दिनांक 28 मार्च 1969	संख्या 1 जनवरी 1974	(1) (मुख पृष्ठ 1 और 7 में दिये शीर्षक में)—शीर्षक में तीनों स्थान से शब्द "निर्यात के लिये" हटा दीजिये। (2) (पृष्ठ 2, खण्ड 1.1, पंक्ति 2) शब्द "निर्यात के लिये" हटा दीजिये। (3) खण्ड 3.1 के नीचे एक टिप्पणी जोड़ी गई है।	1 जनवरी 1974
3.	**IS**: 786-1967 (पूरक) परिवर्तन गुणक और परिवर्तन सारणियों सम्बन्धी भारतीय मानक का एस आई पूरक खण्ड 1 (पहला पुनरीक्षण)	एस ग्रो 3961 दिनांक 9 नवम्बर 1968	संख्या 1 जनवरी 1974	पृष्ठ 12, 15, 60 और 61 पर शुद्ध रूप दिया गया है।	1 जनवरी 1974
4.	**IS**: 808-1964 बेल्लित इस्पात की धरनी, नाली तथा कोणीय सेक्शन की विशिष्टि (पुनरीक्षित)	एस ग्रो 2673 दिनांक 28 अगस्त 1965	संख्या 4 फरवरी 1974	सारणी 1 का संशोधन किया गया है।	1 फरवरी 1974
5.	**IS**: 913-1968 ब्रेडेड वस्त्र प्रबलन लगे पानी भरने के रबड़ के होज की विशिष्टि (दूसरा पुनरीक्षण)	एस ग्रो 593 दिनांक 15 फरवरी 1969	संख्या 1 फरवरी 1974	खण्ड 4.4.2 के स्थान पर नया खण्ड दिया गया है।	1 फरवरी 1974
6.	**IS**: 1008-1971 सख्त उबली खाण्ड से बनी वस्तुओं की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	----	संख्या 1 फरवरी 1974	सारणी 1 का संशोधन किया गया है।	1 फरवरी 1974
7.	**IS**: 1060 (भाग 1)-1966 कागज और सम्बद्ध उत्पादों की बानगी लेने तथा परीक्षण की पद्धतियां, भाग 1 (पुनरीक्षित)	एस ग्रो 460 दिनांक 11 फरवरी 1967	संख्या 2 फरवरी 1974	खण्ड 12.3.1, 12.3.1.3 और 12.3.4 के स्थान पर नए खण्ड दिए गए हैं।	1 फरवरी 1974
8.	**IS**: 1225-1972 करघों के लिए चमड़े के पिकिंग बैण्ड की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	--	संख्या 1 फरवरी 1974	(1) [सारणी 2 क्रम संख्या (iii)] 'Sprinkage temperature" के स्थान पर' Shrinkage temperature' कर लीजिए। (2) (सारणी 2, क्रम संख्या (iii) (ए) और (बी)—क्रमशः "[illegible] और 80°सी" के स्थान पर [illegible] Min and 80°सी" कर लीजिए।	1 फरवरी 1974

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	IS 1416-1972 सुरक्षा ट्रान्स-फार्मरो की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	—	संख्या 1 फरवरी 1974	(पृष्ठ 9, खण्ड 8 1)—'32 / वो' के स्थान पर "32 वो" कर लीजिए।	1 फरवरी 1974
10	IS 1578-1972 धूम्रपान मिश्रण की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	—	संख्या 1 फरवरी 1974	सारणी 2 और 3 का संशोधन किया गया है।	1 फरवरी 1974
11	IS 1640-1960 पशु खाला और चमड सम्बन्धी पारिभाषिक शब्दावली	एस ओ 29 7 दिनांक 16 दिसम्बर 1961	संख्या 1 फरवरी 1974	मूल मानक मे चमडे के परीक्षण और खालो तथा चमडी के जीवाणु, दोषो तथा चमडे की रंगाई सामग्री से सम्बन्धित परिभाषाओ को शामिल नही किया गया था। अब इस संशोधन द्वारा ये सभी परिभाषाए शामिल कर ली गई है।	1 फरवरी 1974
12	IS 1677-1969 चैनी म छिड़काव के लिए ब्रेडेड प्रबलन लगे रबड के होजो की विशिष्टि (दूसरा पुनरीक्षण)	एस ओ 593 दिनांक 15 फरवरी 1969	संख्या 1 फरवरी 1974	खण्ड 4 4 2 1 के स्थान पर नया खण्ड दिया गया है।	1 फरवरी 1974
13	IS 1711-1960 लैटेक्स फोम से बने रबड उत्पादो की विशिष्टि	एस ओ 2760 दिनांक 25 नवम्बर 1961	संख्या 2 फरवरी 1974	खण्ड ए–2 2 2 का संशोधन किया गया है।	1 फरवरी 1974
14	IS 1818-1972 प्रत्यावर्ती धारा आइसोलेटर और भूयोजी स्विचो की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	—	संख्या 1 फरवरी 1974	(1) (पृष्ठ 18, खण्ड 11.1 3 2 पंक्ति 2) '1 US' के स्थान पर '1 2US" कर लीजिए। (2) (पृष्ठ 26 खण्ड 11 2 2 1, सूत्र के अन्तर्गत दूसरा विवरण)—TU' के स्थान पर T' कर लीजिए।	1 फरवरी 1974
15	IS 1851-1966 एक प्रचालक वाले आर्क वेल्डिंग ट्रांसफार्मरो की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	एस ओ 4080 दिनांक 18 नवम्बर 1968	संख्या 1 फरवरी 1974	(1) सारणी 2 का संशोधन किया गया है। (2) खण्ड ए–1 1 के नीचे की टिप्पणी हटा दीजिए। (3) खण्ड ए–1 2 2 के बाद नया खण्ड ए–1 2 3 जोडा गया है।	1 फरवरी 1971
16	IS 1896-1970 ओवर पिक सूती करघो की पिकिंग स्टिक की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	एस ओ 3305 दिनांक 21 अक्तूबर 1972	संख्या 1 फरवरी 1974	खण्ड 1 के बाद खण्ड 2 जोडा गया है और बाद के खण्डो की संख्या ठीक कर दी गई है।	1 फरवरी 1974
17.	IS 2148-1968 बिजली उपकरणो के ज्वालासह खोल की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	एस ओ 3723 दिनांक 13 सितम्बर 1969	संख्या 3 फरवरी 1974	[पृष्ठ 26 (रिप्रिंट के पृष्ठ 25 मे) खण्ड 5 4 3 दूसरा पैरा पंक्ति 1 मे] '0 2 मिमी' के स्थान पर '0 1 मिमी' कर लीजिए।	1 फरवरी 1974
18	IS 2185-1967 सीमेन्ट कंक्रीट के खोखले ब्लाकों की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	एस ओ 1720 दिनांक 18 मई 1968	संख्या 1 फरवरी 1974	(पृष्ठ 14, खण्ड बी–1 1 पंक्ति 1 मे) Twelve" के स्थान पर 'Eight' कर लीजिए।	1 फरवरी 1974
19	IS 2223-1971 फ्लैंज चढे एसी प्रेरण मोटरो के माप (पहला पुनरीक्षण)	एस ओ 120 दिनांक 13 जनवरी 1973	संख्या 1 फरवरी 1974	सारणी 1 मे क्रम संख्या (ii) स्तम्भ (4) के सामने वर्तमान आकृति के स्थान पर नई आकृति दी गई है।	1 फरवरी 1974
20	IS 2289-1963 खराद के 60° अवरोध केन्द्र की विशिष्टि	एस ओ 2160 दिनांक 3 अगस्त 1963	संख्या 2 दिसम्बर 1973	(1) खण्ड 2 1 के स्थान पर नया खण्ड जोडा गया है। (2) खण्ड 5 1 का संशोधन किया गया है।	1 दिसम्बर 1973
21	IS 2396-1963 पेट्रोल और डीजल ईंधन के ब्रेडेड बस्त्र लगे रबड के होज की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	एस ओ 1455 दिनांक 19 अप्रैल 1969	संख्या 1 जनवरी 1974	(पृष्ठ 8, खण्ड ए–2 2 पंक्ति 1)—While still hot" को हटा दीजिए।	1 जनवरी 1974

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
22.	IS : 2458-1965 दांतदार गियर सम्बन्धी पारिभाषिक शब्दावली	एस श्रो 2673 दिनांक 28 अगस्त 1965	संख्या 2 फरवरी 1974	(पृष्ठ 24, संदर्भ संख्या 2115, परिभाषा के नीचे दूसरी पंक्ति में)— "Circle" के स्थान पर "Cylinder' कर लीजिए । (2) (पृष्ठ 33, संदर्भ संख्या 2186 परिभाषा के नीचे)— (क) पंक्ति 4— 'plane of its basic rack के स्थान पर 'plane of its basic rack' कर लीजिए । (ख) पंक्ति 6— 'one are tangant" के स्थान पर 'one are tangent कर लीजिए ।	1 फरवरी 1974
23.	IS : 2594-1963 लोहा काटने की श्रारी की विशिष्टि	एस श्रो 1454 दिनांक 2 मई 1964	संख्या 3 जनवरी 1974	(1) खण्ड 11.2.1 श्रौर 11.2.2 का संशोधन किया गया है; श्रौर (2) खण्ड 11.2.3 को हटा कर शेष खण्डों की क्रम संख्या ठीक कर दी गई है ।	1 जनवरी 1974
24.	IS : 2635-1966 डीसी बिजली श्रार्क वेल्डिंग जनित्रों की विशिष्टि (पुनरीक्षित)	एस श्रो 4023 दिनांक 31 दिसम्बर 1966	संख्या 5 जनवरी 1974	नया खण्ड बी–1.2.3 जोड़ा गया है ।	1 जनवरी 1974
25.	IS : 2922-1964 तम्बूश्रों के लिए लकड़ी की खूंटियों की विशिष्टि	एस श्रो 1152 दिनांक 10 श्रप्रैल 1965	संख्या 3 फरवरी 1974	परिशिष्ट 'ए' का संशोधन किया गया है ।	1 फरवरी 1974
26.	IS : 3054-1965 तांबे श्रौर तांबा मिश्रधातु की ब्रिनेल कठोरता परीक्षण पद्धति	एस श्रो 1992 दिनांक 2 जुलाई 1966	संख्या 1 नवम्बर 1973	(1) खण्ड 0.2, 2.2 श्रौर 3 का संशोधन किया गया है; श्रौर (2) सारणी 1 श्रौर 2 का संशोधन किया गया है । (3) (पृष्ठ 4, खण्ड 4.2 टिप्पणी पंक्ति 2)— शब्द 'be used" के स्थान पर 'is used' कर लीजिए ।	1 नवम्बर 1973
27क.	IS : 3154-1965 निदान संबंधी एक्स-रे ट्यूब की विशिष्टि	एस श्रो 3059 दिनांक 2 श्रक्टूबर 1965	संख्या 2 फरवरी 1974	पृष्ठ 7, 8 श्रौर 9 पर परिवर्तन किए गए हैं ।	1 फरवरी 1974
28.	IS : 3184-1965 निर्यात के लिए केलिम (ऊनी कालीन) की विशिष्टि	एस श्रो 1081 दिनांक 9 श्रप्रैल 1966	संख्या 1 फरवरी 1974	(1) (मुख पृष्ठ, पृष्ठ 1 श्रौर 2 में दिए शीर्षक में) तीनों स्थानों पर शीर्षक से शब्द "for export" हटा दीजिए। (2) (पृष्ठ 2, खण्ड 1.1 पंक्ति 2 में) शब्द 'For export" हटा दीजिए ।	1 फरवरी 1974
29.	IS:3247–1967 वेल्डकृत गूजनेक प्रकार के रोशनदानों की विशिष्टि	एस श्रो 3336 दिनांक 23 सितम्बर 1967	संख्या 1 फरवरी, 1974	खण्ड 3.3 का संशोधन किया गया है ।	1 फरवरी, 1974
30.	IS:3496–1966 डांडी की पत्तियों (लैग) श्रौर खूंटियों की विशिष्टि	एस श्रो 2037 दिनांक 9 जुलाई, 1966	संख्या 2 फरवरी, 1974	खण्ड 3.3.1 का संशोधन किया गया है ।	1 फरवरी, 1974
31.	IS:3626–1966 बंद दिनांक कॉयल वाले बंधाई रस्सों की विशिष्टि	एस श्रो 3818 दिनांक 17 दिसम्बर, 1966	संख्या 3 फरवरी, 1974	सारणी 1 की टिप्पणी का संशोधन किया गया है ।	1 फरवरी, 1974
32.	IS:3965–1959 पिटवां श्रलुमिनियम श्रौर श्रलुमिनियम मिश्रधातुश्रों की छड़ें, सरिया श्रौर सेक्शन के माप	एस श्रो 2555 दिनांक 28 जून 1969	संख्या 2 फरवरी, 1974	(पृष्ठ 4, खण्ड 2.1, पंक्ति 2, श्रौर खण्ड 2.2 में) (दोनों स्थानों पर "9 मिमी" के स्थान पर "6 मिमी" कर लीजिए ।	1 फरवरी, 1974

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
33.	IS:4199-1967 तरल साबुन की विशिष्टि	एस ओ 4080 दिनांक 18 नवम्बर, 1967	संख्या 1 जनवरी, 1974	(पृष्ठ 4, खण्ड 2·2 में)– खण्ड के अन्त में शब्द for a period of six months जोड़ लीजिए।	1 जनवरी 1974
34.	IS: 4241-1967 इंजीनियरों के पैरेलल की विशिष्ट	एस ओ 4008 दिनांक 18 नवम्बर, 1967	संख्या 1 जनवरी, 1974	खण्ड 1 के बाद नया खण्ड 7.2 जोड़ा गया है और बाद के खण्डों की गिनती ठीक कर दी गई है।	1 जनवरी, 1974
35.	IS: 4250-1967 बिजली के साथ पदार्थों के घरेलू मिश्रण यंत्रों (तरलक मिश्रक और चक्की) की विशिष्ट	एस ओ 4562 दिनांक 23 दिसम्बर, 1967	संख्या 1 जनवरी, 1974	खण्ड 11·3, 11·3 के नीचे अनौपचारिक सारणी के बाद एक नई टिप्पणी जोड़ी गई है।	1 जनवरी, 1974
36.	IS: 4288-1967, 1100 वोल्ट रेटिंग से अनाधिक पी०वी०सी० रोधित और पी०वी०सी० खोल वाले ठोस एलुमिनियम चालकों वाले केबलों की विशिष्टि	एस ओ 520 दिनांक 10 फरवरी, 1968	संख्या 2 मार्च, 1974	सारणी 1 के स्थान पर नई सारणी दी गई है।	1 मार्च 1974
37.	IS: 4361-1967 सन की ड्रेगेट (रटीचे) की विशिष्टि	एस ओ 683 दिनांक 24 फरवरी 1968	संख्या 1 जनवरी, 1974	खण्ड 2.2 के नीचे टिप्पणी 3 के बाद टिप्पणी 4 जोड़ी गई है।	1 जनवरी, 1974
38.	IS: 4391-1967 हाथ के बने सन के रोएंदार गलीचों की विशिष्टि	एस ओ 1367 दिनांक 20 अप्रैल, 1968	संख्या 1 जनवरी, 1974	खण्ड 2.3 में वर्तमान टिप्पणी की क्रम संख्या 1 करके उसके बाद एक नई टिप्पणी जोड़ी गई है।	1 जनवरी, 1974
39.	IS: 4444-1967 जीवाणु वैज्ञानिक बोतलों की विशिष्टि	एस ओ 1719 18 मई, 1968	संख्या 1 फरवरी, 1974	पृष्ठ 4, 5, 6 और 7 परिवर्तन किये गए हैं।	1 फरवरी, 1974
40.	IS: 4559-1968 एक आपरेटर वाले रेक्टीफायर लगे डीसी मार्क वैल्डर की विशिष्टि	एस ओ 3152 दिनांक 14 सितम्बर, 1918	संख्या 2 जनवरी, 1974	नया खण्ड ए-1-2-3 जोड़ा गया है।	1 जनवरी, 1974
41.	IS: 4607-1968 खतरनाक रसायनों और रसायनिक उत्पादों का वर्गीकरण	एस ओ 4425 दिनांक 14 दिसम्बर, 1968	संख्या 2 फरवरी, 1974	पृष्ठ 17 पर नई सामग्री जोड़ी गई है।	1 फरवरी, 1974
42.	IS: 46855 (भाग 1)—1968 वार्निश द्वारा चिपके कांच-रेशे चढ़े तांबे के चालकों की विशिष्ट : भाग 1 गोल तार	एस ओ 3745 दिनांक 26 अक्तूबर, 1968	संख्या 1 फरवरी, 1974	(1) खण्ड 5.1.1 का संशोधन किया गया है। (2) खण्ड 5.2 के स्थान पर नया खण्ड जोड़ा गया है और (3) परिशिष्ट 'डी' के स्थान पर नया परिशिष्ट जोड़ा गया है। (4) खण्ड 1.1 में नई सामग्री जोड़ी गई है और एक नया खण्ड 2.4 जोड़ा गया है।	1 फरवरी, 1974
43.	IS:4800 (भाग 7)–1970 इनैमलकृत गोल वाइंडिंग के तार की विशिष्टि भाग 7 नम स्थितियों में अच्छे पैरावैद्युत गुणधर्मों वाले तार	एस ओ 1555 दिनांक 24 जनवरी, 1972	संख्या 2 फरवरी 1974	(पृष्ठ 7, सारणी 4, स्तम्भ 3 और 4) सारणी में तारांकित (*) चिन्ह और तत्सम्बन्धी टिप्पणी को हटा दीजिए	1 फरवरी, 1974
44.	IS:5084–1969 नाइलोन जुराबों की विशिष्टि	एस ओ 3728 दिनांक 13 सितम्बर, 1969	संख्या 1 जनवरी, 1974	वर्तमान खण्ड 8.2 के स्थान पर नया खण्ड दिया गया है।	1 जनवरी, 1974

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
45.	IS:5439-1969 मोटर गाड़ियों के तेल दाब स्विचों की विशिष्टि	एस ओ 3561 दिनांक 7 नवम्बर, 1970	संख्या 1 फरवरी, 1974	(पृष्ठ 6, खण्ड ए-1.3) पृष्ठ के उपर दिए गए खण्ड ए-1.4 को पृष्ठ के नीचे दिए गए खण्ड ए-1.3 के नीचे कर लीजिए ।	1 फरवरी, 1974
46.	IS 5508(भाग 1 से 5)-1969 मछली पकड़ने के गिअर की संदर्शिका भाग 1	एस ओ 1635 दिनांक 8 जुलाई, 1972	संख्या 1 फरवरी, 1974	खण्ड ए-4.18 के बाद नया खण्ड ए 4-19 जोड़ा गया है ।	1 फरवरी, 1974
47.	IS:5812-1970 चाक्षुष बेवेल प्रोट्रैक्टरों की विशिष्टि	एस ओ 1635 दिनांक 8 जुलाई, 1972	संख्या 1 फरवरी, 1974	खण्ड 5.12.1,12.3 और 12.4 का संशोधन किया गया है ।	1 फरवरी, 1974
48.	IS:5913-1970 ऐस्बेस्टास सीमेंट उत्पादों की परीक्षण पद्धतियां	एस ओ 1635 दिनांक 8 जुलाई, 1974	संख्या 1 फरवरी, 1974	(पृष्ठ 7, खण्ड 5.3 चतुर्थ पंक्ति में)- Weight in Kg. के स्थान पर Weight in g' कर लीजिए ।	1 फरवरी, 1975
49.	IS:5937-1970 ब्रेडेड वस्त्र प्रबलन लगे गर्म पानी भरने के रबड़ के होज की विशिष्टि	एस ओ 1635 दिनांक 8 जुलाई, 1972	संख्या 1 फरवरी 1974	खण्ड 3.4.2 के स्थान पर नया खण्ड दिया गया है ।	1 फरवरी, 1974
50.	IS 5978-1970 शिरोपरि पावर तथा दूर संचार लाइनों के लिए लकड़ी के खम्भों की डिजाइन की रीतिसंहिता	एस ओ 3305 दिनांक 21 अक्तूबर, 1972	संख्या 2 फरवरी, 1974	खण्ड 3.1 का संशोधन किया गया है ।	1 फरवरी, 1974
51.	IS:6008-1971 एक आपरेटर वाले एसी/डीसी आर्क वेल्डिंग पावर स्रोत की विशिष्टि	एस ओ 3305 दिनांक 21 अक्तूबर, 1972	संख्या 1 जनवरी, 1974	खण्ड ए 1.2.2 के बाद नया खण्ड ए-1.2.3 जोड़ा गया है ।	1 जनवरी, 1974
52.	IS:6050-1971 गर्म डुबाऊ उच-ड़ने वाले अस्थायी संक्षारण रोधी पदार्थ की विशिष्टि	एस ओ 3318 दिनांक 21 अक्तूबर 1972.	संख्या 1	खण्ड 2.4 के बाद नया खण्ड 2.5 जोड़ा गया है ।	1 जनवरी, 1974
53.	IS:6175-1971 आई एस ओ मीटरी चूड़ियों के हाथ वाले टैप और छोटे मशीनी टैप की विशिष्टि	—	संख्या 1 जनवरी, 1974	खण्ड 3.1 के नीचे अनौपचारिक सारणी और खण्ड 6.2 का संशोधन किया गया है ।	1 जनवरी, 1974
54.	IS:6196-1961 जुड़े अर्द्ध कप-लिंग के पाप ।	एस ओ 2802 दिनांक 29 सितम्बर, 1973	संख्या 1 फरवरी, 1974	खण्ड 2 का संशोधन किया गया है और टिप्पणी 3 के बाद टिप्पणी 4 जोड़ी गई है ।	1 फरवरी, 1974
55.	IS:6381-1972 'e' प्रकार की सुरक्षा वाले बिजली के उपकरण का निर्माण तथा परीक्षण की विशिष्टि	—	संख्या 1 जनवरी, 1974	1) आकृति 2ए, 2 बी और 4 का संशोधन किया गया है और 2) खण्ड 3.9.2 के स्थान पर नया खण्ड जोड़ा गया है ।	1 फरवरी, 1974
56.	IS 6383-1971 बिजली की सर्विस लिफ्ट की विशिष्टि	—	संख्या 1 फरवरी, 1974	(पृष्ठ 3, खण्ड 6.1 पंक्ति 2 में) शब्द "with cresote" को हटा दीजिए ।	1 फरवरी, 1974
57.	IS:6417-1971 बुने कपड़े के प्रबलन वाले रबड़ के रेत धमन के होज की विशिष्टि	—	संख्या 1 फरवरी, 1974	वर्तमान खण्ड 4.4.2 के स्थान पर नया खण्ड दिया गया है ।	1 फरवरी, 1974
58.	IS:6418-1971 सामान्य इंजीनियरी कार्यों के लिए ढलवां लोहे और धात वर्ध्य पलैजों की विशिष्टि	—	संख्या 1 फरवरी, 1974	वर्तमान आकृति 1 के स्थान पर नई आकृति दी गई है ।	1 फरवरी, 1974
59.	IS:6452-1972 संरचना उपयोग के लिए उच्च एलमिना सीमेंट की विशिष्टि	—	संख्या 1 फरवरी, 1974	(पृष्ठ 5, खण्ड 3.4 पंक्ति 3 में) शब्द "plus sand" को हटा दीजिए ।	1 फरवरी, 1974

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
60.	IS:6464-1972 स्वरण फोर्क (गार्डनर आउन प्रकार की) विशिष्टि	—	संख्या 1 फरवरी, 1974	खण्ड 3 के स्थान पर नया खण्ड जोड़ा गया है।	1 फरवरी, 1974
61.	IS 6555-1972 प्रयोगशाला सम्बन्धी वंत पलस्तर की विशिष्टि	—	संख्या 1 फरवरी, 1974	(पृष्ठ 4, परिशिष्ट 'ए' के शीर्षक में) "Impression" शब्द के स्थान पर "Laboratory" कर दीजिए	1 फरवरी, 1974
62.	IS:6601-1972 इस्पात की ढली वस्तुओं के उत्पाद विश्लेषण मे रसायनिक संघटन सम्बन्धी अनुमत विचलन	—	संख्या 1 फरवरी, 1974	(पृष्ठ 5, सारणी 1, स्तम्भ 2) "Silicon" के सामने "over 0.35" के स्थान पर 'over 0.30' कर लीजिए।	1 फरवरी, 1974
63.	IS:6604-1972 ठोस कीटनाशकों के पैकिंग (500 ग्राम तक के लिए) की संहिता	—	संख्या 1 फरवरी, 1974	(पृष्ठ 7, खण्ड 19(5) के नीचे सारणी में स्तम्भ 2 क्रम संख्या 1 के सामने-"1-500" के स्थान पर "1-50" कर लीजिए।	1 फरवरी, 1974
64.	IS 6742-1972 वायुयान मे लीवर नियंत्रकों की आकृति, साइज और चालन दिशा	—	संख्या 1 फरवरी, 1974	(पृष्ठ 2, क्रम संख्या 6, shape and approximate size के नीचे "Timber switch" के स्थान पर "Tumbler switch" कर लीजिए।	1 फरवरी, 1974
65.	IS:6933-1973, 45 मिमी सुवाह्य चलचित्र प्रोजेक्टरों की विशिष्टि	—	संख्या 1 जनवरी, 1974	खण्ड 3.3,3. 6.4 और 5.5 का संशोधन किया गया है।	1 जनवरी, 1974

इन संशोधनो की प्रतियां भारतीय मानक संस्थान, मानक भवन, 9 बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110001 और उसके अहमदाबाद, बंगलौर, बम्बई, कलकत्ता, हैदराबाद, कानपुर, मद्रास, पटना और चण्डीगढ़ स्थित शाखा कार्यालयों से प्राप्त की जा सकती हैं।

[सं० सी०एम०डी०/13 : 5]

ए० के० गुप्ता, उपमहानिदेशक

S.O. 2670 In pursuance of regulation 4 of the Indian standard Institution (Certification Marks) Regulations, 1955, the Indian Standards Institution herby notifies that amendment(s) to the Indian Standard(s) given in the schedule hereto annexed have been issued under the powers conferred by the sub-regulation (1) of Regulation 3 of the said Regulations.

SCHEDULE

Sl. No.	No. and title of the Indian Standard amended	No. and Date of Gazette Notification in which the establishment of the Indian Standard was notified	No. and Date of the Amendment	Brief particulars of the Amendment	Date from which the amendment shall have effect
1	2	3	4	5	6
1.	IS:20-1959 Cast aluminium & aluminium alloy for utensils (Second Revision)	S.O. 2834 Date 26 Dec. 1959	No. 2 Oct. 1973	(i) Clauses 0.4 and A-2.2 (see Amendment No. 1) have been substituted by new ones and (ii) [Page 2 (page 3 of the Reprint), Clause 0.4.1] Delete	1 Oct.1973
2.	IS: 697-1963 Specification for woollen druggets for export (Revised)	S.O. 1102 Date 28 March, 1964	No. 1 Jan. 1974	(i) (First cover page, pages 1 and 2, title)- Delete the words 'FOR EXPORT' from the title at all the three places; (ii) (Page 2, Clause 1.1, line 2)-Delete the words 'for export' (iii) A Note has been added under Clause 3.1	1 Jan. 1974

1	2	3	4	5	6
3.	IS:786-1967 (Supplement) SI Supplement to Indian Standard Conversion actors and conversion tables (First Revision)	S.O. 3961 Date : 9 Nov. 1968	No. 1 Jan, 1974	Corrections have been made at pages 12, 15, 60 and 61	1 Jan, 1974
4.	IS:808-1964 Specification for rolled steel beam, channel and angle sections (Revised)	S.O. 2673 Date : 28 Aug. 1965	No. 4 Feb. 1974	Table 1 has been amended	1 Feb, 1974
5.	IS : 913-1968 Specification for water hose of rubber with braided textile reinforcement (Second Revision)	S.O. 593 Date 15 Feb. 1969	No. 1 Feb 1974	Clause 4.4 2 has been substituted by a new one	1 Feb 1974
6.	IS :1008-1971 Specification for hard boiled sugar confectionery (First Revision)	—-	No. 1 Feb 1974	Table 1 has been amended	1 Feb 1974
7.	IS :1060(Pt.I)-1966 Methods of sampling and test for paper and allied products : Part I (Revised)	S.O. 469 Date : 11 Feb. 1967	No. 2 Feb. 1974	Clauses 12-3.1. 12.3.1.3 and 12.3.4.1 have been substituted by new ones	1 Feb 1974
8.	IS:1225-1972 Specification for leather picking bands for looms (First Revision)	——	No. 1 Feb. 1974	(i) [Table 2, Sl. No. (iii)] Substitute 'Shrinkage temperature' for 'Sprinkage temperature' (ii) [Table 2, Sl. No. (iii) (a) and (b)] Substitute '108°C, Min' and 80°c, Min for '108°C' and '80°C' respectively	1 Feb 1794
9.	IS:1416-1972 Specification for safety transformers (First Revision)	——	No. 1 Feb 1974	(Page 9, Clause 8.1)—Substitute 32 V, for "32.7 V"	1 Feb 1974
10.	IS:1578-1972 Specification for smoking mixture (Fist Revision)	——	No. 1 Feb. 1974	Tables 2 and 3 have been amended	1 Feb 1974
11.	IS:1640-1960 Glossary of terms relating to hides, skins and leather	S.O. 2937 Date 16 Dec. 1961	No. 1 Feb 1974	In the original standard terms used in leather testing and some terms related to the biological defects of hides and skins, and tanning materials were not covered. This amendment is being issued to cover all terms.	1 Feb 1974
12.	IS:1677-1968 Specification for agricultural spray hose of rubber with braided textile reinforcement (Second Revision)	S.O. 593 Date : 15 Feb 1969	No. 1 1974	Clause 4.4.2.1 has been substituted by a new one.	1 Feb 1974
13.	IS:1741-1960 Specification for latex foam rubber products	S.O. 2760 Date : 25 Nov. 1961	No. 2 Feb 1974	Clause A-2.2.2 has been amended	1 Feb 1974
14.	IS:1818-1972 Specification for alternating current isolators (disconnectors) and earthing switches (First Revision)	S.O.	No. 1 Feb 1974	(i) (Page 18, Clause 11.1.3.2 line 2) Substitute '1.2 for 's' (ii) (Page 26, clause 11.2.2.1 second explanation under the formula)-Substitute 'T' for Tu'	1 Feb 1974
15.	IS : 1851-1966 Specification for Single operator type arc welding transformers (First Revision)	S.O. 4080 Dt : 18 Nov 1967	No. 1 Feb 1974	(i) Table 2 has been amended: (ii) Note under clause A-1.1 has been deleted (iii) New clause A-1.2.3 has been added after clause A-1.2.2	1 Feb 1974
16.	IS : 1896-1970 Specification for picking sticks for overpick cotton looms (First Revision)	S.O. 3305 Dt : 21 Oct 1972	No. 1 Feb 1974	New clasue 2 has been added after clause 1 and the subsequent clauses renumbered accordingly.	1 Feb 1974
17.	IS : 2148-1968 Specification for Flameproof enclosures of electrical apparatus (First Revision).	S.O. 3728 Dt : 13 Sep 1969	No. 3 Feb 1974	Page 26 (page 25 of the reprints), clause 5-4-3, second para, line 2]—Substitute '0.1 mm' for '0.2 mm'	1 Feb 1974
18.	IS : 2185-1967 Specification for hollow cement concrete blocks (First rivision)	S.O. 1720 Dt : 18 May 1968	No. 1 Feb 1974	(Page 14, clause B-1.1, line 1)—Substitute 'Eight' for 'Twelve'	1 Feb 1974
19.	IS : 2223-1971 Dimensions of flandge mounted acinduction motors (First Revision)	S.O. 120 Dt: 13 Jan 1973	No. 1 Feb 1974	Existing figures against Sl. No. (ii), col. 4 of table 1 has been substituted by a new, one	1 Feb 1974
20.	IS : 2289-1963 Specification for 60° dead centres for lathes	S.O. 2160 Dt: 3 Aug 1963	No. 2 Dec 1973	(i) Clause 2.1 has been substituted by a new one and (ii) Clause 5.1 has been amended	1 Dec 1973

2	3	4	5	6
21. IS : 2396-1968 Specification for rubber hose for petrol and diesel fuels with braided textile reinforcement (First Revision)	S.O. 1455 Dt: 19 Apr. 1969	No. 1 Jan 1974	(page 8, clause A-2.2, line 1) Delate the metter's, while still hot',	1 Jan 1974
22. IS : 2458-1965 Glossary of terms for toothed gearing	S.O. 2673 Dt: 28 Aug 1965	No. 2 Feb. 1974	(i) (Page 24, Ref No. 2115, second line under 'Definition')- Substitute' cylinder' for 'circle'. (ii) (Page 33, Ref No. 2186, under 'Definition' (a) Line 4-Substitute 'plane of its basic-rack' for 'plane or its basic rack' (b) Line 6-Substitute 'one or tangent' for 'one arctangent.'	1 Feb 1974
23. IS : 2594-1963 Specification for hacksaw blades	S.O. 1454 Dt :2 May 1964	No. 3 Jan 1974	(i) Clauses 11.2.1 and 11.2.2. have been amended and (ii) Clause 11.2.3 has been deleted and the subsequent clauses re- numbered accordingly	1 Jan 197
24. IS : 2635-1966 Specification for DC electric welding generators (Revised)	S.O. 4023 Dt: 31 Dec 1966	No. 5 Jan 1974	New clause B-1.2.3 has been added	1 Jan 1974
25. IS : 2922-1964 Sepecification for wooden tent mallets	S.O. 1152 Dt: 10 Apr 1965	No. 3 Feb 1974	Appendix A has been amended	1 Feb 1974
26. IS : 3054-1965 Method for brineel hardness test for copper and copper alloys	S.O. 1992 Dt: 2 July 1966	No. 1 Nov 1973	(i) Clauses O.2, 2.2 and 3 have been amended; (ii) Tables 1 and 2 have been amended, and (iii) (Page 4, clause 4.2, Note, line 2)- Substitute 'is used' for 'be used'	1 Nov 1973
27. IS : 3154-1965 Specification for X-ray tubes, diagnostic type	S.O. 3059 Dt: 2 Oct 1965	No. 2 Feb 1974	Alterations have been made at pages 7, 8 and 9	1 Feb 1974
28. IS : 3184-1965 Specification for kelim (woollen drugget) for export	S.O. 1081 Dt: 9 Apr 1966	No. 1 Feb 1974	(i) First cover page, pages 1 and 2, titled)- Delete the words 'For EXPORT' from the title at all the three places (ii) (Page ,2 clause 1.1, line 2)- Delete the words 'for export'	1 Feb 1974
29. IS : 3274-1967 Specification for gooseneck ventilators—welded type	S.O. 3336 Dt : 23 Sep 1967	No. 1 Feb 1974	Clause 3.3 has been amended.	1Feb 1974
30. IS : 3496-1966 Specification for dobby lags and pegs	S.O. 2037 Dt : 9 July 1966.	No. 2 Feb 1974	Clause 3.3.1 has been amended.	1 Feb 1974
31. IS : 3626-1966 Specification for locked coil winding ropes.	S.O. 3818 Dt : 17 Dec. 1966	No. 3 Feb 1974	Note of Table 1 has been amended	1 Feb 1974
32. IS : 3965-1969 Dimensions for wrought aluminium and aluminium alloys, bar, rod and section.	S.O. 2555 Dt : 28 Jun 1969	No. 2 Feb 1974	(Page 4, clause 2.1, line 2; and clause 2.2)—Substitute '6 mm' for '9 mm' at both the places.	1 Feb 1974
33. IS : 4199-1967 Specification for liquid soap.	S.O. 4080 Dt : 18 Nov 1967	No. 1 Jan 1974	(Page 4, clause 2.2)—Add the words 'for a period of six months' at the end of the clause.	1 Jan 1974
34. IS : 4241-1967 Specification for engineers' parallels.	S.O. 4080 Dt : 18 Nov 1967	No. 1 Jan 1974	New clause 7.2 has been added after clause 7.1 and the subsequent clauses renumbered accordingly.	1 Jan 1974
35. IS : 4250-1967 Specification for domestic electric food-mixers (liquidisers, blenders and grinders)	S.O. 4562 Dt : 23 Dec 1967	No. 1 Jan 1974	A Note has been added after the informal table under clause 11-3. 11-3.	1 Jan 1974
36. IS : 4288-1967 Specification for PVC-insulated and PVC-sheathed solid aluminium conductored cables of voltage rating not exceeding 1100 volts.	S.O. 520 Dt : 10 Feb 1968	No. 2 Mar 1974	Table 1 has been substituted by a new one.	1 Mar 1974
37. IS : 4361-1967 Specification for sunn hemp drugget.	S.O. 683 Dt : 24 Feb 1968	No. 1 Jan 1974	Note 4 has been added after Note 3 under clause 2.2	1 Jan 1974
38. IS : 4391-1967 Specification for handmade sunnhemp pile carpets.	S.O. 1367 Dt : 20 Apr 1968	No. 1 Jan 1974	In clause 2.3 the existing note has been re-numbered as Note 1 and a new Note 2 added after it.	1 Jan 1974
39. IS : 4444-1967 Specification for bottles, bacteriological.	S.O. 1719 Dt : 18 May 1968	No. 1 Feb 1974	Alterations have been made at pages 4,5,6 and 7	1 Feb 1974
40. IS : 4559-1968 Specification for single operator rectifier type dc ARC welder.	S.O. 3152 Dt : 14 Sep 1968	No. 2 Jan 1974	A new clauses A-1.2.3 has been adeed.	1 Jan 1974
41. IS : 4607-1968 Classification of hazardous chemicals and chemical products.	S.O. 4425 Dt : 14 Dec 1968	No. 2 Feb 1974	New matter has been added at page 17	1 Feb 1974

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
42.	IS : 4685 (Pt I)-1968 Specification for varnish bonded glass-fibre covered copper conductors Part I Round Wires.	S.O. 3745 Dt : 26 Oct 1968	No. 1 Feb 1974	(i) Clause 5.1.1 has been amended; (ii) Clause 5.2 has been substituted by a new one and (iii) Appendix D has been substituted by a new one. (iv) New matter has been added in clause 1.1 and a new clause 2.4 added	1 Feb 1974
43.	IS : 4800 (Pt VII)-1970 Specification for enamelled round winding wires Part VII wires with good dielectric properties under humid conditions	S.O. 1555 Dt : 24 June 1972	No. 2 Feb 1974	(Page 7, Table 4, col 3 and 4)—Delete the asterisk (*) mark and the corresponding note in the table.	1 Feb 1974
44.	IS : 5084-1969 Specification for nylon socks.	S.O. 3728 Dt : 13 Sep 1969	No. 1 Jan 1974	Existing clause 8.2 has been substituted by a new one.	1 Jan 1974
45.	IS : 5439-1969 Specification for oil pressure switches for automobiles.	S.O. 3561 Dt : 7 Nov 1970	No. 1 Feb 1974	(Page 6, clause A-1.3)—Transpose A-1.4 given at the top of the page under A.1.3 appearing at the bottom of the page.	1 Feb 1974
46.	IS : 5508 (Pts 1 to V)—1969 Guide for Fishing gear Part I General.	S.O. 1635 Dt : 8 July 1972	No. 1 Feb 1974	New clause A-4.19 has been added after clause A-4.18.	1 Feb 1974
47.	IS : 5812-1970 Specification for optical bevel protractors.	S.O. 1635 Dt : 8 July 1972	No. 1 Feb 1974	Clauses 5, 12.1, 12.3 and 12.4 have been amended.	1 Feb 1974
48.	IS : 5913-1970 Methods of test for asbestos cement products	S.O. 1635 Dt : 8 July 1972	No. 1 Feb 1974	(Page 7, clause 5.3, fourth line) — Substitute 'Weight in g' for 'Weight in kg'.	1 Feb 1974
49.	IS : 5937-1970 Specification for hot-water hose of rubber with braided textile reinforcement.	S.O. 1635 Dt : 8 July 1972	No. 1 Feb 1974	Clause 3.4.2 has been substituted by a a new one.	1 Feb 1974
50.	IS : 5978-1970 Code of practice for design of wood poles for everhead power and tele communication lines.	S.O. 3305 Dt : 21 Oct 1972	No. 2 Feb 1974	Clause 3.1 has been amended.	1 Feb 1974
51.	IS : 6008-1971 Specification for single operator ac/dc are welding Power source.	S.O. 3305 Dt : 21 Oct 1972	No. 1 Jan 1974.	New clause A-1.2.3 has been added after clause A-1.2.2	1 Jan 1974
52.	IS : 6050-1971 Specification for temporary corrosion preventives, strippable, hot-dipping type.	S.O. 3318 Dt : 21 Oct 1972	No. 1 Jan 1974	New clause 2.5 has been added after clause 2.4.	1 Jan 1974
53.	IS : 6175-1971 Specification for hand taps and short machine taps for ISO metric screw threads.	—	No. 1 Jan 1974	Informal table under clause 3.1 has been amended and clause 6.2 amended.	1 Jan 1974
54.	IS : 6196-1971 Dimensions for fitted half-couplings.	S.O. 2802 Dt : 29 Sep 1973	No. 1 Feb 1974	Clause 2 has been amended and Note 4 has been added after Note 3.	1 Feb 1974
55.	IS : 6381-1972 Specification for construction and testing of electrical apparatus with type of protection 'e'	—	No. 1 Jan 1974	(i) Fig. 2A, 2B and 4 have been amended and (ii) Clause 3.9.2 has been substituted by a new one.	1 Feb 1974
56.	IS : 6383-1971 Specification for electric service lift.	—	No. 1 Feb 1974	(Page 3, clause 6.1, line 2)—Delete the the words 'with creosote'	1 Feb 1974
57.	IS : 6417-1971 Specification for rubber sand blast hose with woven textile reinforcement.	—	No. 1 Feb 1974	Existing clause 4.4.2 has been substituted by a new one.	1 Feb 1974
58.	IS : 6418-1971 Specification for cast iron and malleable cast iron flanges for general engineering purposes.	—	No. 1 Feb 1974	Existing Fig. 1 has been substituted by a new one.	1 Feb 1974
59	IS : 6452-1972 Specification for high alumina cement for structural use.	—	No. 1 Feb 1974	(Page 5, clause 3.4, line 3)—Delete the words 'plus sand'.	1 Feb 1974
60.	IS : 6464-1972 Specification for tuning forks (Gardiner Brown's pattern).	—	No. 1 Feb 1974	Clause 3 has been substituted by a new one	1 Feb 1974
61.	IS : 6555-1972 Specification for dental laboratory plaster.	—	No. 1 Feb 1974	(Page 4, Title of Appendix A)—Substitute 'Laboratory' for 'Impression'	1 Feb 1974
62.	IS : 6601-1972 Permissible deviations in chemical composition for product analysis of steel castings.	—	No. 1 Feb 1974	(Page 5, Table 1, col 2, against 'Silicon') —Substitute 'Over 0.30' for 'Over 0.35'.	1 Feb 1974
63.	IS : 6604-1972 Code for packaging of soid pesticides (up to 500 g).	—	No. 1 Feb 1974	[Page 7, table under clause 19 (5), col 2, against Sl No. 1] —Substitute '1.50' for '1-500'.	1 Feb 1974
64.	IS : 6742-1972 Shape, size and direction of operation of lever controls on aircraft	—	No. 1 Feb 1974	(Page 2, Serial No. 6, under 'Shape and Approximate Size')—Substitute 'Tumbler Switch 'for' Timber Switch'	1 Feb 1974
65.	IS : 6933-1973 Specification for 35 mm portable motion picture projectors	—	No. 1 Jan 1974	Clauses, 3.3, 3.6.4 and 5.5 have been amended.	1 Jan 1974

Copies of these Amendments are available with the Indian Standards Institution, Manak Bhavan, 9 Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110001 and also its branch offices at Ahmedabad, Bangalore, Bombay, Calcutta, Hyderabad, Kanpur, Madras, Patna and Chandigarh.

[No. CMD/13: 5]

A. K. GUPTA, Deputy Dir. General

(औद्योगिक विकास विभाग)

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 1975

का०आ० 2671.—कर्नाटक सरकार द्वारा कर्नाटक स्टेट वीवर्स मार्केटिंग सोसायटी, बंगलौर के प्रधान श्री ए०के०ए० समद को केन्द्रीय सिल्क बोर्ड अधिनियम, 1948 (1948 का 61) की धारा 4 की उप-धारा (3) के नियम (घ) के अधीन केन्द्रीय सिल्क बोर्ड के सदस्य के लिए नामित किए जाने पर केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उन्हें केन्द्रीय सिल्क बोर्ड में श्री स० मुनिराज अधिवक्ता (एडवोकेट) के स्थान पर 8 अप्रैल, 1976 तक की अवधि के लिये उक्त दिन मिलाकर बोर्ड का सदस्य नियुक्त करती है।

[सं० 25/1/73/सी०एण्डएस०]

(Department of Industrial Development)
New Delhi, the 31st July, 1975

S.O. 2671.—The Government of Karnataka having nominated Shri A. K. A. Samad, President of the Karnataka State Weavers Marketing Society, Bangalore to be Member of the Central Silk Board under Clause (d) of Sub-Section (3) of Section 4 of the Central Silk Board Act, 1948 (61 of 1948), the Central Government hereby appoints him as a Member of the Central Silk Board vice Shri S. Muniraju Advocate for the period upto and including the 8th April, 1976.

[F. No. 25/1/73/C&S]

का०आ० 2672.—केन्द्रीय सिल्क बोर्ड अधिनियम, 1948 (1948 का 61) की धारा 4 की उप-धारा (3) के नियम (झ) में विहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा श्री आर० शर्मा, उप-निदेशक (रेशम कीट पालन) पूर्वोत्तर समिति शिलांग को तत्काल से पूर्वोत्तर समिति का प्रतिनिधित्व करने के लिए केन्द्रीय सिल्क बोर्ड का सदस्य नामित करती है।

[फा०सं० 25/1/73-सी० एण्ड एस०]

S.O. 2672.—In exercise of the powers conferred by Clause (i) of Sub-section (3) of Section 4 of the Central Silk Board Act, 1948 (61 of 1948), the Central Government hereby nominates Shri R. Sharma, Deputy Director (Sericulture) North Eastern Council, Shillong, as a Member of the Central Silk Board with immediate effect to represent the North Eastern Council.

[F. No. 25/1/73/C&S]

का०आ० 2673.—केन्द्रीय सिल्क बोर्ड अधिनियम 1948 (194 का 61) की धारा 4 की उप-धारा (3) के नियम (ज) में विहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा कर्नाटक भारतीय राष्ट्रीय मजदूर संघ, कांग्रेस (इंटक) के प्रधान श्री के०बी०थिमैया को तत्काल से श्रमिक हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए केन्द्रीय सिल्क बोर्ड का सदस्य नामित करती है।

[फा०सं० 25/1/73-सी०एण्ड एस०]
अवनीकान्त राय, निदेशक

S.O. 2673.—In exercise of the powers conferred by Clause (j) of Sub Section (3) of Section 4 of the Central Silk Board Act, 1948 (61 of 1948), the Central Government hereby nominates Shri K. B. Thimayya, President of the Karnataka INTUC, as a Member of the Central Silk Board with immediate effect to represent labour interest.

[F. No. 25/1/73/C&S]
A. K. RAY, Director

आदेश

नई दिल्ली, 6 अगस्त, 1975

का०आ० 2674.—विकास परिषद (प्रक्रियात्मक) नियम, 1952 के नियम 3,4 और 5 के साथ पठित उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65 की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, निम्नलिखित व्यक्तियों को, इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिये अकार्बनिक रसायन उद्योग विकास परिषद् के सदस्यों के रूप में, नियुक्त करती है, अर्थात: —

अकार्बनिक रसायन उद्योगों के लिये विकास परिषद्
अध्यक्ष

1. डा० एम० डी० पारेख,
7, रत्नम अपार्टमेंट्स,
लिटल गिब्स रोड,
मुम्बई-6

2. श्री एम० डी राजपाल,
प्रबन्ध निदेशक,
गुजरात राज्य उर्वरक निगम,
डाक घर फर्टलाईजर नगर, बड़ौदा

3. डा० एस० के० मुखर्जी,
निदेशक (उत्पादन),
भारतीय उर्वरक निगम,
एफ-43, साउथ एक्सटेंशन (भाग 1),
रिंग रोड, नई दिल्ली-49

4. श्री टी० आर० विश्वनाथन,
अधीक्षक (तकनीकी सेवाएं)
मद्रास फर्टलाइजर लिमिटेड,
मनाली, मद्रास-68

5. श्री के० आर० श्री वात्सा,
उपाध्यक्ष,
सदर्न पैट्रोकैमिकल इंडस्ट्रीज कार्पोरेशन,
24, व्हाइट्स रोड,
मद्रास-14

6 श्री आर० सुब्रमण्यम,
निदेशक,
नेशनल फर्टलाइजर लिमिटेड,
21, ईस्ट आफ कैलाश, नई दिल्ली।

7. आयुक्त (उर्वरक संवर्धन),
कृषि मंत्रालय,
कृषी भवन, नई दिल्ली

8. नमक आयुक्त,
भारत सरकार,
जयपुर

9. श्री एम०एल० सेठ,
कार्यपालिक निदेशक,
श्रीराम कैमिकल इण्डस्ट्रीज,

1 ई झण्डेवालान एस्टेट,
नई दिल्ली–55

10. श्री बरजारी सेठ,
प्रबंध निदेशक,
टाटा कैमिकल्स लिमिटेड,
बाम्बे हाउस, बूस स्ट्रीट,
फोर्ट, मुम्बई–1

11. श्री एन०आर० नन्दी,
प्रबंध निदेशक,
फेल्प्स एंड सिल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड,
34, आकलैण्ड प्लेस, कलकत्ता-17

12. श्री आर०वी० रमानी,
अध्यक्ष
अल्कली विनिर्माता संगम,
बंसीलाल मैंशन,
11, बूस स्ट्रीट,
मुम्बई-1

13. श्री जे० एल० ठक्कर,
निदेशक,
भर्मसी मोरारजी कैमिकल कंपनी लिमिटेड,
प्रॉस्पेक्ट चैम्बर्स,
317/21, डा० दादाभाई नौराजी रोड, मुम्बई–1

14. डा० जी०पी० काने,
फलैट 2 बी, श्री पंत भवन,
सैंडहर्स्ट रोड, मुम्बई

15. श्री के० हार्सी,
प्रबंध निदेशक,
इंडियन आक्सीजन लिमिटेड,
आक्सीजन हाउस,
पी०–34, तारातला रोड,
कलकत्ता-7000053

16. अध्यक्ष,
भारतीय रसायन विनिर्माता संगम,
इंडियन एक्सचेंज, कलकत्ता-1

17. लैफ्टीनेंट जनरल सुन्दरराव,
प्रबंध निदेशक,
भारत हैवी प्लेट एंड वेसेल्स,
विशाखापत्तनम्

18. प्रतिनिधि,
रसायन संयंत्र विनिर्माता संगम,
द्वारा मुम्बई वाणिज्य और उद्योग मंडल,
मैकीनॉन मकैन्जी भवन,
बेलार्ड स्टेट, मुम्बई-1

19. प्रतिनिधि,
इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस,
17, जनपथ, नई दिल्ली

20. प्रतिनिधि,
आल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस,
24–केनिंग लेन, नई दिल्ली

21. अध्यक्ष / सामनिर्देशिती,
भारतीय खनिज और धातु व्यापार निगम
लिमिटेड, एक्सप्रैस भवन,
बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-1

22. श्री आई०जे० सिंगरन,
खान और भूविज्ञान विभाग,
राजस्थान सरकार, उदयपुर

23. श्री एस० वेंकटरामण,
सलाहकार (उर्वरक)
पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय,
शास्त्री भवन, नई दिल्ली

24. प्रतिनिधि,
भारतीय तेल निगम लिमिटेड,
इंडियन आयल भवन, जनपथ,
नई दिल्ली–1

25. श्री एच०एच० सैयदजी,
उप-सचिव,
उद्योग और नागरिक पूर्ति,
औद्योगिक विकास विभाग, नई दिल्ली

26. प्रतिनिधि,
वैज्ञानिक और औद्योगिक
अनुसंधान परिषद्,
रफी मार्ग, नई दिल्ली

27. प्रतिनिधि,
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग,
प्रौद्योगिकी भवन, न्यू महरौली रोड,
नई दिल्ली

28. प्रतिनिधि,
योजना आयोग,
योजना भवन, नई दिल्ली

29. प्रतिनिधि,
विकास आयुक्त का कार्यालय,
लघु उद्योग, निर्माण भवन, नई दिल्ली

30. श्री एम०एस० ग्रोवर,
विकास अधिकारी (उर्वरक),
तकनीकी विकास महानिदेशालय,
नई दिल्ली ।

2. विकास परिषद् (प्रक्रियात्मक) नियम, 1952 के नियम 2 के खंड (ग) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, उक्त विकास परिषद् के सचिव, के कृत्यों को करने के लिए श्री एम०एस० ग्रोवर, विकास अधिकारी (उर्वरक), तकनीकी विकास महानिदेशालय, नई दिल्ली को नियुक्त करती है ।

[आई डी आर ए/6/4/75-संख्या 8/5/74– सी डी एन]

प्रेम नारायण, अवर सचिव

ORDER

New Delhi, the 6th August, 1975

S.O. 2674.—In exercise of the powers conferred by section 6 of the Industrial (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), read with rules 3, 4 and 5 of the Development Councils (Procedurals) Rules, 1952, the Central Government hereby appoints, for a period of two years with effect from the date of publication of this order, in the Official Gazette the following persons to be members of the Development Council for Inorganic Chemical Industries, namely :—

DEVELOPMENT COUNCIL FOR INORGANIC CHEMICAL INDUSTRIES

Chairman

1. Dr. M. D. Parekh,
   7, Ratnam Apartments,
   Little Gibbs Road,
   Bombay-6.

Members :

2. Shri M. D. Rajpal,
   Managing Director,
   Gujarat State Fertiliser Corporation,
   P. O. Fertiliser Nagar,
   Baroda.

3. Dr. S. K. Mukherji,
   Director (Production),
   Fertiliser Corporation of India,
   F-43, South Extension (Pt. I),
   Ring Road,
   New Delhi-49.

4. Shri T. R. Vishwanathan,
   Superintendent (Technical Services),
   Madras Fertilisers Limited,
   Manali,
   Madras-68.

5. Shri K. R. Srivastava,
   Vice Chairman,
   Southern Petrochemical Industries Corporation,
   24, Whites Road,
   Madras-14.

6. Shri R. Subramanian,
   Director,
   National Fertiliser Limited,
   21, East of Kailash, New Delhi.

7. Commissioner (Fertilizer Promotion),
   Ministry of Agriculture,
   Krishi Bhavan, New Delhi.

8. Salt Commissioner,
   Government of India,
   Jaipur.

9. Shri M. L. Sethi,
   Executive Director,
   Shriram Chemical Industries,
   IE Jhandewalan Estate,
   New Delhi-55.

10. Shri Darbari Seth,
    Managing Director,
    Tata Chamicals Limited,
    Bombay House,
    Bruce Street,
    Fort, Bombay-1.

11. Shri N. R. Nandi,
    Managing Director,
    Krebs & Cir. India Private Limited,
    3A, Auckland Place,
    Calcutta-17.

12. Shri R. V. Ramani,
    President, Alkali Manufactures Association,
    Bensilal Mension,
    11, Bruce Street,
    Bombay-1.

13. Shri J. L. Thakkar,
    Director,
    Dharamasi Morarji Chemical Company Limited,
    Prospect Chambers,
    317/21, Dr. Dadabhoy Naoroji Road,
    Bombay-1.

14. Dr. G. P. Kana,
    Flat 2B, Sri Pant Bhavan,
    Sandhurst Road,
    Bombay.

15. Shri K. Hartly,
    Managing Director,
    Indian Oxygen Limited,
    "Oxygen House",
    P-34, Taratala Road,
    Calcutta-700053.

16. President,
    Indian Chemical Manufacturers Association,
    India Exchange,
    Calcutta-1.

17. Lt. General Sundara Rao,
    Managing Director, Bharat Heavy Plate & Vessels,
    Visakhapatam.

18. Representative,
    Chemical Plant Manufactures Association,
    C/o Bombay Chamber of Commerce & Industry,
    Mackinnon Mackenzie Building,
    Ballard Estate,
    Bombay-1.

19. Representative,
    Indian National Trade Union Congress,
    17, Janpath, New Delhi.

20. Representative,
    All India Trade Union Congress,
    24, Canning Lane, New Delhi.

21. Chairman/Nominee,
    Minerals & Metals Trading Corporation of India Limited,
    Express Building,
    Bahadur Shah Zafar Marg,
    New Delhi-1.

22. Shri I. J. Jhingran,
    Department of Mines and Geology,
    Government of Rajasthan, Udaipur.

23. Shri S. Venkataraman,
    Adviser (Fertilizers),
    Ministry of Petroleum and Chemicals,
    Shashtri Bhavan, New Delhi,

24. Representative,
    Indian Oil Corporation Limited,
    Indian Oil Bhavan, Janpath,
    New Delhi-1.

25. Shri H. H. Tvabji, Deputy Secretary,
    Ministry of Industry, and Civil Supplies,
    Department of Industrial Development,
    New Delhi.

26. Representative,
    Council of Scientific and Industrial Research,
    Rafi Marg, New Delhi.

27. Representative,
    Department of Science and Technology,
    Technology Bhavan, New Mehrauli Road,
    New Delhi.

28. Representative,
    Planning Commission,
    Yojana Bhavan, New Delhi.

29. Representative,
    Office of the Development Commissioner,
    Small Scale Industries,
    Nirman Bhavan, New Delhi.

30. Shri M. S. Grover,
Development Officer (Fertilizers),
Directorate General of Technical Development,
New Delhi.

2. In pursuance of clause (c) of rule 2 of the Development Councils (Procedural) Rules, 1952, the Central Government hereby appoints Shri M. S. Grover, Development Officer (Fertilizers) Directorate General of Technical Development, New Delhi to carry on the functions of the Secretary to the said Development Council.

[IDRA/6/4/75-No. 8/5/74-CDN]

PREM NARAIN, Under Secy.

योजना मंत्रालय

(सांख्यिकी विभाग)

नई दिल्ली, 28 जुलाई, 1975

का० आ० 2675.—सांख्यिकी विभाग की दिनांक 27 फरवरी, 1975 की अधिसूचना सं० एम०-12011/9/74-रा०प्र०सर्वे०-1 के पैरा 2 का आंशिक संशोधन करते हुए वर्ष 1975-76 के लिए भारतीय सांख्यिकीय संस्थान अधिनियम, 1959 की धारा 8 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नियुक्त समिति अगस्त, 1975 के अन्त तक अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत करेगी।

[सं० एम०-12011/9/74-रा०प्र०सर्वे०-I]

हरीश चन्द्रा, उप-सचिव

MINISTRY OF PLANNING

(Department of Statistics)

New Delhi, the 28th July, 1975

S.O. 2675.—In partial modification of para 2 of the Department of Statistics Notification No. M-12011/9/74-NSS-I, dated the 27th February, 1975, the Committee appointed in exercise of the powers conferred by Section 8(1) of the Indian Statistical Institute Act, 1959, for the year 1975-76 shall submit its report to Government by the end of August, 1975.

[No. M. 12011/9/74-NSS. 1]

HARISH CHANDRA, Dy. Secy.

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय

(पैट्रोलियम विभाग)

नई दिल्ली, 25 जुलाई, 1975

का० आ० 2676.—यतः पैट्रोलियम पाइप लाइन (भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय (पैट्रोलियम विभाग) की अधिसूचना का० आ० सं० 966 तारीख 29-3-75 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी के उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और, आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निदेश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में विहित होने के बजाय भारतीय तेल निगम लि० में सभी संघर्षों के मुक्त रूप में, इस घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

तालुका सनन्द जिला—अहमदाबाद गुजरात राज्य

गांव	सर्वेक्षण संख्या ब्लाक संख्या	क्षेत्र एच०	ए०	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5
सनाथल	327	0	29	12
	329	0	27	52
	339	0	02	24
	338	0	10	56
	337	0	16	80
	352	0	07	20
	353	0	10	80
	354	0	08	00
	356	0	17	00
	377+378	0	28	80
	385	0	04	80
	393	0	16	80
	384	0	05	06
	388	0	06	08
	389	0	12	14
	390	0	14	08
	391	0	10	62
	669	0	24	80
	677	0	12	32
	667	0	01	76
	678	0	02	72
	662+663	0	12	00
	679	0	19	50
	681	0	18	24
	683	0	04	96
	684	0	05	28
	717	0	17	28
	716	0	19	44
	715	0	23	00
	714	0	13	60
	627	0	03	20
	766	0	19	52
	767	0	11	00

1	2	3	4	5
	771	0	28	80
	772	0	10	40
	773	0	01	28
	841	0	16	96
	840	0	21	60
	838	0	06	72
	839	0	06	56
	836	0	00	96
	831	0	13	60
	830	0	24	96
	829	0	35	20
	891	0	07	36
नवापुर	138	0	16	00
	132	0	40	64
	135	0	00	64
	113	0	08	16
	114	0	06	56
	76	0	01	92
	74	0	14	56
	73	0	12	80
	72	0	00	20
	71	0	10	62
	70	0	08	00
	40	0	04	96
	41	0	11	64
	42	0	09	12
	24	0	00	32
	19 पी/1	0	14	56
	19 पी/2	0	12	96
	20	0	00	16
	22	0	11	50
	21	0	00	40
कोलट	33	0	18	50
	34 पी/1	0	09	35
	34 पी/2	0	13	87
	36	0	25	84
	37 पी/1	0	13	12
	37 पी/2	0	11	38
	42	0	36	90
	44 पी/1	0	09	66
	44 पी/2	0	11	20
	44 पी/3	0	08	16
	76/38	0	04	00
	76/35	0	06	72
	76/33	0	06	72
	76/34	0	09	44
	76/32	0	09	76
	76/30	0	10	24
	76/29	0	19	00
	76/22	0	15	00
	76/24	0	10	24
	77/45	0	10	56
	77/44	0	15	10
	77/43	0	13	60
	77/19	0	12	48
	77/42	0	07	20
	77/37	0	00	16
	77/20	0	16	16
	77/34	0	01	60
	77/33	0	20	32
	77/31	0	29	60
	77/29	0	13	00
	77/27	0	11	36
	78/3	0	20	00
	78/5	0	12	96
	78/6	0	08	48
मानस्व	998	0	19	20
	1015/1	0	11	36
	1015/2	0	04	16
	1014/1	0	17	28
	1014/2	0	00	48
	1013	0	15	52
	1025/1	0	04	64
	1025/2	0	12	00
	1035	0	00	64
	1034	0	16	48
	1033	0	24	00
	1032	0	00	64
	1041	0	19	20
	1042	0	26	20
	1043/1	0	13	50
	1043/2	0	21	28
	1288	0	01	92
	1287	0	17	28
	1286	0	20	64
	1283/1	0	25	00
	1284	0	05	44
	1258/3	0	11	20
	1259	0	32	64
	1260	0	04	32
	1255	0	25	60
	1251	0	13	28
	1252/2	0	00	48
	1252/1	0	12	00
	1244/1	0	05	60
	1244/2	0	16	48
	1242/1	0	05	92
	1243	0	07	20
	1510/1	0	14	56
मानव—जारी	1510/2	0	08	32
	1511	0	04	48

1	2	3	4	5
बामन्व--जारी	1516	0	19	00
	1515	0	19	00
	1521/2	0	04	80
	1522/1	0	03	04
	1522/1/2	0	16	48
	1522/2	0	05	12
	1523	0	00	96
	1524	0	19	20
	1525	0	00	64
	1527	0	04	16
	1526	0	12	80
	1571	0	17	60
	1572/1/ए	0	08	50
	1572/1/बी	0	08	50
	1582	0	20	00
	1591	0	22	72
	1589	0	05	28
	1593	0	04	80
	1594	0	17	00
	1714	0	18	65
	1713/1+2	0	00	50
	1717/1/+2—1	0	00	15
	+3पी	0	00	15
	1712/1+2पी	0	15	60
	1706	0	06	80
	1708	0	11	50
	1710	0	09	05
	1709	0	12	81
	1701	0	00	45
	1657/पायकी 1	0	07	50
	1658	0	11	75
	1659	0	07	45
	1696	0	21	50
	1680/पी+1677	0	13	80
	1681/3	0	04	30
	1681/2	0	04	30
	1681/2 पायकी 1	0	07	00
	1681/1 पायकी 2	0	07	00
	1681/1 पायकी 3	0	03	00
	1679+1690	0	02	10
	1689	0	10	60
	1688/पायकी 1	0	05	10
	1688/पी/2	0	05	65
	1686	0	05	55
	1687	0	04	75
	2080/1	0	07	15
	2080/2	0	10	05
	2079/पी-1	0	05	90
	2079/पी-2	0	01	30
	2096	0	00	20
	2085	0	27	30
	2088	0	06	40
सानन्द--जारी	2099	0	04	50
	2098	0	02	90
	2097	0	37	55
	2092	0	19	10
	2066	0	02	90
	2050/पी/1	0	00	30
	2060/पी/2	0	10	25
	2060/पी/3	0	05	00
	2061/पी/1	0	06	60
	2061/पी/2	0	04	95
	2059	0	12	40
	2051	0	19	50
	2058	0	07	00
	2055	0	18	85
	1999 पी/1	0	10	45
	1999/पी/2	0	08	15
	2000 पी/1	0	19	75
	2000 पी/2	0	28	35
	1975 पी/1	0	21	10
	1975 पी/2	0	09	10
	1975 पी/3	0	11	05
	1975 पी/4	0	24	25
	1963 पी/1	0	14	90
	1963 पी/2	0	10	50
	1964	0	24	05
	57	0	31	60
	59	0	12	40
	2163	0	00	45
	58 पी/1	0	14	20
	58 पी/2	0	13	15
	58 पी/3	0	38	25
	62	0	37	05
	77	0	04	30
	74	0	38	80
	73	0	00	16
वसोदरा	302	0	30	85
	308	0	17	80
	309	0	21	15
	311	0	31	40
	312	0	10	80
	279	0	06	10
	258	0	15	00
	251	0	03	30
	253	0	17	00
	256	0	10	95
	254	0	00	10
	233	0	23	80
	204/पी/1	0	16	35
	204/पी/2	0	00	60
	204/पी/3	0	08	15
	204/पी/4	0	12	90

1	2	3	4	5
रुपावती	270/2	0	08	05
	270/1	0	07	95
	271/2/पी	0	02	40
	271/1/पी/1	0	06	60
	271/1/पी/2	0	03	65
	271/1/पी/3	0	09	30
	212	0	13	00
	211/4	0	00	50
	211/5	0	13	64
	206	0	17	65
	207	0	14	40
	208/1	0	09	15
	208/2	0	21	30
	141	0	34	15
	142/2	0	12	35
	142/1	0	30	60
	143/2	0	22	00
	143/1	0	12	10
	145/2	0	04	10
	145/1	0	02	50
	146	0	73	90
खोडा	202	0	15	80
	203	0	14	20
	204	0	21	20
	223/4	0	13	45
	223/2/3	0	12	25
	223/1	0	07	62
	226/1	0	00	60
	225/3/बी	0	00	45
	225/1	0	11	30
	233/7	0	01	00
	226/10	0	06	10
	226/9	0	02	80
	226/8	0	10	05
	233/2/ए	0	03	65
	233/2/बी	0	03	70
	233/1	0	04	00
	232/6	0	03	90
	232/4	0	03	10
	232/3	0	00	40
	231	0	04	75
	300/2	0	01	20
	4/3	0	03	45
	4/1/सी	0	01	40
	4/1/बी	0	09	35
	4/1/ए	0	00	20
	2/2	0	00	95
	3/5/बी	0	09	05
	3/5/ए	0	05	90
	3/6	0	01	50
	3/7	0	00	05

1	2	3	4	5
खोडा—जारी	3/4	0	00	30
	3/1+2/बी	0	04	00
	3/1—2/ए	0	04	40
	16/2	0	05	10
	16/1/सी	0	00	55
	16/1/बी	0	06	30
	16/1/ए	0	04	40
	18/3/ए	0	02	80
	17/2	0	00	35
	17/4	0	03	45
	17/3	0	04	45
	34/4	0	00	25
	34/2	0	05	75
	34/1/ए	0	06	35
	34/1/बी	0	01	40
	35/2	0	01	05
	35/3/ए	0	10	85
	35/3/बी	0	08	85
	36/1	0	00	50
	38/2/बी	0	02	10
	38/2/ए	0	09	70
	39/3	0	11	90
नायं कोटपुरा	बिव छरोदी कैटल फार्म	1	77	00
कलामा	154	0	24	60
	153	0	13	70
	152	0	01	75
	155	0	28	75
	150	0	10	90
	149/2	0	25	10
	149/2	0	01	45
	133	0	20	00
	146	0	00	50
	134	0	31	35
	135	0	09	85
	138	0	04	80
	137/2	0	21	55
	126	0	33	50
	119/2	0	00	50
	117	0	37	40
	116	0	22	95
	105	0	21	05
	106/1-2	0	23	95
	100/2	0	06	60
	100/1	0	03	45
	79	0	16	10
	78/पी/1	0	13	15
	78/पी/2	0	17	65
	83	0	13	80
	75/1	0	24	60

1	2	3	4	5
	74/4	0	17	75
	74/3	0	03	10
	74/2	0	05	00
	74/1	0	02	80
	73	0	00	50
	54/पी/1	0	10	70
	54/पी/2	0	11	90
	58/1	0	30	90
	59	0	13	90
	57/2	0	04	65
	57/1	0	14	25
जोराज	801/पी/1	0	15	10
	801/पी/2	0	10	25
	802	0	21	40
	803	0	23	25
	809	0	13	20
	826	0	28	20
	830	0	34	80
	834	0	19	25
	835	0	00	15
	837	0	10	80
	836	0	02	40
	708/पी/1	0	30	90
	708/पी/2	0	10	50
	709	0	07	50
	707	0	08	15
	700	0	05	50
	690	0	00	30
	692	0	18	05
	693	0	33	36
	662	0	36	65
	661/पी/1	0	10	90
	661/पी/2	0	16	65
	631	0	58	70
	459	0	00	35
	586	0	01	70
	588	0	49	10
	591	0	00	40
	590	0	25	65
	82	0	01	05
	592	0	31	00
	593	0	32	20
	568	0	54	10
	553	0	27	15
	552	0	55	55
	537	0	00	80
	544	0	35	75
	538	0	15	90
	580	0	49	60

[सं० 12017/2/75-एल० एण्ड एल०]

MINISTRY OF PETROLEUM AND CHEMICALS

(Department of Petroleum)

New Delhi, the 25th July, 1975

S. O. 2676.—Whereas by a notification of the Govt. of India in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Department of Petroleum) S. O. No. 966 Dated 29-3-75. under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in land) Act, 1962 (50 of 1962). the Central Government declared its intention to acquire the Right of User in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipelines ;

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now therefore in exercise of the Power conferred by sub-section (1) of the section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipelines;

And further in exercise of the power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government vest on the date of the publication of this declaration in the Indian Oil Corporation Limited free from all encumberances.

SCHEDULE

Taluka : Sanand District : Ahmedabad Gujarat State

Village	Survey No. / Block No.	Extent H.	A.	Sq. M.
1	2	3	4	5
Santhal	327	0	29	12
	329	0	27	52
	339	0	02	24
	338	0	10	56
	337	0	16	80
	352	0	07	20
	353	0	10	80
	354	0	08	00
	356	0	17	00
	377+378	0	28	80
	385	0	04	80
	393	0	16	80
	384	0	05	06
	388	0	06	08
	389	0	12	14
	390	0	14	08
	391	0	10	62
	669	0	24	80
	677	0	12	32
	667	0	01	76
	678	0	02	72
	662+663	0	12	00
	679	0	19	50
	681	0	18	24
	683	0	04	96
	684	0	05	28
	717	0	17	28
	716	0	19	44
	715	0	23	00
	714	0	13	60
	627	0	03	20
	766	0	19	52
	767	0	11	00
	771	0	28	80
	772	0	10	40
	773	0	01	28
	841	0	16	96

1	2	3	4	5
Santhal (Contd.)	840	0	21	60
	838	0	06	72
	839	0	06	56
	836	0	00	96
	831	0	13	60
	830	0	24	96
	829	0	35	20
	891	0	07	36
Navapura	138	0	16	00
	132	0	40	64
	135	0	00	64
	113	0	08	16
	114	0	06	56
	76	0	01	92
	74	0	14	45
	73	0	12	80
	72	0	00	20
	71	0	00	62
	70	0	08	00
	40	0	04	96
	41	0	11	64
	42	0	09	12
	24	0	00	32
	19/P/1	0	14	56
	19 P/2	0	12	96
	20	0	00	16
	22	0	11	50
	21	0	00	40
Kolat	33	0	18	50
	34 P/1	0	09	35
	34 P/2	0	13	87
	36	0	25	84
	37 P/1	0	13	12
	37 P/2	0	11	38
	42	0	36	90
	44 P/1	0	09	66
	44 P/2	0	11	20
	44 P/3	0	08	16
	76/38	0	04	00
	76/35	0	06	72
	76/33	0	06	72
	76/34	0	09	44
	76/32	0	09	76
	76/30	0	10	24
	76/29	0	19	00
	76/22	0	15	00
	76/24	0	10	24
	77/45	0	10	56
	77/44	0	15	20
	77/43	0	13	60
	77/19	0	12	48
	77/42	0	07	20
	77/37	0	00	16
	77/20	0	16	16
	77/34	0	01	60
	77/33	0	20	32
	77/31	0	29	60
	77/29	0	13	00
	77/27	0	11	36
	78/3	0	20	00
	78/5	0	12	96
	78/6	0	08	48
Sanand	993	0	19	20
	1015/1	0	11	36
	1015/2	0	04	16
	1014/1	0	17	28
	1014/2	0	00	48
	1013	0	15	52
	1025/1	0	04	64
	1025/2	0	12	00
	1035	0	00	64
	1034	0	16	48
	1033	0	24	00
	1032	0	00	64
	1041	0	19	20
	1042	0	26	20
	1043/1	0	13	50
	1043/2	0	21	28
	1288	0	01	92
	1287	0	17	28

1	2	3	4	5
Sanand (Contd.)	1286	0	20	64
	1283/3	0	25	00
	1284	0	05	44
	1258/3	0	11	20
	1259	0	32	64
	1260	0	04	32
	1255	0	25	60
	1251	0	13	28
	1252/2	0	00	48
	1252/1	0	12	00
	1244/1	0	05	60
	1244/2	0	16	48
	1242/1	0	05	92
	1243	0	07	20
	1510/1	0	14	56
	1510/2	0	08	32
	1511	0	04	48
	1516	0	19	00
	1515	0	19	00
	1521/2	0	04	80
	1522/1/1	0	03	04
	1522/1/2	0	16	48
	1522/2	0	05	12
	1523	0	00	96
	1524	0	19	20
	1525	0	00	64
	1527	0	04	16
	1526	0	12	80
	1571	0	17	60
	1572/1/A	0	08	50
	1572/1/B	0	08	50
	1582	0	20	00
	1591	0	22	72
	1589	0	05	28
	1593	0	04	80
	1594	0	17	00
	1714	0	18	65
	1713/1+2	0	00	50
	1717/1+2+3 P	0	00	15
	1712/1+2 P	0	15	60
	1706	0	06	80
	1708	0	11	50
	1710	0	09	05
	1709	0	12	81
	1701	0	00	54
	1657/Paiki 1	0	07	50
	1658	0	11	75
	1659	0	07	45
	1696	0	21	50
	1680/P+1677	0	13	80
	1681/3	0	04	30
	1681/2	0	04	30
	1681/2 Paiki 1	0	07	00
	1681/1 Paiki 2	0	07	00
	1681/1 Paiki 3	0	03	00
	1679/+1690	0	02	10
	1689	0	10	60
	1688/Paiki 1	0	05	10
	1688/P-2	0	05	05
	1686	0	05	55
	1687	0	04	75
	2080/1	0	07	15
	208 /2	0	10	05
	2079/P-1	0	05	90
	2079/P-2	0	01	30
	2086	0	00	20
	2085	0	27	30

1	2	3	4	5
Sanand (Contd.)	2088	0	06	40
	2099	0	04	50
	2098	0	02	90
	2097	0	37	55
	2092	0	19	10
	2066	0	02	40
	2060/P/1	0	00	30
	2060/P/2	0	10	25
	2060/P/3	0	05	00
	2061/P/1	0	06	60
	2061/P/2	0	04	95
	2059	0	12	40
	2051	0	19	50
	2058	0	07	00
	2055	0	18	85
	1999/P/1	0	10	45
	1999/P/2	0	08	15
	2000/P/1	0	19	75
	2000/P/2	0	28	35
	1975/P/1	0	21	10
	1975/P/2	0	09	10
	1975P/3	0	11	05
	1975P/4	0	24	25
	1963P/1	0	14	90
	1963P/2	0	10	50
	1964	0	24	05
	57	0	31	60
	59	0	12	40
	2163	0	00	45
	58P/1	0	14	20
	58P/2	0	13	15
	58P/3	0	38	25
	62	0	37	05
	77	0	04	30
	74	0	38	80
	73	0	00	10
Vasodra	302	0	30	85
	308	0	17	80
	309	0	21	15
	311	0	31	40
	312	0	10	80
	279	0	06	10
	258	0	15	00
	251	0	03	30
	253	0	17	00
	256	0	10	95
	254	0	00	10
	233	0	23	80
	204/P/1	0	16	35
	204/P/2	0	00	60
	204/P/3	0	08	15
	204/P/4	0	12	90
Rupavati	270/2	0	08	05
	270/1	0	07	95
	271/2/P	0	02	40

1	2	3	4	
Rupavati—Contd.	271/1/P/1	0	06	60
	271/1/P/2	0	03	65
	271/1P/3	0	09	30
	212	0	13	00
	211/4	0	00	50
	211/5	0	13	64
	206	0	17	65
	207	0	14	40
	208/1	0	09	15
	208/2	0	21	30
	141	0	34	15
	142/2	0	12	35
	142/1	0	10	60
	143/2	0	22	00
	143/1	0	12	10
	145/2	0	04	10
	145/1	0	02	50
	146	0	73	90
Khoda	202	0	15	80
	203	0	14	20
	204	0	21	20
	223/4	0	13	45
	223/2/3	0	12	25
	223/1	0	07	62
	226/1	0	00	60
	225/3/B	0	00	45
	225/1	0	11	30
	233/7	0	01	00
	226/10	0	06	10
	226/9	0	02	80
	226/8	0	10	05
	233/2/A	0	03	65
	233/2/B	0	03	70
	233/1	0	04	00
	232/6	0	03	90
	232/4	0	03	10
	232/3	0	00	40
	231	0	04	75
	300/2	0	01	20
	4/3	0	03	45
	4/1/C	0	01	40
	4/1/B	0	09	35
	4/1/A	0	00	20
	2/2	0	00	95
	3/5/B	0	09	05
	3/5/A	0	05	90
	3/6	0	01	50
	3/7	0	00	05
	3/4	0	00	30
	3/1+2/B	0	04	00
	3/1+2/A	0	04	40
	16/2	0	05	10
	16/1/C	0	00	55
	16/1/B	0	06	30
	16/1/A	0	04	40
	18/3/A	0	02	80
	17/2	0	00	35

1	2	3	4	5
Kalana (Contd).	17/4	0	03	45
	17/3	0	04	45
	34/4	0	00	25
	34/2	0	05	75
	34/1/A	0	06	35
	34/1/B	0	01	40
	35/2	0	01	05
	35/3/A	0	10	85
	35/3/B	0	08	85
	36/1	0	00	50
	38/2/B	0	02	10
	38/2/A	0	09	70
	39/3	0	11	90
North Kotpura	Vid (Chharodi Cattle Farm)	1	77	00
Kalana . . .	154	0	24	60
	153	0	13	70
	152	0	01	75
	155	0	28	75
	150	0	10	90
	149/2	0	25	10
	149/1	0	01	45
	133	0	20	00
	146	0	00	50
	134	0	31	35
	135	0	09	85
	138	0	04	80
	137/2	0	21	55
	126	0	33	50
	119/2	0	00	50
	117	0	37	40
	116	0	22	95
	105	0	21	05
	106/1-2	0	23	95
	100/2	0	06	60
	100/1	0	03	45
	79	0	16	10
	78/P/1	0	13	15
	78/P/2	0	17	65
	83	0	13	80
	75/1	0	24	60
	74/4	0	17	75
	74/3	0	03	10
	74/2	0	05	00
	74/1	0	02	80
	73	0	00	50
	54/P/1	0	10	70
	54/P/2	0	11	90
	58/1	0	30	90
	59	0	13	90
	57/2	0	04	65
	57/1	0	14	25
Khoraj . . .	801/P/1	0	15	10
	801/P/2	0	10	25
Khoraj—(Cont.)	802	0	21	40
	803	0	23	25
	809	0	13	20
	826	0	28	20
	830	0	34	80
	834	0	19	25
	835	0	08	15
	837	0	10	80
	836	0	02	40
	708/P/1	0	30	90
	708/P/2	0	10	50
	709	0	07	50
	707	0	08	15
	700	0	05	50
	698	0	00	30
	692	0	18	05
	693	0	33	36
	662	0	36	65
	661/P/1	0	10	90
	661/P/2	0	16	65
	631	0	58	70
	459	0	00	35
	586	0	01	70
	588	0	49	10
	591	0	00	40
	590	0	25	65
	82	0	01	05
	592	0	31	00
	593	0	32	0
	568	0	54	10
	553	0	27	15
	552	0	55	55
	537	0	00	80
	544	0	35	75
	538	0	15	90
	580	0	49	60

[No. 12017/2/75-L&L]

नई दिल्ली, 28 जूलाई, 1975

का० आ० 2677.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में सलाया पत्तन से उत्तर प्रदेश में मथुरा तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन भारतीय तेल निगम लिमिटेड द्वारा बिछाई जानी चाहिये ।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अतः, अब, पेट्रोलियम पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है ।

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिये आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, भारतीय तेल निगम लिमिटेड, सलाया-कोयाली/मथुरा पाइपलाइन प्रोजेक्ट, "डोली"-33 बी, हरिहर सोसाइटी, राजकोट को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा ।

ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्ट यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिशः हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अनुसूची

तालुका : वीरमगम जिला : अहमदाबाद गुजरात राज्य

गांव	सर्वेक्षण सं०	तक		
		एच	ए	वर्गमील
हनसलपुर	676	0	42	10
सुरेश्वर	713	0	10	00
	992	0	04	75
	827	0	22	50
	921	0	15	10

[संख्या 12017/1/75-एल एण्ड एल]

New Delhi, the 28th July, 1975

S. O. 2677.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Salaya Port in Gujarat to Mathura in Uttar Pradesh Pipelines should be laid by the Indian Oil Corporation Limited.

And whereas it appears that for the purpose of laying such Pipelines, it is necessary to acquire the Right of User in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declare its intention to acquire the right of user therein:

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipelines under the land to the Competent Authority, Indian Oil Corporation Limited, Salaya-Koyali/Mathura Pipeline Project, "Doli" 33-B, Harihar Society, Rajkot.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

SCHEDULE

Taluka : Viramgam District : Ahmedabad Gujarat State

Village	Survey No.	Extent		
		H.	A.	Sq. M.
Hansalpur Sureshver	676	0	42	01
	713	0	10	00
	992	0	04	75
	827	0	22	50
	921	0	15	10

[No. 12017/1/75-L&L]

का० आ० 2678.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में सलाया पत्तन से उत्तर प्रदेश में मथुरा तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन भारतीय तेल निगम लिमिटेड द्वारा बिछाई जानी चाहिये ।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी पाइपों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अतः, अब, पेट्रोलियम पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है ।

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिये आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, भारतीय तेल निगम लिमिटेड, सलाया-कोयाली/मथुरा पाइपलाइन प्रोजेक्ट, "डोली"-33-बी, हरिहर सोसाइटी, राजकोट को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा ।

ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्ट यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिशः हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अनुसूची

तालुका—सानन्द जिला—अहमदाबाद गुजरात राज्य

गांव	सर्वेक्षण सं०	तक		
		एच०	ए०	वर्गमील
खोदा	300/5 300/7	0	04	85
	1+2	0	03	10
	300/4	0	00	40
	300/1	0	16	65

[संख्या 12017/2/75-एल एण्ड एल]

टी०पी० सुब्रह्मण्यन, अवर सचिव

S. O. 2678.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Salaya Port in Gujarat to Mathura in Uttar Pradesh pipelines should be laid by the Indian Oil Corporation Limited.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipelines, it is necessary to acquire the Right of Users in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declare its intention to acquire the right of user therein:

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipelines under the land to the Competent Authority, Indian Oil Corporation Limited, Salaya-Koyali/Mathura Pipelines Project, "DOLI" 33-B, Harihar Society, Rajkot.

And every person making such an objection shall also state pecifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

SCHEDULE

Taluka : Sanand District : Ahmedabad Gujarat State

Village	Survey No.	Extent H.	A.	Sq. M.
Khoda . . .	300/5 300/7	0	04	85
	1+2	0	03	10
	300/4	0	00	40
	300/1	0	16	65

[No. 12017/2/75- L & L]
T.P. SUBRAHMANYAN,
Under Secy.

नौवहन और परिवहन मंत्रालय, परिवहन पक्ष

नई दिल्ली, 25 जुलाई, 1975

व्यापार पोत

का० आ० 2679.—व्यापार पोत अधिनियम, 1958 (1958 का 44) की धारा 361 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा एर्नाकुलम के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को शक्तियां प्रदान करती है कि वह उक्त अधिनियम के भाग 12 के अधीन उन परिस्थितियों की औपचारिक जांच करें जिनके कारण 10 सितम्बर, 1973 से बंगाल-की खाड़ी के उत्तरी पत्तन में जाल-पोत यंत्रीकृत मत्स्य पोत "आकाश मारु 23" का नौ व्यक्तियों के अपने पूरे कर्मीदल के साथ लापता होने का अनुमान लगाया गया है।

[फा०सं० 6-एम०एस०सी(71)/73-एम०ए०]

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT
(Transport Wing)

New Delhi, the 25th July, 1975
Merchant Shipping

S.O. 2679.—In exercise of the powers conferred by Section 361 of the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958), the Central Government hereby empowers the Chief Judicial Magistrate of Ernakulam to make formal investigations under Part XII of the said act into the circumstances leading to the supposed loss of the trawler mechanised fishing vessel "Akash Maru-23" with her entire crew of nine persons, in the Northern Part of the Bay of Bengal, since the 10th September, 1973

[F. No. 6-MSC(71)/73-MA]

नई दिल्ली, 28 जुलाई, 1975

का० आ० 2680.—नाविक भविष्य निधि योजना, 1966 के पैरा 44 के साथ पठित नाविक भविष्य निधि अधिनियम, 1966 (1966 का 4) की धारा 4 की उपधारा (3) के अनुसरण में और भारत सरकार के नौवहन और परिवहन मंत्रालय (परिवहन पक्ष) की अधिसूचना सं० सा० आ० 2380 दिनांक 9 जुलाई, 1975 के क्रम में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निर्देश देती है कि भविष्य निधि अंशदान, ब्याज तथा अन्य प्राप्तियां, जो अनिवार्य भुगतान की राशि घटा कर दी हुई, में से संचयन का निर्देश निम्न-लिखित ढंग से किया जाएगा :—

1. सरकारी ऋण अधिनियम 1944(1944 का 18) की 2 के खंड 2 में यथा परिभाषित सरकारी जमानतें केन्द्रीय सरकार द्वारा सृजित और जारी।	25 से कम नहीं
(ii) सरकारी ऋण अधिनियम 1944(1944 का 18) की 2 के खण्ड (2) में यथा-परिभाषित सरकारी जमानतें राज्य सरकार द्वारा सृजित और जारी।	20% से कम नहीं।
(iii) अन्य कोई विनिमेय जमानतें अथवा बंधपत्र जिनके मूलधन और उसके ब्याज की पूर्ण रूप से बिना किसी शर्त के केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार ने गारन्टी दी हो।	20% से कम नहीं।
(iv) 7 वर्षीय राष्ट्रीय बचत पत्र (दूसरी श्रंखला तथा तीसरी श्रंखला) अथवा डाकघर सावधिक जमा।	30% से अधिक न हो।
(v) विशेष जमा योजना जो भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (अर्थ विभाग) सं० एफ० 16(1)-पी डी/75 दिनांक 30-6-75 की अधिसूचना द्वारा शुरू की गई।	25% से अधिक न हो।

उपरोक्त नमूना 1 जुलाई, 1975 से 31 मार्च, 1976 की अवधि के लिये लागू रहेगा।

2. भविष्य निधि संचयन का सकल पुनर्निवेश उपरोक्त पैरा 1 में उल्लिखित नमूने के अनुसार किया जायेगा।

[एम०एस०डब्ल्यू०(10)/70-एम०टी०]
दीवान चन्द अहीर, अवर सचिव

New Delhi, the 28th July, 1975

S. O. 2680....In pursuance of sub-section (3) of Section 4 of the Seamen's Provident Fund Act, 1966 (4 of 1966), read with paragraph 44 of the Seamen's Provident Fund Scheme, 1966, and in continuation of the notification of the Government of India, in the Ministry of Shipping & Transport (Transport Wing No. S. O. 2380 dated the 9th July, 1975, the Central Government hereby directs that accumulations out of provident fund contributions, interest and other receipts as reduced by obligatory outgoings, shall be invested in accordance with the following pattern, namely :—

(i) Government securities as defined in Clause (2) of Section 2 of the Public Debt Act, 1944 (18 of 1944) created and issued by the Central Government.	Not less than 25%
(ii) Government securities as defined in clause (2) of section 2 of the Public Debt Act, 1944 (18 of 1944) created and issued by any State Government.	Not less than 20%
(iii) Any other negotiable securities or bonds, the principal whereof and interest whereon is fully and unconditionally guaranteed by the Central Government or any State Government.	
(iv) 7-year National Saving Certificates (Second Issue and Third Issue) or Post Office Time Deposites.	Not exceeding 30%
(v) Special Deposit Scheme introduced by the notification of the Govt. of India in the Ministry of Finance (Deptt. of Economic Affairs) No. F. 16(1)-PD/75, dated 30-6-1975.	Not exceeding 25%

The above pattern will be in force for the period from the 1st July, 1975 to the 31st March, 1976.

2. All re-investment of provident fund accumulations shall also be made according to the pattern mentioned in paragraph 1 above.

[MSW(10)/75-MT]
D.C. AHIR, Under Secy.

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय

(पुनर्वास विभाग)

नई दिल्ली, 1 अगस्त, 1975

का० आ० 2681.—निष्क्रान्त सम्पत्ति प्रशासन अधिनियम, 1950 (1950 का XXXI) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार हरियाणा सरकार के पुनर्वास विभाग में उप-सचिव (पुनर्वास), हरियाणा श्री एच० एल० गुगनानी को तत्काल प्रभाव से उक्त अधिनियम द्वारा या इसके अन्तर्गत सहायक महा अभिरक्षक को सौंपे गए कार्यों को निष्पादित करने हेतु हरियाणा राज्य के लिए निष्क्रान्त सम्पत्ति सहायक महा अभिरक्षक के रूप में नियुक्त करती है। यह अधिसूचना संख्या 6072 ए/सी एस सी/69-ए एस ओ (एल) दिनांक 10-4-1960 का अतिक्रमण करती है।

[संख्या 1(16) विशेष सेल/75-एस एस-II]

दीना नाथ असीजा, अवर सचिव,

MINISTRY OF SUPPLY & REHABILITATION

(Department of Rehabilitation)

New Delhi, the 1st August, 1975

S.O. 2681.—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Administration of Evacuee Property Act, 1950 (XXXI of 1950), the Central Government hereby appoints for the State of Haryana, Shri H. L. Gugnani, Deputy Secretary (Rehabilitation), Haryana in the Rehabilitation Department of the State Government of Haryana as Assistant Custodian General of Evacuee Property for the purpose of discharging the duties imposed on such Assistant Custodian General by or under the said Act with immediate effect. This supercedes the notification No. 6072-A/CSC/69-ASO(L), dated 10-4-1970.

[No. 1(16)/Spl. Cell/75-SS. II]

D. N. ASIJA, Under Secy.

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, 28 जुलाई, 1975

का० आ० 2682.—भारत सरकार के भूतपूर्व वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के 24 मार्च, 1905 की अधिसूचना सं० 801 के साथ पठित भारतीय रेल अधिनियम 1890 (1890 का 9) की धारा 47 की उपधारा (3) का अनुसरण करते हुए, रेलवे बोर्ड एतद्द्वारा, मद्रास पोर्ट ट्रस्ट रेलवे द्वारा इस विषय पर उक्त धारा 47 की उपधारा (1) के खण्ड (च) और (छ) के अन्तर्गत की गई सभी पूर्ववर्ती अधिसूचनाओं का अधिक्रमण करते हुए, उक्त रेलवे पर चल-स्टाक और इंजनों के उपयोग का विनियमन करने और उसके द्वारा परेषिती या मालिक की ओर से भण्डागारण असैर माल को रोक रखने के लिये, निम्नलिखित नियम स्वीकार और प्रकाशित करता है अर्थात् :—

1. संक्षिप्त शीर्षक और लागू होने की तारीख

(1) इन नियमों को मद्रास पोर्ट ट्रस्ट रेलवे (विलम्ब शुल्क और स्थान शुल्क) नियम, 1975 कहा जा सकेगा।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख को लागू होंगे।

2. माल डिब्बों पर विलम्ब शुल्क।

(1) माल डिब्बों पर विलम्ब शुल्क निम्नलिखित दरों पर प्रभारित किया जायेगा अर्थात् :—

परिस्थितियां	छूट समय की अवधि	माल डिब्बे की वहन क्षमता पर प्रति मी० टन या मी० टन के किसी भाग के लिये छूट समय से अतिरिक्त प्रति घंटा या एक घंटे के किसी भाग के हिसाब से दर	टिप्पणी
1	3	3	4
(i) परेषकों द्वारा लादे जाने के लिये आदेशित माल डिब्बे या परेषण नोट के लिये या अन्यथा परेषक की चूक के कारण या उसके अनुरोध पर रोके गये माल डिब्बे	उस समय से 4 कार्य-घंटे जिस समय माल डिब्बे जिसमें विशेष किस्म के स्टाक जैसे बी० एफ० आर०, बी० एफ० यू०, बी० ओ० बी० एक्स०, एम० बी०, एफ० यू०, के० एफ०, के० यू०, के० एम०, टी० पी०, टी० एम० शामिल हैं, लदान के लिये लदान-स्थल पर लगाये जायें।	(I) टंकी माल डिब्बों के अलावा अन्य माल डिब्बों पर पहले 24 घंटों के लिये प्रतिघंटा 25 पैसे, इसके बाद के 24 घंटों के लिये प्रतिघंटा 30 पैसे, और इसके बाद के प्रति घंटा या उसके किसी भाग के लिये 40 पैसे। (II) टंकी माल डिब्बों पर सारी अवधि के लिये प्रति घंटे या उसके किसी भाग के लिये 60 पैसे।	परेषक ने जिस खाली डिब्बे या खाली डिब्बों के रेकों की मांग की है लदान के लिए, उन्हें लगाने की सूचना पर जिस समय से डिब्बे लगाये जायें तबसे लेकर 4 कार्य-घंटे बीत जाने के बाद तब तक विलम्ब शुल्क लगता रहेगा जब तक कि ऐसा माल डिब्बा या माल डिब्बों के रेक को हटाने की सूचना देकर पोर्ट ट्रस्ट रेलवे को सौंप नहीं दिये जाते। किन्तु, जो माल डिब्बे छूट समय के भीतर ही लाद कर हटाये जाने के लिये तैयार कर दिये जाते हैं उन पर कोई विलम्ब शुल्क नहीं लिया जायेगा, और जिन माल डिब्बों को छूट-समय समाप्त होने के बाद माल डिब्बों को लादकर हटाने के लिये तैयार किया जाये तो माल डिब्बे लगाने के समय से उनको हटाने के समय तक का विलम्ब

1	2	3	4
			शुल्क किया जायेगा, जिसमें से छूट समय की अवधि कम कर दी जायेगी लेकिन— इसके लिये निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी अर्थात्:— (i) माल डिब्बों के समूचे रैक के लिए हटाये जाने के मामलों की संख्या पिछली संख्या को भी मिलाकर दो तक सीमित रहेगी। (ii) हटाये जाने के पहले मामले में माल डिब्बों की संख्या 6 से कम न हो। (iii) यातायात प्रबंधक की राय में, ये माल डिब्बे बिना शांटिंग किये सीधे हटाये जा सकते हों। (iv) परेषक ने यदि किसी खासी माल डिब्बे की मांग की हो किन्तु उसे लादा न गया हो तो जिस समय वह माल-डिब्बा रेलवे से आया था और जब तक वह रेलवे को वापस नहीं कर दिया जाता या किसी दूसरे परेषक को नहीं दे दिया जाता, उस पर उतने समय का विलम्ब शुल्क लिया जायेगा और उसके लिये कोई छूट-समय मंजूर नहीं किया जायेगा।
(ii) लदे हुए माल डिब्बों पर जो किसी परेषिती द्वारा माल उतारे जाने की प्रतीक्षा में हों, या परेषिती की चूक के कारण या उसके अनुरोध पर रोक लिये गये हों।	उस समय से 4 कार्य-घंटे जिस समय माल डिब्बे जिनमें विशेष किस्म के स्टाक जैसे बी० एफ० आर० बी० एफ० यू०, बी० ओ० एक्स०, बी० एम० एफ० यू० के० पी०, के० यू० के० एम०, टी० पी०, टी० एम० टाइप के माल डिब्बे शामिल हैं, माल उतारने के स्थल पर लगाये जायें।	(i) टंकी माल डिब्बों के अलावा अन्य माल डिब्बों पर पहले 24 घंटों के लिये प्रति घंटा 25 पैसे, इसके बाद के 24 घंटों के लिए प्रति घंटा 30 पैसे और इसके बाद के प्रति घंटा या उसके किसी भाग के लिये 40 पैसे। (ii) टंकी माल डिब्बों पर सारी अवधि के लिये प्रति घंटे या उसके किसी भाग के लिये 60 पैसे।	परेषिती द्वारा जिन लदे हुए माल डिब्बों को या माल डिब्बों के रैक को खाली किया जाना हो, माल उतारने के लिये उन्हें उपयुक्त स्थान पर लगाने की सूचना पर जिस समय से डिब्बे लगाये तब से लेकर 4 कार्य-घंटे बीत जाने के बाद तब तक विलम्बशुल्क लगता रहेगा जब तक कि ऐसा माल डिब्बा या लदे हुए माल डिब्बों के रैक हटाने की सूचना देकर पोर्ट ट्रस्ट रेलवे को सौंप नहीं दिया जाता। किन्तु, जो माल डिब्बे छूट समय के भीतर ही खाली करके ले जाने के लिये तैयार कर दिये जाते हैं उन पर कोई विलम्ब शुल्क न लिया जायेगा और जिन माल डिब्बों को छूट-समय समाप्त होने के बाद खाली करके हटाने के लिये तैयार किया जायेगा उन पर रैक के लगाने के समय से उनको हटाने के समय तक का विलम्ब शुल्क लगाया जायेगा, जिसमें छूट समय की अवधि कम कर दी जायेगी, लेकिन इसके लिए निम्न-लिखित शर्तें लागू होंगी अर्थात् :— (i) माल डिब्बों के समूचे रैक के लिये हटाये जाने के मामलों की संख्या, पिछली संख्या को भी मिलाकर दो तक सीमित रहेगी। (ii) हटाये जाने के पहले मामले में माल डिब्बों की संख्या 6 से कम न हो। (iii) यातायात प्रबंधक की राय में ये माल-डिब्बे बिना शंटिंग किये सीधे हटाये जा सकते हों।

(2) इन नियमों के अधीन जिस समय से विलम्ब शुल्क लगना शुरू होता है, उस समय से यह शुल्क प्रत्येक घंटे या उसके किसी भाग के लिये प्रभारित किया जायेगा, जिसमें गैर कार्य घंटे, रात का समय शामिल है, लेकिन रेलवे के छूट दिवस शामिल नहीं है।

(3) माल पर स्थान शुल्क :—

स्थान शुल्क निम्नलिखित दरों पर लगाया जायेगा अर्थात् :—

परिस्थितियां	छूट समय की अवधि	पण्य	स्थान शुल्क की दर	टिप्पणी
1	2	3	4	
(i) भेजे जाने वाले माल पर जो भेजे जाने की प्रतीक्षा में हो।	जिस दिन माल स्टेशन पर लाया जाये उस दिन के काम का समय समाप्त होने तक	(क) मद (ख) में उल्लिखित माल को छोड़कर सभी किस्म के माल	(क) प्रथम दिन के लिये 25 पैसे दूसरे दिन के लिये 30 पैसे बाद के प्रत्येक दिन के लिये 50 पैसे	प्रतिदिन या दिन के भाग के लिये प्रति 50 कि० ग्राम या उसके भाग के लिये
		(ख) थोक माल के लिये जैसे अयस्क कोयला, लकड़ी का कोयला, जलाने की लकड़ी पत्थर।	(ख) पहले तीन दिनों के लिये 5 रुपये बाद के प्रत्येक दिन के लिये 7 रुपये	प्रतिदिन या दिन के भाग के लिये प्रति मीटरीटन या उसके भाग के लिये
(ii) सुपुर्दगी के लिये उपलब्ध माल पर	सुपुर्दगी के लिये माल उपलब्ध होने के दिन से अगले दिन काम का समय समाप्त होने तक	थोक या गैर थोक माल के लिये।	थोक या गैर-थोक माल के लिए जैसी स्थिति हो (i) की दरें लागू होंगी।	

[सं० टी० सी० 1/201/70 2]

MINISTRY OF RAILWAYS
(Railway Board)
New Delhi, the 28th July, 1975

S. O. 2682.—In pursuance of subsection (3) of section 47 of the Indian Railway Act 1890 (9 of 1890), read with the notification of the Government of India in the late Department of Commerce and Industry No. 801, dated the 24th March, 1905, the Railway Board hereby sanction and publish the following rules, made in supersession of all previous notifications on the subject by the Madras Port Trust Railway Under clauses (f) and (g) of sub-section (1) of the said section 47 for regulating the use of rolling stock and engine on, and for the ware-housing and detention of goods by, the said Railway on behalf of the consignee or owner, namely :—

1. Short title and commencement :

(1) These rules may be called the Madras Port Trust Railway (Demurrage and Wharfage) Rules, 1975.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Demurrage on Wagons :

(1) Demurrage on wagons shall be charged at the following rates, namely :—

Circumstances	Time allowed free	Rate per tonne or part of a tonne on carrying capacity of the wagon per hour or part of an hour in excess of free time	Remarks
1	2	3	4
(i) On wagons ordered to be loaded by the consignors or detained for consignment note or otherwise owning to default of or at the request of the consigner.	4-working hours from the time at which the wagons including the special type of stock such as BFR, BFU, BOBX, MBFU, KF, KU, KM, TP, TM, are placed in position for loading	(i) On wagons other than Tank wagons 25 paise per hour for the first 24 hours; 30 paise per hour for the next 24 hours; and 40 paise for every subsequent hour or port thereof	Demurrage shall be charged on an empty wagon or a rake of empty wagons which a consignor has asked for, after the expiry of 4 working hours from the time the wagons are placed by one placing advice for loading nuntil such wagon or the rake of wagon is handed over to the Port Trust Railway by one removel advise. However, in the case of wagons loaded and kept ready for removal within the free period, no demurrage shall be charged and in the case of wagons loaded and made ready for removal after the expiry of the free period, demurrage shall be charged from the time of placement of the wagons upto the time of removal of the wagons after allowing for the free period subject to the following conditions, namely :—

1	2	3	4
			(i) that the number of removals for the entire rake of wagons is limited to two including the last one;
		(ii) On tank wagon	(ii) that not less than six wagons are involved in the first removal;
		60 paise per hour or part thereof for the enture period.	(iii) that the wagons could, in the opinion of the Traffic Manager, be removed straightaway without involving any shunting operation.
			(iv) demurrage shall be charged on an empty wagon which a consignor has asked for but which is not loaded, from the time the wagon is received from the Railways until it is returned to the Railways for supplied to another consignor, no free time being allowed.
(ii) On loaded wagons waiting to be unloaded by a consignee or detained owing to default of or at the request of the consignee.	4 working hours from the time at which the wagons including special type of stock such as BFR, BFU, BOX, BOBS, BOBX, BM FU, KF, KU, KM, TP, TM are placed in position for unloading.	(i) On wagons other than tank wagons 25 paise perhour for the first 24 hours; 30 paise per hour for the next 24 hours; and 40 paise for every subsequent hour or part thereof.	Demurrage may be charged on a loaded wagon or a rake of loaded wagons which a consignee has to off load after the expiry of four working hours from the time the wagon or the rake of loaded wagons is placed by one placing advice for off-loading until such a wagon or the rake or wagons is handed over to the Port Trust Railway by one removal advice. However, in the case of wagons released and kept ready for removal with in the free time, no demurrage shall be charged and in the case of wagons released and made ready for removal after the expiry of the free period, demurrage shall be charged from the time of placement of the rake upto the time of the removal of the wagons after allowing for the free period subject to the following conditions, namely :—
		(ii) On Tank Wagons	(i) that the number of removals for the entire rake is limited to two including the last one;
		60 paise per hour or part thereof for the entire period.	(ii) that not less than six wagons are involved in the first removal;
			(iii) that the wagon could in the opinion of the Traffic Manager be removed straightaway without involving any shunting operation.

(2) From the time, demurrage begins to accrue under the rules, it shall be charged for every hour or part thereof including nonworking hours, night time, exclusive of railway dies-non.

(3) Wharfage on goods:—

Wharfage shall be charged at the following rates, namely : —

Circumstances	Time allowed free	Commodities	Rate of wharfage	
1	2	3	4	
(i) On goods for despatch waiting to be consigned.	Closing time of the day on which goods are brought to station.	(a) For goods of every description except goods enumerated in item (b).	(a) For the first day —25 paise For the next day—30 paise For every subsequent day—50 paise.	Per day or part of the day for evry 50 kg. or part thereof.
		(b) For goods in bulk such as Ore, coal, char-coal, fire-wood, stone.	(b) For the first 3 days—Rs. 5 For every subsequent day—Rs. 7..	Per day or part of the day. Per tonne or part thereof.
(ii) On goods available for delivery.	Closing time of the day following that on which goods are made available for delivery.	For goods in bulk and non-bulk goods.	Rates as for (i) applicable to goods in bulk or non-bulk goods as the case may be.	

[No. TC1/201/70/2]

का० आ० 2683.—भारतीय रेल अधिनियम 1890 (1890 का 9) की धारा 47 की उपधारा (1) के खण्ड (च) और (छ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा रेल (भाण्डागारण और स्थान शुल्क) नियम, 1958 जो भारत सरकार के रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) के 28 अगस्त, 1958 की अधिसूचना सं० टी० सी० 111/3036/58 नोटिफिकेशन के साथ प्रकाशित किया गया था में आगे और संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थात् :—

1. (1) ये नियम रेल (भाण्डागारण और स्थान शुल्क) दूसरा संशोधन नियम, 1975 कहे जा सकेंगे।

(2) ये 1 सितम्बर, 1975 से प्रवृत्त होंगे।

2. रेल (भाण्डागारण और स्थान शुल्क) नियम, 1958 के नियम 12 और 13 के लिये क्रमशः निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किये जायेंगे अर्थात् :—

"12. लादने/उतारने का काम सभी दिन किया जायेगा मालडिब्बे या कोचिंग वाहन में लादने या उतारने का काम परेषक/परेषिती द्वारा सभी दिन किया जायेगा जिनमें रविवार, गणतंत्र दिवस और स्वतन्त्रता दिवस शामिल हैं और विलम्ब शुल्क प्रभार के लिये ऐसे दिनों की वजह से कोई अतिरिक्त समय की छूट नहीं दी जायेगी।

"13. वे मामले, जिनमें रविवार गणतंत्र दिवस तथा स्वतंत्रता दिवस को छूट दिवस माना जाये—

सिवाय निम्नलिखित मामलों के रेल परिसरों से माल हटाने के लिये तथा स्थान शुल्क के प्रभार के लिये समय-छूट की संगणना करने में कोई रविवार, गणतंत्र दिवस या स्वतंत्रता दिवस नहीं गिना जायेगा, अर्थात्

(क) मवेशी, कुक्कुटादि, पक्षी और नश्य पदार्थ;

(ख) जब कोई रेल प्रशासन स्टेशन के नोटिस बोर्ड पर इस आशय का नोटिस लगाकर अधिसूचित करता है कि कोई स्टेशन या मालगोदाम अथवा साइडिंग सभी माल, पार्सलों अथवा किसी विशिष्ट कोटि के माल और पार्सल की बुकिंग और सुपुर्दगी के लिये रविवारों को खुला रहेगा, तब ऐसे अधिसूचित स्टेशनों, माल गोदामों, या साइडिंगों पर, रविवार की वजह के स्थान शुल्क लगाने के लिये अतिरिक्त समय-छूट नहीं दी जायेगी और ऐसे रविवारों को स्थान शुल्क प्रभार लगाने के लिये गिना जायेगा। लेकिन गणतन्त्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस को स्थान शुल्क लगाने के लिये नहीं गिना जायेगा।"

[सं० टी० सी 1/201/74/21]

अमृत लाल गुप्ता, सचिव

S.O. 2683.—In exercise of the powers conferred by clause (f) and (g) of sub-section (1) of section 47 of the Indian Railways Act, 1890 (9 of 1890), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Railways (Warehousing and Wharfage) Rules, 1958, published with the notification of the Government of India in the Ministry of Railways (Railway Board) No. TCIII/3036/58/Notification, dated the 28th August, 1958, namely:—

1. (1) These rules may be called the Railways (Warehousing and Wharfage) Second Amendment Rules, 1975.

(2) They shall come into force on the 1st day of September, 1975.

2. In the Railways (Warehousing and Wharfage) Rules, 1958 for rules 12 and 13, the following rules shall be respectively substituted, namely:—

"12 Loading/unloading to be done on all days.—Loading and unloading of a goods wagon or a coaching vehicle shall be done by a consignor/a consignee on all days including the Sundays, the Republic Day and the Independence Day, and no additional free time shall be allowed on account of any such day for charging demurrage.

13. Cases in which Sundays, Republic Day, and Independence Day to be treated as Dies-Non.—Any Sunday, the Republic Day or the Independence Day shall not be reckoned in calculating free time for removal of goods from the railway premises, and for charging wharfage, except in the following cases, namely:—

(a) animals, poultry, birds and perishable goods;

(b) when a Railway Administration notifies by displaying a notice on the Station Notice Board to the effect that any station or goods shed or siding shall be open on Sundays for booking or delivery of all goods and parcels or any specific category of goods and parcels, no additional free time shall be allowed at such notified stations, goods sheds, or sidings on account of Sundays which shall be reckoned in charing wharfage. However, the Republic Day and the Independence Day shall not be reckoned in charging wharfage."

[No. TCI/201/74/21]

A. L. GUPTA, Secy.

निर्माण और आवास मंत्रालय

नई दिल्ली 5 अगस्त, 1975

का०आ० 2684.—स्थावर सम्पत्ति अधिग्रहण और अर्जन अधिनियम, 1952 (1952 का 30) की धारा 2 के खंड (ख) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार नियोजन और निर्माण, आवास और नगर विकास मंत्रालय, निर्माण, आवास और नगर विकास विभाग की अधिसूचना संख्या का०आ० 1927 तारीख 19 मई, 1970 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात :—

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 1 के सामने, स्तंभ (1) में की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात:—

"आन्ध्र प्रदेश राज्य में सभी जिला राजस्व अधिकारी।"

[फा०सं० 19014(1)/75-पालिसी 4]

MINISTRY OF WORKS AND HOUSING

New Delhi, the 5th August, 1975

S.O. 2684.—In pursuance of clause (b) of section 2 of the Requisitioning and Acquisition of Immovable Property Act, 1952 (30 of 1952), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India, Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development, Department of Works, Housing and Urban Development number S.O. 1927, dated the 19th May, 1970, namely :—

In the said notification, in the Table, against serial number 1, for the entry in column (1), the following entry shall be substituted, namely :—

"All District Revenue Officers in the State of Andhra Pradesh."

[F. No. 19014(1)/75-Pol. IV]

का०आ० 2685.—स्थावर सम्पत्ति अधिग्रहण और अर्जन अधिनियम, 1952 (1952 का 30) की धारा 2 के खंड (ख) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार नियोजन और

निर्माण, आवास और नगर विकास मंत्रालय, निर्माण, आवास और नगर विकास विभाग की अधिसूचना संख्या का०आ० 1928 तारीख 19 मई, 1970 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात :—

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 1 के सामने, स्तंभ (2) में की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात :—

"आन्ध्र प्रदेश राज्य में सभी जिला राजस्व अधिकारी।"

[फा० संख्या 19014(1)/75-पालिसी 4]

एच० आर० गोयल, उप-निदेशक

S.O. 2685.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 17 of the Requisitioning and Acquisition of Immovable Property Act, 1952 (30 of 1952), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Health and Family Plannig and Works, Housing and Urban Development, Department of Works, Housing and Urban Development number S.O. 1928 dated the 19th May, 1970, namely :—

In the said notification in the Table, against serial number 1, for the entry in column (2), the following entry shall be substituted, namely :—

"All District Revenue Officers in the State of Andhra Pradesh."

[F. No. 19014(1)/75-Pol. IV]

H. R. GOEL, Dy. Director

श्रम मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 18 जुलाई, 1975

का० आ० 2686.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में इंडियन एयर लाईन्स मुम्बई, से संबंध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है ;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप-धारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण संख्या 2, मुम्बई को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है ।

अनुसूची

क्या इंडियन एयर लाईन्स मुम्बई क्षेत्र के प्रबन्धतंत्र को, श्री वी० जी० पावार को एक नये रंगरूट के रूप में अपनी सेवाओं में लेते समय उनकी सेवा की निरन्तरता और पिछली पूरी मजदूरी को इनकार करते हुए और उसे ग्रेड 1/2 में के न्यूनतम वेतनमान का प्रारंभ देने और उसे परिवीक्षा पर रखने की कार्यवाही न्यायोचित है ? यदि नहीं, तो कर्मकारी किस अनुतोष का हकदार है ?

[संख्या एल-11011/4/72-एल०आर० III डी 2-बी]

MINISTRY OF LABOUR

ORDER

New Delhi, the 18th July, 1975

S.O. 2686.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the Indian Airlines, Bombay and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed ;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Industrial Tribunal No. 2, Bombay, constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

Whether the action of the management of the Indian Airlines, Bombay Region, in having denied continuity of service and full back wages to Shri V. G. Pawar while entertaining him in their services as a fresh recruit, and starting him at the minimum of the scale in Grade 1/2 and placing him on probation is justified ? If not, to what relief the employee is entitled ?

[No. L-11011/4/72-LR. III/DIIB]

आदेश

नई दिल्ली, 4 अगस्त, 1975

का० आ० 2687.—छावनी बोर्ड, सुबाथू के प्रबन्धतंत्र से संबंद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, जिनका प्रतिनिधित्व अखिल भारत छावनी बोर्ड कर्मचारी संगठन करता है, एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ;

और उक्त नियोजकों और कर्मकारों ने औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10क की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसरण में एक लिखित करार द्वारा उक्त विवाद को उसमें वर्णित व्यक्ति के माध्यस्थम् के लिए निर्देशित करने का करार कर लिया है और उक्त माध्यस्थम करार की एक प्रति केन्द्रीय सरकार को भेजी गई है ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क की उपधारा (3) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार उक्त माध्यस्थम करार को, जो उसे 30 जुलाई, 1975 को मिला था, प्रकाशित करती है ।

करार

(औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10क के अधीन)

के बीच

पक्षकारों के नाम :

1. नियोजकों का प्रतिनिधित्व करने वाले : श्री बालशरण सिंह
कार्यकारी अधिकारी छावनी बोर्ड,
सुबाथू (हि० प्र०)
2. कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले : श्री जे० डी० बक्शी,
महा सचिव,
अखिल भारत छावनी बोर्ड
कर्मचारी संगठन,
अम्बाला छावनी ।

पक्षकारों के बीच निम्नलिखित औद्योगिक विवाद को श्री जे० एल० बाधी, सहायक श्रमायुक्त (केन्द्रीय), कानपुर के माध्यस्थम् के लिए निर्देशित करने का करार किया गया है ।

1. विनिर्दिष्ट विवाद ग्रस्त विषय :

"क्या छावनी बोर्ड सुबाथु के प्रबन्धतंत्र की डा० जे० एम० थापर को पहली फरवरी, 1968 से 350-900 रुपये के वेतन-मान मंजूर करने की कार्यवाही न्यायोचित है ? यदि नहीं, तो वह किस अनुतोष के हकदार है ?"

2. विवाद के पक्षकारों का विवरण, जिसमें अन्तर्वलित स्थापना या उपक्रम का नाम और पता भी सम्मिलित है ।

1. छावनी बोर्ड,
सुबाथु ।

2. अखिल भारत छावनी बोर्ड कर्मचारी संगठन,
अम्बाला छावनी ।

3. कर्मकार का नाम यदि वह स्वयं विवाद में अन्तर्ग्रस्त हो या यदि कोई संघ प्रश्नगत कर्मकार या कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करता हो तो उसका नाम ।

अखिल भारत छावनी बोर्ड कर्मचारी संगठन, अम्बाला छावनी ।

4. प्रभावित उपक्रम में नियोजित कर्मकारों की कुल संख्या 58

5. विवाद द्वारा प्रभावित या संभाव्यतः प्रभावित होने वाले कर्मकारों की प्राक्कलन संख्या 1

हम यह करार भी करते हैं कि मध्यस्थ का विनिश्चय हम पर आबद्धकर होगा ।

मध्यस्थ अपना पंचाट छः मास की कालावधि या इतने और समय के भीतर जो हमारे बीच पारस्परिक लिखित करार द्वारा बढ़ाया जाय, देगा । यदि पूर्व वर्णित कालावधि के भीतर पंचाट नहीं दिया जाता तो माध्यस्थम् के लिए निदेश स्वतः रद्द हो जायेगा और हम नये माध्यस्थम् के लिए बातचीत करने को स्वतंत्र होंगे ।

साक्षी :

1. ह०—ए० सी० त्रिपाठी ह०-बालशरण सिंह
नियोजकों का प्रतिनिधित्व करने वाले

2. ह०-अपाठ्य ह०-जे० डी० बक्शी
कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले ।

[संख्या एल 13012(3)/75 डी०(बी)]

ORDER

New Delhi the 4th August, 1975

S.O.2687.—Whereas an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of the Cantonment Board, Subathu and its workmen represented by All India Cantonment Board Employees Federation.

And, whereas the said employers and workmen have, by a written agreement, in pursuance of the provisions of sub-section(1) of section 10A of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), agreed to refer the said dispute to arbitration by the person specified therein, and a copy of the said arbitartion agreement has been forwarded to the Central Government,

Now, therefore, in pursuance of sub-section(3) of section 10A of the said Act, the Central Government hereby publishes the said arbitration agreement which was received by it on the 30th July, 1975.

AGREEMENT

(Under Section 10A of the Industrial Disputes Act, 1947)

Between

Name of parties:

1. Representing Employer — Sri Balsharn Singh, Executive Officer Cantonment Board Subathu (H.P.)

2. Representing Workmen — Sri J.D. Bakshi, General Secretary, All India Cantt. Board Employees' Federation, bala Cantt.

It is hereby agreed between the parties to refer the following dispute to the arbitration of Sri J.L. Wadhi, Assistant Labour Commissioner (Central), Kanpur.

1. Specific matter in dispute.

"Whether the Action of the Management of the Cantonment Board Subathu in denying Dr. J.S. Thapar the Scale of pay of Rs.350-900 w.e.f. 1-2-1968 is legal and Justified ? If not, to what relief is he entitled ?"

2. Details of the parties to the dispute including the name and address of the establishment or undertaking involved.

1. Cantonment Board, Subathu.

2. All India Cantt. Board, Employees' Federation, Ambala Cantt.

3. Name of the workman in case he himself is involved in the dispute or the name of the Union, if any, representing the workman or workmen in question.

All India Cantt. Board Employees' Federation Ambala Cantt.

4. Total number of workmen employed in the undertaking affected.

5. Estimated number of workmen affected or likely to be affected by the dispute. 58

We further agree that the decision of the Artbitrator shall be binding on us. 1

The Arbitrator shall make his award within a period of Six months or within such further time as is extended by mutual agreement between us in writing. In case the award is not made within the period aforementioned, the reference to arbitration shall stand automatically cancelled and we shall be free to negotiate for fresh arbitration.

Sd/- BALSHARN SINGH, Representing Employer

Witness :
Sd/—A.C. Tripathi
Sd/—Illegible

Sd/- J.D. BAKSHI, Representing workmen

[No. L-13012(3)/75-D. II(B).]

आदेश

नई दिल्ली, 5 अगस्त, 1975

का० आ० 2688।—छावनी बोर्ड, सुबाथु के प्रबन्धतंत्र के संबंध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, जिनका प्रतिनिधित्व अखिल भारत छावनी बोर्ड कर्मचारी संगठन करता है, एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ;

और उक्त नियोजकों और कर्मकारों ने औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (1947 का 14) की धारा 10क की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसरण में एक लिखित करार द्वारा उक्त विवाद को उसमें वर्णित व्यक्ति के माध्यस्थम् के लिए निर्देशित करने का करार कर लिया है और उक्त माध्यस्थम् करार की एक प्रति केन्द्रीय सरकार को भेजी गई है ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम, की धारा 10क की उपधारा (3) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार उक्त माध्यस्थम करार को, जो उसे 30 जुलाई, 1975 को मिला था, प्रकाशित करती है ।

(करार)

(औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10-क के अधीन)

के बीच

पक्षकारों के नाम :

नियोजक का प्रतिनिधित्व करने वाले : श्री बालशरण सिंह,
कार्यकारी अधिकारी छावनी बोर्ड,
सुबाथू (हि० प्र०)।

कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले : श्री जे० डी० बक्शी,
महासचिव,
अखिल भारत छावनी बोर्ड,
कर्मचारी संगठन अम्बाला छावनी

पक्षकारों के बीच निम्नलिखित औद्योगिक विवाद को श्री जे० एल० वाधी, सहायक श्रमायुक्त (केन्द्रीय), कानपुर के माध्यस्थम् के लिए निर्देशित करने का करार किया गया है :

1. विनिर्दिष्ट विवादग्रस्त विषय :

"क्या छावनी बोर्ड, सुबाथू के प्रबन्धसंत्र की श्री रूप लाल, भूतपूर्व कम्पाउण्डर को 1-9-1969 से 23-5-1973 तक 140-300 रुपये का वेतनमान नामंजूर करने की कार्यवाही वैध और न्यायोचित है ? यदि नहीं, तो वह किस अनुतोष के हकदार हैं ?"

2. विवाद के पक्षकारों का विवरण, जिसमें अन्तर्वलित स्थापन या उपक्रम का नाम और पता भी सम्मिलित है ।

1. छावनी बोर्ड
सुबाथू ।

2. अखिल भारत छावनी बोर्ड कर्मचारी संगठन,
अम्बाला छावनी ।

3. श्रमिक का नाम यदि वह स्वयं विवाद में अन्तर्ग्रस्त हो या यदि कोई संघ प्रश्नगत कर्मकार या कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करता हो, तो उसका नाम ।

अखिल भारत छावनी बोर्ड कर्मचारी संगठन, अम्बाला छावनी ।

4. प्रभावित उपक्रम में नियोजित कर्मकारों की कुल संख्या : 58

5. विवाद द्वारा प्रभावित या संभाव्यतः प्रभावित होने वाले कर्मकारों की प्राक्कलित संख्या 1

हम यह करार भी करते हैं कि मध्यस्थ का विनिश्चय हम पर आबद्धकर होगा ।

मध्यस्थ अपना पंचाट छः मास की कालावधि या इतने और समय के भीतर जो हमारे बीच पारस्परिक लिखित करार द्वारा बढ़ाया जाय, देगा । यदि पूर्व वर्णित कालावधि के भीतर पंचाट नहीं दिया जाता तो माध्यस्थम् के लिए निदेश स्वतः रद्द हो जायेगा और हम नए माध्यस्थम् के लिए बातचीत करने को स्वतंत्र होंगे ।

ह०/-बालशरण सिंह,
नियोजक का प्रतिनिधित्व करने वाले ।

ह०/-जे० डी० बक्शी,
श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने वाले

साक्षी

(1) ह०/अपाठ्य

(2) ह०/-अपाठ्य

[संख्या एल-13012/4/75-डी-2 (बी)]

हरबंस बहादुर, अनुभाग अधिकारी (विशेष)

60 GI/75—8

ORDER

New Delhi, the 5th August, 1975

S.O. 2688.—Whereas an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Cantonment Board, Subathu and its workmen represented by All India Cantonment Board Employees Federation.

And, whereas the said employers and workmen have, by a written agreement, in pursuance of the provisions of sub-section (1) of section 10A of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), agreed to refer the said dispute to arbitration by the person specified therein, and a copy of the said arbitration agreement has been forwarded to the Central Government.

Now, therefore, in pursuance of sub-section (3) of section 10A of the said Act, the Central Government hereby publishes the said arbitration agreement which was received by it on the 30th July, 1975.

AGREEMENT

(Under Section 10A of the Industrial Disputes Act, 1947)
Between

Name of parties :

1. Representing Employer — Sri Balsharn Singh, Executive Officer, Cantonment Board, Subathu (H.P.)

2. Representing workmen — Sri J.D. Bakshi, General Secretary All India Cantt. Board Employees Federation, Ambala Cantt.

It is hereby agreed between the parties to refer the following dispute to the Artbitration of Sri J.L. Wadhi, Assistant Labour Commissioner (Central), Kanpur :

1. Specific matter in dispute :

"Whether the Action of the Management of the Cantonment Board Subathu in denying Sri Roop Lal, Ex-compounder the Scale of pay of Rs. 140-300 w.c.f. 1-9-1969 to 23-5-1973 is legal and Justified ? If not, to what relief is he entitled ?"

2. Details of the parties to the dispute including the name and address of the establishment or undertaking involved.

1. Cantonment Board, Subathu.

2. All India Cantt. Board Employees' Federation, Ambala Cantt.

3. Name of the workman in case he himself is involved in the dispute or the name of the Union, if any, representing the workman or workmen in question.

All India Cantt. Board Employees' Federation, Ambala Cantt.

4. Total number of workmen employed in the undertaking affected. 58

5. Estimated number of workmen affected or likely to be affected by the dispute. 1

We further agree that the decision of the Arbitrator shall be binding on us.

The Arbitrator shall make his award within a period of Six months or within such further time as is extended by mutual agreement between us in writing. In case the award is not made within the period aforementioned, the reference to arbitration shall stand automatically cancelled and we shall be free to negotiate for fresh arbitration.

Sd/—Balsharn Singh
Representing Employer

Witnesses:—
1. Sd/- Illegible
2. Sd/-Illegible

Sd/-J.D. Bakshi
Representing workmen

[No. L-13012/4/75-D. II(B)]

HARBANS BAHADUR, Section Officer (Special)

आदेश

नई दिल्ली, 14 जुलाई, 1975

का० आ० 2689.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में कोल माइन्स अथोरिटी लिमिटेड की जामूबाद कोलियरी डाकघर कजोराग्राम जिला बर्दवान के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ।

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है ;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, कलकत्ता को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है ।

अनुसूची

क्या जामबाद, डाकघर कजोराग्राम, जिला बर्दमान के सम्बन्ध में कोल माइन्स अथोरिटी लिमिटेड के प्रबन्धतन्त्र की, सर्वश्री दुर्गादास, गण्टाई दास निगा नायक, गोविन्द दास, त्रिनाथ प्रधान, बंचा सेनापति और दौरी साहु, साधारण मजदूरों/वैगन भरने वालों का, 16 सितम्बर, 1974 से नियोजन से रोकने की कार्रवाई न्यायोचित है ? यदि नहीं, तो उक्त कर्मकार किस अनुतोष के हकदार हैं ?

[सं० एल-19012/1/75-डी०3/बी]

एस०एच०एस० अय्यर, अनुभाग अधिकारी विशेष

ORDER

New Delhi, the 14th July, 1975

S.O. 2689.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Jambad Colliery, Post Office Kajoragram, District Burdwan, of the Coal Mines Authority Limited and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed ;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal, Calcutta, constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

Whether the action of the management of Coal Mines Authority Limited in relation to Jambad Colliery, Post Office Kajoragram, District Burdwan are justified in stopping the employment of Sarva Shri Durja Dasa, Gantai Dasa, Ninga Nayaka, Govinda Dasa, Trinath Pradhana, Bancha Senapati and Bauri Sahu, General Mazdoor/Wagon Loaders with effect from 16th September, 1974 ? If not, to what relief are the said workmen entitled ?

[No. L-19012/1/75-D. III/B]

S. H. S. IYER, Section Officer (Spl.)

आदेश

नई दिल्ली, 5 जुलाई, 1975

का० आ० 2690.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में बैंक आफ महाराष्ट्रा से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकार के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण, मुम्बई को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है ।

अनुसूची

क्या बैंक आफ महाराष्ट्र, पूणे की अपनी शोलापुर शाखा के रोकडिया श्री डी० ए० हारडीकर की सेवाएं 24 दिसम्बर, 1974 से समाप्त करने की कार्रवाई न्यायोचित है ? यदि नहीं, तो उक्त कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है ?

[सं० एल-12012/55/75-डी-II/A]

ORDER

New Delhi, the 5th July, 1975

S.O. 2690.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the Bank of Maharashtra and their workman in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Industrial Tribunal, Bombay, constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

Whether the action of the management of the Bank of Maharashtra, Poona, in terminating the services of Shri D. A. Hardikar, Cashier of their Sholapur Branch, with effect from the 24th December, 1974 is justified ? If not, to what relief is the said workman entitled ?

[No. L-12012/55/75-D-II/A]

आदेश

का० आ० 2691.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में बैंक आफ बड़ौदा से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकार के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण, मुम्बई को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है ।

अनुसूची

क्या प्रादेशिक प्रबन्धक, बैंक आफ बड़ौदा, मसकरी मार्केट, सदर बाजार, अहमदाबाद का श्री ए० बी० शाह, लिपिक को मसकरी मार्केट शाखा से मानीनगर शाखा को स्थानान्तरित करना न्यायोचित है ? यदि नहीं तो उक्त कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है ?

[सं० एल-12012/39/75/डी-II/ए]

ORDER

S.O. 2691.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the Bank of Baroda and their workman in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Industrial Tribunal, Bombay, constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

Whether the Regional Manager, Bank of Baroda, Maskari Market, Sadar Bazar, Ahmedabad is justified in transferring Shri A. B. Shah, Clerk, from Maskari Market Branch to Maninagar Branch? If not, to what relief is the said workman entitled ?

[No. L-12012/39/75/D-II/A]

आदेश

नई दिल्ली, जुलाई, 1975

का० आ० 2692.—यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में भारतीय स्टेट बैंक से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है,

और यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है ;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण, दिल्ली को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

अनुसूची

क्या भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंधतंत्र की बैंक की मथुरा शाखा के श्री श्याम बाबू लिपिक एवं कोषाध्यक्ष की सेवाएं 5 अगस्त, 1974 को समाप्त कर देने की कार्यवाही न्यायोचित है ? यदि नहीं तो उक्त कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है ?

[सं० एल-12012/8/75-डी-III ए]

ORDER

New Delhi, the 7th July, 1975

S.O. 2692.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the State Bank of India and their workman in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Industrial Tribunal, Delhi, constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

Whether the action of the management of the State Bank of India, New Delhi, in terminating the services of Shri Shyam Babu, Clerk-cum-Cashier in the Mathura Branch of the Bank with effect from the 5th August, 1974 is justified? If not, to what relief is the said workman entitled ?

[No. L-12012/8/75/D. II/A.]

आदेश

नई दिल्ली, 16 जुलाई, 1975

का० आ० 2693.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में ओरियन्टल फायर एण्ड जनरल एन्श्योरेंस कम्पनी से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7-क और धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण, दिल्ली को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है ।

अनुसूची

क्या ओरियन्टल फायर एण्ड जनरल एन्श्योरेंस कम्पनी के प्रबंधतंत्र का अपने कर्मकारों से कृत्यकारी भत्ता वापस लेना और पहले से ही किए गए अनुग्रहपूर्वक संदाय को वसूल करना, न्यायोचित है ? यदि नहीं, तो उक्त कर्मकार किस अनुतोष के हकदार हैं ?

[सं० एल० 17011/2/75/डी II/ए]

ORDER

New Delhi, the 16th July, 1975

S.O. 2693.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the Oriental Fire and General Insurance Company and their workmen in respect of the matter specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Industrial Tribunal, Delhi, constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

Whether the management of Oriental Fire and General Insurance Company is justified in withdrawing the functional allowance and in recovering the ex-gratia payment already paid to their workmen? If not, to what relief are the said workmen entitled ?

[No. L-17011/2/75/D. II/A]

आदेश

नई दिल्ली, 18 जुलाई, 1975

का० आ० 2694.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में बैंक आफ महाराष्ट्र से संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद, अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7क और धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण को न्याय-निर्णयन के लिए निर्देशित करती है ।

अनुसूची

क्या बैंक आफ महाराष्ट्र के प्रबन्धतंत्र की श्री एस० एच० समुद्र की ज्येष्ठता और सेवा में पुष्टि के प्रयोजनार्थ, उसके द्वारा की गई दो मास, 1 अप्रैल, 1969 से 31 मई, 1969 तक की सेवा का न जोड़ना न्यायोचित है ? यदि नहीं तो उक्त कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है ?

[संख्या एल० 12012/56/75 डी II/ए]

ORDER

New Delhi, the 18th July, 1975

S.O. 2694.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the Bank of Maharashtra and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Industrial Tribunal, No. 1 Bombay, constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

Whether the action of the management of the Bank of Maharashtra in not giving credit to the two months service from the 1st April, 1969 to 31st May, 1969, rendered by Shri S. H. Samudra for the purpose of his seniority and confirmation in service is justified ? If not, to what relief is the said workman entitled ?

[No. L-12012/56/75/D. II/A]

आदेश

का० आ० 2695.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में भारतीय स्टेट बैंक से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7क और धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है, जिसके पीठासीन अधिकारी श्री टी० पालानियप्पन होंगे जिनका मुख्यालय मद्रास में होगा और उक्त विवाद को उक्त औद्योगिक अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है ।

अनुसूची

क्या भारतीय स्टेट बैंक के प्रबन्धतंत्र की, भारतीय स्टेट बैंक, तिरुवादनाई, के संदेशवाहक श्री ए० सुब्बारामण को 12 जून, 1962 से सेवोन्मुक्त करने की कार्रवाई न्यायोचित है ? यदि नहीं तो उक्त कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है ?

[संख्या एल० 12012/138/74-एल आर III]

ORDER

S.O. 2695.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the State Bank of India and their workmen in respect of the matter specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7A and clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri T. Palaniappan shall be the Presiding Officer, with headquarters at Madras and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

SCHEDULE

Whether the action of the management of the State Bank of India in discharging Shri A. Subbaraman, Messenger State Bank of India, Tiruvadanai with effect from the 12th June, 1969, is justified ? If not, to what relief is the said workman entitled ?

[No. L. 12012/138/74/LRIII]

आदेश

नई दिल्ली, 21 जुलाई, 1975

का० आ० 2696.—केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में भारतीय स्टेट बैंक से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7क और धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है, जिसके पीठासीन अधिकारी श्री एच० आर० सोधी होंगे, जिनका मुख्यालय चण्डीगढ़ में होगा और उक्त विवाद को उक्त औद्योगिक अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

अनुसूची

क्या भारतीय स्टेट बैंक, सुन्दरनगर के प्रबन्धतंत्र की, श्री रवी सिंह की सेवाएं 1 जुलाई, 1974 से समाप्त करने की कार्रवाई वैध और न्यायोचित है ? यदि नहीं, तो वह किस अनुतोष का हकदार है ?

[सं० एल० 12012/143/74-एल आर III]

ORDER

New Delhi, the 21st July, 1975

S.O. 2696.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the State Bank of India and their workmen in respect of the matter specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by section 7A, and clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri H. R. Sodhi shall be the Presiding Officer, with headquarters at Chandigarh and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

SCHEDULE

Whether the action of the management of the State Bank of India, Sundernagar, in terminating the services of Shri Ravi Singh with effect from the 1st July, 1974 is legal and justified ? If not, to what relief is he entitled ?

[No. L-12012/143/74/LRIII]

आदेश

का० आ० 2697.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में बैंक आफ मदुरई लिमिटेड से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7क और धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है, जिसके पीठासीन अधिकारी, श्री टी० पलानिअप्पन होंगे, जिनका मुख्यालय मद्रास में होगा और उक्त विवाद को उक्त औद्योगिक अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है ।

अनुसूची

क्या बैंक आफ मदुरई के प्रबन्धतंत्र की अपने कुछ कर्मकारों को नकदी पुरस्कार देने की कार्रवाई भेदभावपूर्ण है या अनुचित श्रम व्यवहार का कार्य है । अथवा दोनों हैं ? यदि ऐसा है, तो अन्य कर्मकार किस अनुतोष के हकदार हैं ?

[सं० एल० 12011/14/75/डी II/ए]

ORDER

S.O. 2697.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the Bank of Madurai Limited and their workmen in respect of the matter specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7A, and clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri T. Palaniappan shall be the Presiding Officer, with headquarters at Madras and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

SCHEDULE

Whether the action of the management of the Bank of Madurai Limited in granting Cash awards to some of their workmen is discriminatory or is unfair Labour practice or both ? If so, to what reliefs are the other workmen entitled ?

[No. L-12011/14/75/DII/A]

आदेश

का० आ० 2698.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में न्यू इण्डिया एश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ।

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है ।

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण दिल्ली को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है ।

अनुसूची

क्या मैसर्स न्यू इण्डिया एश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, नई दिल्ली के प्रबंधतंत्र का, श्री गुलशन लाल मल्होत्रा, टंकक को जनवरी, 1963 में और परिणामस्वरूप पश्चात्यवर्ती वर्षों में तब तक जब तक उसने नए वेतनमान को नहीं अपना लिया, वार्षिक वेतन वृद्धि देने से इन्कार करना न्यायोचित है ? यदि नहीं, तो उक्त कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है ?

[सं० एल-17012/2/75-डी II/ए]

ORDER

S.O. 2698.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to Messrs New India Assurance Company Limited and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Industrial Tribunal, Delhi, constituted under section 7A of the said Act ;

SCHEDULE

Whether the management of Messrs Mew india Assurance Company Limited, New Delhi is justified in denying increments to Shri Gulshan Lal Malhotra, Typist, in January, 1963 and consequent additional increments in subsequent years till he opted for new scales? If not, to what relief is the said workman entitled?

[No. L-17012/2/75/DII/A]

आदेश

नई दिल्ली, 22 जुलाई, 1975

का० आ० 2699.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में यूनियन बैंक आफ इण्डिया से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ;

और केन्द्रीय सरकार, उक्त विवाद को न्याय निर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है ;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण, दिल्ली को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

अनुसूची

क्या यूनियन बैंक आफ इण्डिया, क्षेत्रीय कार्यालय, मेरठ के प्रबंधतंत्र का श्री सुरेश चन्द्र, अस्थाई भण्डार रक्षक, सहारनपुर को बैंक की स्थाई सेवा में आमेलित न करना न्यायोचित है ? यदि नहीं, उक्त कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है ?

[सं० एल०12012/58/75 डी–2/ए]

ORDER

New Delhi, the 22nd July, 1975

S.O. 2699.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the Union Bank of India and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Industrial tribunal, Delhi, constituted under section 7A of the said Act.

THE SCHEDULE

Whether the management of the Union Bank of India Regional office, Meerut is justified in not absorbing Shri Suresh Chand, temporary Godoawn Keeper, Saharanpur, in the permanent service of the Bank? If not, to what relief is the said workman entitled ?

[No. L-12012/58/75/DII/A]

आदेश

का० आ० 2700.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में भारतीय जीवन बीमा निगम से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है ;

अतः अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम धारा 7 क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण मुम्बई, को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

अनुसूची

क्या भारतीय जीवन बीमा निगम के प्रबंधतन्त्र की मुम्बई के क्षेत्रीय कार्यालय में पी० और जी० विभाग में सहायक श्रीमती एस० राजन का नाम पश्चिम आंचल के लिए उच्च श्रेणी सहायकों के रैंक में न रखने और परिणामस्वरूप उसको उस श्रेणी के प्रोन्नति से वंचित रखने की कार्यवाही न्यायोचित है ? यदि नहीं तो उक्त कर्मकार, किस अनुतोष का हकदार है ?

[सं० एल–17012/4/75–2/सीए]

ORDER

S.O. 2700.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the Life Insurance Corporation of India and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Industrial Tribunal, Bombay, constituted under section 7A of the Act.

THE SCHEDULE

Whether the action of the management of the Life Insurance Corporation of India in not including the name of Shrimati S. Rajan, Assistant, P&G Department in the Bombay Divisional office, in the Ranking List of Higher Grade Assistants for Western Zone and consequently depriving her of her promotion to that grade is justified? If not, to what relief is the said workman entitled?

[No. L-17012/4/75-2CA]

आदेश

का० आ० 2701.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में बैंक आफ मदुरा लिमिटेड से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14 की) धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है, जिसके पीठासीन अधिकारी श्री टी० पालनिअप्पन होंगे, जिनका मुख्यालय मद्रास में होगा और उक्त विवाद को उक्त औद्योगिक अधिकरण को न्याय-निर्णयन के लिए निर्देशित करती है ।

अनुसूची

क्या बैंक आफ मदुराई लिमिटेड के प्रबंधतंत्र का श्री ए० आर० कालायप्पन को बैंक की कोयम्बटूर शाखा के रोकड़िया के रूप में कार्य करने की अनुमति न देना और 16 जनवरी, 1965 से उसे रोकड़िया के भत्ते न देना न्यायोचित है ? यदि नहीं, तो उक्त कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है ?

[सं० एल० 12012/68/75 डी-2/ए]

ORDER

S.O. 2701.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the Bank of Madura, Limited and their workmen in respect of the matter specified in Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by section 7A, and clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri T. Palaniappan shall be the Presiding Officer, with headquarters at Madras and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

SCHEDULE

Whether the management of the Bank of Madurai, Limited is justified in not allowing Shri A. R. Kalayappan, to work as Cashier at the Coimbatore Branch of the Bank and in not paying him Cashier's allowance with effect from the 16th January, 1975 ? If not, to what relief is the said workman entitled?

[No. L. 12012/68/75/DII/A]

आदेश

नई दिल्ली, 23 जुलाई 1975

का० आ० 2702.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में यूनाइटेड कमर्शियल बैंक से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ।

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करना वांछनीय समझती है ।

अतः अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप-धारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण दिल्ली को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करती है ।

अनुसूची

क्या यूनाइटेड कमर्शियल बैंक, दिल्ली जोन, दिल्ली के प्रबन्धतन्त्र का श्री आर०एम० तंवर को 13 दिसम्बर, 1973 से सहायक मुख्य रोकड़िया का पद देने से इन्कार करना न्यायोचित है ? यदि नहीं तो उक्त कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है ?

[सं० एल-12012/24/75-डी-II/ए]

ORDER

New Delhi, the 23rd July, 1975

S.O. 2702.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the United Commercial Bank and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Industrial Tribunal, Delhi, constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

Whether the management of the United Commercial Bank, Delhi Zone, Delhi, is justified in denying the post of Assistant Head Cashier to Shri R. M. Tanwar with effect from the 13th December, 1973? If not, to what relief is the said workmen entitled ?

[No. L-12012/24/75/DII/A]

आदेश

का० आ० 2703.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में भारतीय स्टेट बैंक से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ।

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करना वांछनीय समझती है;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 11) की धारा 7क और धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है, जिसके पीठासीन अधिकारी श्री एच०आर० सोढी, होंगे जिनका मुख्यालय चंण्डीगढ में होगा और उक्त विवाद को उक्त औद्योगिक अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करती है ।

अनुसूची

क्या भारतीय स्टेट बैंक प्रदेश (V), नई दिल्ली के प्रबन्धतंत्र की 17 नवम्बर, 1974 को हुई प्रशिक्षण अधिकारी परीक्षा के लिये श्री जयगोपाल वर्मा लिपिक पर विचार न करने की कार्रवाई न्यायोचित है ? यदि हां तो उक्त कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है ?

[सं० एल-12012/47/75-डी II/ए]

ORDER

S.O. 2703.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the State Bank of India and their workmen in respect of the matter specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 7A and clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri H. R. Sodhi shall be the Presiding Officer with headquarters at Chandigarh and refers the said disputes for adjudication to the said Tribunal.

SCHEDULE

Whether the action of the management of the State Bank of India, Region (V), New Delhi, in not considering Shri Jai Gopal Verma, clerk, for the Training Officers Test held on the 17th November, 1974, is unjustified? If so, to what relief is the said workman entitled ?

[No. L. 12012/47/75/DII/A]

आदेश

का० आ० 2704.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में पंजाब नेशनल बैंक से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ।

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करना वांछनीय समझती है;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7क और धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है, जिसके पीठासीन अधिकारी श्री उपदेश नारायण माथुर होंगे जिनका मुख्यालय जयपुर में होगा और उक्त विवाद को उक्त औद्योगिक अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करती है ।

अनुसूची

क्या पंजाब नेशनल बैंक द्वारा श्री एन०के० सोनी लिपिक एवं गोदाम रक्षक को 18 जुलाई, 1968 से परिवीक्षाधीन के रूप में नियुक्त करना न्यायोचित है ? यदि नहीं तो उक्त कर्मकार, 2 दिसम्बर, 1966 से उक्त बैंक में इसकी सेवाओं को ध्यान में रखते हुए, किस अनुतोष का हकदार है ?

[सं० एल-12012/27/73-एल०आर० III]

ORDER

S.O. 2704.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the Punjab National Bank and their workmen in respect of the matter specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7A, and clause (d) of sub-section 10, of the Industrial Disputes Act 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes on Industrial Tribunal of which Shri Updesh Narain Mathur shall be the Presiding Officer, with headquarters at Jaipur and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

SCHEDULE

Whether the appointment of Shri N. K. Soni, clerk cum Godown Keeper as Probationer, with effect from the 18th July, 1968 by the Punjab National Bank is justified? If not, to what relief is the said workman entitled, keeping in view his services with the said Bank from the 2nd December, 1966?

[No. L. 12012/27/73/LRIII]

आदेश

का० आ० 2705.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में सेंट्रल बैंक आफ इंडिया से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करना वांछनीय समझती है ;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण दिल्ली को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करती है;

अनुसूची

क्या सेंट्रल बैंक आफ इंडिया के प्रबन्धतन्त्र की, उक्त बैंक की बंगाली मार्केट शाखा में मुख्य रोकड़िया श्री प्रेमचन्द्र जैन को 7 अक्तूबर 1973 से सेवा निवृत्त करने की कार्रवाई न्यायोचित है और यदि नहीं तो उक्त कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है ?

[सं० एल-12012/118/74-एल०आर० III]

ORDER

S.O. 2705.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the Central Bank of India and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Industrial Tribunal, Delhi, constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

Whether the action of the management of the Central Bank of India in retiring Shri Prem Chand Jain, Chief Cashier in the Bengali Market Branch of the said Bank with effect from the 7th October, 1973, is justified and if not to what relief is the said workman entitled?

[No. L. 12012/118/74/LRIII]

आदेश

नई दिल्ली, 24 जुलाई, 1975

का० आ० 2706.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में पंजाब नेशनल बैंक से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है ;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7क और धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है, जिसके पीठासीन अधिकारी श्री एच० आर० सेठी होंगे जिनका मुख्यालय चण्डीगढ़ में होगा और उक्त विवाद को उक्त औद्योगिक अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

अनुसूची

क्या पंजाब नेशनल बैंक, चण्डीगढ़ प्रदेश, चण्डीगढ़ के प्रबंधतन्त्र का, श्री आई० एस० कपूर को 1958 से 1974 तक लेखापाल के रूप में कार्य करने के लिए स्थानापन्न भत्ता देने से इन्कार करना न्यायोचित है ? यदि नहीं तो उक्त कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है ?

[सं० एल-12012/70/75-डी/II/ए]

ORDER

New Delhi, the 24th July, 1975

S.O. 2706.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the Punjab National Bank and their workmen in respect of the matter specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7A, and clause (d) of sub-section (1) of section 10, of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the

Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri H. R. Sodhi shall be the Presiding Officer, with headquarters at Chandigarh and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

SCHEDULE

Whether the management of the Punjab National Bank, Chandigarh Region, Chandigarh, is justified in denying officiating allowance to Shri I. S. Kapoor, for having worked as Accountant from 1958 to 1974? If not, to what relief is the said workman entitled?

[No. L. 12012/70/75/DII/A]

आदेश

का० आ० 2707.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में भारतीय स्टेट बैंक से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है ;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7क और धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है, जिसके पीठासीन अधिकारी श्री एच० आर० सोढी होंगे जिनका मुख्यालय चण्डीगढ़ में होगा और उक्त विवाद को उक्त औद्योगिक अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

अनुसूची

क्या भारतीय स्टेट बैंक, क्षेत्र (V) पार्लयामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली के प्रबंधतंत्र की नई अनाज मण्डी, जालंधर शाखा के अस्थायी रक्षक श्री शक्ति सिंह की सेवाएं 25 फरवरी, 1975 से समाप्त करने की कार्रवाई न्यायोचित है ? यदि नहीं तो उक्त कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है ?

[सं० एल-12012/44/75-डी-II/ए]

ORDER

S.O. 2707.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the State Bank of India and their workmen in respect of the matter specified in the Scheduled hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7A, and clause (d) of sub-section (1) of section 10, of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri H. R. Sodhi shall be the Presiding Officer, with headquarter at Chandigarh and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

SCHEDULE

Whether the action of the management of the State Bank of India, Region (V) Parliament Street, New Delhi, in terminating the services of Shri Shakti Singh Temporary Guard at New Grain Market, Jullunder Branch with effect from the 25th February, 1975, is legal and justified? If not, to what relief is the said workman entitled?

[No. L. 12012/44/75/DII/A]

आदेश

का० आ० 2708.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में यूनियन बैंक आफ इण्डिया से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्याय निर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है ;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1447 का 14) की धारा 7क और धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है, जिसके पीठासीन अधिकारी श्री एच० आर० सोढी होंगे जिनका मुख्यालय चण्डीगढ़ में होगा और उक्त विवाद को उक्त औद्योगिक अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

अनुसूची

क्या यूनियन बैंक आफ इण्डिया, नई दिल्ली के प्रशासन को श्री सुखदेव कुमार, चपरासी की सेवाएं 3 सितम्बर, 1974 से समाप्त करने की कार्रवाई न्यायोचित है ? यदि नहीं तो उक्त कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है ?

[सं० एल-12012/67/75-डी II/ए]

ORDER

S.O. 2708.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the Union Bank of India and their workmen in respect of the matter specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7A, and clause (d) of sub-section (1) of section 10, of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri H. R. Sodhi shall be the Presiding Officer, with headquarter at Chandigarh and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

SCHEDULE

Whether the action of the management of the Union Bank of India, New Delhi in terminating the services of Shri Sukhdev Kumar, Peon, with effect from the 3rd September, 1974, is justified? If not, to what relief is the said workman entitled?

[No. 12012/67/75/DII/A]

आदेश

नई दिल्ली, 25 जुलाई, 1975

का० आ० 2709.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में भारतीय स्टेट बैंक से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा

7क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण, दिल्ली को स्वानिर्णयन के लिए निर्देशित करती है ।

अनुसूची

क्या भारतीय स्टेट बैंक (प्रदेश 1), नई दिल्ली के प्रबंधतंत्र के लिए अपने निम्नलिखित कर्मकारों की सेवाएं, उनमें से प्रत्येक के सामने दर्शित तारीख से, समाप्त कर देना न्यायोचित है ? यदि नहीं, तो ये कर्मकार किस अनुतोष के हकदार हैं ?

क्रम संख्या	नाम	सेवा समाप्ति की तारीख
1.	श्री महेन्द्र नाथ पाण्डे	5-8-74
2.	श्री अभय वीर	5-8-74
3.	श्री निरंजन पाल सिंह	5-8-74
4.	श्री वी० के० मेहरोत्रा	5-8-74
5.	श्री बी० के० गिरधर	5-8-74
6.	श्री एन० के० सिंह	5-8-74
7.	श्री आर० डी० पाण्डे	5-8-74
8.	श्री राकेश गुप्ता	5-8-74
9.	श्री वी० के० श्रीवास्तव	5-8-74
10.	श्री बी० बी० ठुकराल	5-8-74
11.	श्री एम० एम० एल० अग्रवाल	5-8-74
12.	श्री वी० के० गिरधर	5-8-74
13.	श्री एस० डी० चतुर्वेदी	5-8-74
14.	श्री राकेश कुमार कुलश्रेष्ठ	30-9-74

[संख्या एल० 12012/142/74/एल० आर० III]

आर० कुंजीपापादम, अवर सचिव

ORDER

New Delhi, the 25th July, 1975

S. O. 2709.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employer in relation to the State Bank of India and thir workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas, the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Industrial Tribunal, Delhi constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

Is the management of the State Bank of India (Region VI) New Delhi is justified in terminating the services of their following workmen with effect from the dates shown against each? If not to what relief are these workmen entitled ?

S. No.	Name	Date of termination
1.	Sh Mahendra Nath Pande	5-8-74
2.	Sh. Abhey Beer	5-8-74
3.	Sh. Niranjan Pal Singh	5-8-74
4.	Sh. V.K. Mehrotra	5-8-74
5.	Sh. B.K. Girdhar	5-8-74
6.	Sh. N. K. Singh	5-8-74
7.	Sh. R.D. Pandya	5-8-74
8.	Sh. Rakesh Gupta	5-8-74
9.	Sh. V.K. Srivastava	5-8-74
10.	Sh. B.B. Thukral	5-8-74
11.	Sh. M.M. L. Aggarwal	5-8-74
12.	Sh. V.K. Girdhar	5-8-74
13.	Sh. S.D. Chaturvedi	5-8-74
14.	Sh. Rakesh Kumar Kulshreshtha	30-9-74

[No. L. 12012/142/74/LR III]

New Delhi, the 5th August, 1975

S.O. 2710.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following Award of the Central Government Industrial Tribunal, Bombay in respect of a complaint under section 33A of the said Act filed by Shri Nandlal Kanhaiyalal Dixit ex-employee of the Central Bank of India which was received by Central Government on 2nd August, 1975.

[No. L. 12025/1/75/DII/A]

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL AT BOMBAY

Complaint No. CGIT-5 of 1972

Arising out of Ref. No. CGIT-9 of 1971

PARTIES :

Shri Nandlal Kanhaiyalal Dixit ...Complainant.

V/s

1. The Agent,
   Central Bank of India, Malkapur.
2. The Divisional Manager,
   Central Bank of India, Nagpur-1. ...Respondents.
3. The Custodian,
   Central Bank of India,
   Bombay-1.

PRESENT :

Shri B. Ramlal Kishen, LL.M., Bar-at-Law, Presiding Officer.

APPEARANCES :

For the Complainant—Shri S. P. Chaudhari, President

Shri A. M. Puranik, Vice-President, Viderbha Bank employees Federation, Nagpur-2.

For the Respondents—Shri G. R. Sheikh, Asstt. Law Officer.

INDUSTRY : Banking. STATE : Maharashtra.

AWARD

Bombay, dated the 7th July, 1975.

This is an application under section 33A of the I.D. Act, 1947 by the complainant alleging that the respondents have been guilty of a contravention of the provisions of Section 33 of the I.D. Act as his services were terminated during the pendency of Ref. No. CGIT-9 of 1971. According to the complainant he was appointed as a clerk on 1-6-1970 at Malkapur Branch of the Bank and he continued to work in the Bank till he was finally terminated on

1-2-1972, after a period of 18 months service with intermittent breaks in a permanent post. He also says that the Bank in order to circumvent the provisions of Bank Awards and Bipartite Settlement issued appointment orders from time to time to show intermittent breaks in his service. The termination effected by the respondents is illegal and is liable to be set aside in the interest of justice, as he is deemed to have been confirmed in the service of the Bank after a period of six months service in a permanent vacancy i.e. with effect from 1-6-1970, and after he was made to appear for a test.

2. The respondents raised preliminary objections that the complaint is not maintainable in law because the respondents had not contravened any provisions of Section 33 of the I.D. Act as alleged by the complainant, that the present complaint is in no way connected with the dispute referred to for adjudication to this Tribunal which is marked as Ref. No. CGIT-9 of 1971 and that the service of the complainant was terminated under contracts from time to time. The termination of employment of Shri Dixit was not an alteration in the conditions of service or for any misconduct and as such no breach of clause 1(b) or 2(b) of Section 33 of the I.D. Act has been committed by the respondents. The complaint is misconceived and is not maintainable in law and be dismissed in limine.

3. Without prejudice to the above preliminary objections the respondents submit that the complainant was appointed to work as clerk-cum-godown-keeper on month to month extension basis and he continued to work as such till 31-1-1972 on temporary basis and he was not appointed against the permanent vacancy. The Bank's action in terminating the complainant's service was bona fide. The respondents further submit that the complainant did not qualify for permanent appointment in the Bank in terms of its recruitment policy.

4. The representative of the complainant submits that the complainant wishes to withdraw the complaint. As the complainant does not wish to press the complaint, the same is dismissed for non-prosecution. Award is made accordingly. No order as to costs.

B. RAMLAL KISHEN, Presiding Officer

[No. L-12025/1/75/DII/A]

S.O. 2711.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following Award of the Central Government Industrial Tribunal, Bombay in respect of a complaint under section 33A of the said Act filed by Shri Ashok Atmaram Dharmale ex-employee of the Central Bank of India which was received by Central Government on the 2nd August, 1975.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL, BOMBAY

Complainant No. CGIT-2 of 1972 arising out Ref. No. CGIT-9 of 1971

PARTIES :

Shri Ashok Atmaram Dharmale ...Complainant.

V/s

1. The Agent, Central Bank of India, Amravati.
2. The Chairman, Central Bank of India, Bombay. ...Respondents.

APPEARANCES :

For the Complainant—Shri S. P. Chaudhari, President. Shri A. M. Puranik, Vice-President, Vidharbha Bank Employees Federation, Nagpur-2.

For the Respondents—Shri G. R. Shaikh, Asstt. Law Officer.

INDUSTRY : Banking. STATE : Maharashtra.

Bombay, dated the 7th July, 1975.

AWARD

This complaint has been filed under section 33A of the I.D. Act, 1947 by the complainant alleging that the order of termination served by the respondents on 25-5-1972 is illegal and liable to be set aside as the termination took place during the pendency of Ref. No. CGIT-9 of 1971. According to the complainant he was appointed in the Bank at its Amravati Branch as clerk on 14-6-1971 in a permanent post and in a clear vacancy but his services were terminated on 26-5-1972 after a period of 11 months service. The Bank in order to circumvent the provisions of Bank Awards and Bipartite Settlement issued appointment orders from time to time and showed breaks twice. Even after the written test held on 3-10-1971, he was not issued orders of confirmation in order to pursue unfair labour practice and with a mal-motive to harass and victimize him and further to deprive him of all the benefits of confirmation available to the employees of the Bank. The Bank, however, illegally terminated the services of the complainant on 26-5-1972 during the pendency of the proceedings before this Tribunal, discarding all principles of natural justice. The complainant claims that he is entitled to reinstatement as a confirmed workman with full wages for the period of forced unemployment.

2. The respondents raised preliminary objections on the following grounds :—

(i) The complaint is not maintainable in law because the respondents had not contravened any provisions of section 33 of the Industrial Disputes Act as alleged by the complainant or otherwise.

(ii) The complainant is in no way connected with the dispute referred to for adjudication to this Tribunal, which is marked as Ref. CGIT-9 of 1971.

(iii) The Bank has not altered the conditions of service applicable to the complaint. The services of the complainant were terminated under the contact and in accordance with the existing service. The termination of employment of Shri Dharamale is not an alternation in the conditions of service and therefore does not constitute breach of either clause 1(a) or 2(d) of Section 33 of the I.D. Act. The complaint be dismissed, in limine.

3. Without prejudice to the above preliminary objections the respondents submit that the complainant was not appointed in a permanent post or against a clear vacancy and he worked with the Bank from 14-6-1971 till 26-5-1972 with intermittant breaks. The respondents deny that the order of 25-5-1972 as alleged or otherwise was illegal or that earlier orders of termination dated 16-10-1971 and 11-1-1972 are also as alleged or otherwise were illegal and contravened the provisions of the Bank Awards and Bi-partite Settlement. The complainant appeared for written test and failed and as such he was not considered suitable for permanent employment in the Bank. There was no bona fide attached to the Bank's action in terminating the complainant's services. The complaint be dismissed.

4. The representative of the complainant submits that the complainant wishes to withdraw the complaint. As the complainant does not wish to go with the matter, I have no other alternative but to dismiss the complaint for non-prosecution Award is made accordingly. No order as to costs.

B. RAMLAL KISHEN, Presiding Officer
[No. L-12025/1/75/DII/A]

S.O. 2712.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following Award of the Central Government Industrial Tribunal, Bombay in respect of a complaint under Section 33A of the said Act filed by Shri

Mukund Shrikrishna Pawade ex-employee of the Central Bank of India which was received by Central Government on 2nd August, 1975.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL AT BOMBAY

Complaint No. CGIT-4 of 1972 Arising out Ref. No. CGIT-9 of 1971

PARTIES :

Shri Mukund Shrikrishna Pawade — Complainant

Versus

1. The Custodian,
Central Bank of India, Bombay-1.

2. The Chief Agent,
Central Bank of India, Nagpur-1.

3. The Agent,
Central Bank of India,
Amravati. — Respondents.

APPEARANCES :

For the complainants—Shri S. P. Chaudhari, President, Shri A. M. Puranik, Vice-President, Viderbha Bank Employees Federation, Nagpur-2.

For the respondents—Shri G. R. Sheikh, Asstt. Law Officer.

INDUSTRY : Banking. STATE : Maharashtra.

Bombay, dated the 7th July, 1975

AWARD

This complaint has been filed under Section 33A of the I.D. Act, 1947 alleging that the respondents have been guilty of a contravention of the provisions of Section 33 of the I.D. Act by terminating the services of the complainant during the pendency of Ref. No. CGIT-9 of 1971. According to the complainant he was appointed in the Bank at its Amravati Branch on 16-3-1970 as a clerk against a permanent and clear vacancy, but his services were finally terminated on 3-12-1971 after a continuous service of about 19 months with intermittent breaks, in violation of the provisions of Bank Awards and Bipartite Settlement. As per the provisions of Sastri Award and Desai Award and Bipartite Settlement the complainant is deemed to have been confirmed in the services of the Bank with effect from 16-9-1970 after completion of six months continuous service in the bank in a permanent post. The order of termination served without notice or without payment of notice pay is illegal and in contravention of provisions of I.D. Act, 1947 and provisions of Bank Awards and Bipartite Settlement. The complainant submits that the action of the respondents is grossly unjust and illegal and is an act of unfair labour practice and the complainant is entitled to reinstatement as a confirmed workman with full compensation for the period of forced unemployment.

2. The respondents challenged the complaint on the following grounds that :—

(i) The complaint is not maintainable in law because the respondents had not contravened any provisions of Section 33 of the I.D. Act as alleged by the complainant.

(ii) The present complainant is in no way connected with the dispute referred to for adjudication to this Tribunal, which is marked as Ref. No. CGIT-9 of 1971.

(iii) The termination of service of the complainant was done in accordance with the existing service conditions. The termination of employment of Shri Pawade is not an alteration in the conditions of service and therefore does not constitute breach of either clause 1 (a) or 2 (a) of Section 33 of the I.D Act. The termination of service of the complainant was not for any misconduct as such no breach of clause 1(b) or 2(b) of Section 33 of the I.D. Act has been committed by the respondents.

(iv) The complaint is misconceived and is not maintainable in law and this Tribunal would have no jurisdiction to entertain this complaint. The complaint be dismissed, in limine.

(v) The complainant was not appointed in a permanent post or against a clear vacancy. It is denied that the complainant is deemed to have been confirmed in the Bank's service with effect from 16-9-1970, in fact the complainant was never taken on probation. It is denied that the order of termination served on the complainant was illegal and therefore, liable to be set aside.

3. The representative of the complainant submits that the complainant wishes to withdraw the complaint. In view of this submission the complaint is dismissed for non-prosecution. Award is made accordingly. No. order as to costs.

B. RAMLAL KISHEN, Presiding Officer

[No. L. 12025/1/75/DII/A]

S.O. 2713.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following Award of the Central Government Industrial Tribunal, Bombay in respect of a complaint under section 33A of the said Act filed by Shri P. H. Lotia ex-employee of the Reserve Bank of India which was received by Central Government on the 2nd August 1975.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL AT BOMBAY

Complaint No. CGIT-1 of 1972 arising out of Ref. No. CGIT-9 of 1971

PARTIES :

Shri P. H. Lotia — Complainant.

Versus

1. The Agent,
Central Bank of India,
Amravati. — Respondents.

2. The Custodian,
Central Bank of India,
Fort, Bombay-1.

APPEARANCES :

For the complainant—Shri S. P. Chaudhari, President, Shri A. M. Puranik, Vice President, Vidharbha Bank Employees Federation, Nagpur-2.

For the respondents—Shri G. R. Shaikh, Asstt. Law Officer.

INDUSTY : Banking. STATE : Maharashtra.

Bombay, dated 7th July, 1975.

AWARD

This is a complaint under section 33A of the Industrial Disputes Act, 1947 by Shri P H. Lotia alleging that the respondents terminated his service on 26-5-1972 during the pendency of Reference No. CGIT-9 of 1971.

2. According to the complainant :—

(i) He was appointed in the respondents' Bank at its Amravati Branch as a clerk on 13-3-1970. He continued to work in the said branch till he was finally terminated on 26-5-1972. He was appointed in a permanent post and in a clear vacancy, and as per provisions of Sastry Award and Desai Award he is deemed to have been confirmed in the services of the Bank with effect from 13-9-1970 after the completion of six months continuous service. His termination giving 14 days notice pay is therefore illegal and in contravention of the provisions of I.D. Act, 1947 and provisions of Bank Awards and Bi-Partite Settlement. He protested against this illegal order of termination served by the Bank during the pendency of the proceedings before this Tribunal in respect of matters connected with the dispute.

(ii) The action of the respondent is grossly unjust and illegal and is an act of unfair labour practice and the complainant is entitled to be reinstated as a confirmed workman with full compensation for the period of forced unemployment. The Tribunal be pleased to decide the complaint and pass such order or orders as it may deem fit and proper.

3. The respondents challenged the complaint on the following grounds :—

(i) The complaint is not maintainable in law because the respondent had not contravened any provisions of Section 33 of the Industrial Disputes Act, as alleged by the complainant. The present complaint is in no way connected with the dispute referred to for adjudication to this Tribunal bearing Ref. No. CGIT-9 of 1971.

(ii) The services of the complainant were terminated under the contract and no condition of service applicable to the complainant was altered. The termination of employment of Shri Lotia is not an alteration in the conditions of service and therefore does not constitute breach of either clause 1(a) or 2(a) of Section 33 of the I.D. Act. Therefore, no complaint as such is maintainable.

4. Without prejudice to the above preliminary objections, the respondents say that the service of Shri Lotia with the Bank was not a continuous one and his appointments were temporary for a month's duration in terms of letter of appointment, and the complainant did not qualify for appointment in Bank. It is denied by the respondents that the termination of the service of the complainant was illegal and therefore such an order is liable to be set aside.

5. The representative of the complainant submitted that the complainant wishes to withdraw the complaint. The complaint of the complainant is therefore dismissed for non-prosecution. Award is made accordingly. I make no order as to costs.

B. RAMLAL KISHEN, Presiding Officer.
[No. L. 12025/1/75/D II/A]
R. KUNJITHAPADAM, Under Secy.

आदेश

नई दिल्ली 11 जुलाई, 1975

का० आ० 2714.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में मैसर्स कोल माइन्स अथारिटी लिमिटेड की पूरे लेवाडिह कोलियरी, डाकघर निसाचट्टी, जिला धनबाद के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ।

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है;

अतः अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप-धारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, संख्या 2, धनबाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है ।

अनुसूची

क्या मैसर्स कोल माइन्स अथारिटी लिमिटेड की पूरे लेकडिह कोलियरी डाकघर निसाचट्टी, जिला धनबाद के प्रबन्धतंत्र की, सर्वश्री एतवारी सिंह, धानू भुईया, निर्वय सिंह और अबोध राम को समय दर के कर्मकारों का काम न देने की कार्रवाई न्यायोचित है ? यदि नहीं, तो सम्बन्धित कर्मकार किस अनुतोष के और किस तारीख से हकदार है ?

[संख्या एल-20012/150/74-एल० आर-2/डी 2 ए]

ORDER

New Delhi, the 11th July, 1975

S.O. 2714.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Pure Laikdih Colliery of Messrs Coal Mines Authority Limited, Post Office Nirsachatti, District Dhanbad, and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal, No. 2, Dhanbad, constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

Whether the action of the management of Pure Laikdih Colliery of Messrs Coal Mines Authority Limited, Post Office Nirsachatti, District Dhanbad, in not providing the job of time rated workmen to Sarva Shri Etwari Singh, Dhan Bhuia, Nirvoy Singh and Abodh Ram is justified ? If not, to what relief are the concerned workmen entitled and from what date ?

[No. L-20012/150/74/LRII/DIIA]

आदेश

नई दिल्ली, 16 जुलाई, 1975

का० आ० 2715.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में मैसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की दक्षिण गोविन्दपुर कोलियरी, डाकघर मोनारडीह, जिला धनबाद के प्रबन्धतंत्र से संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है ;

अतः अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप-धारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों

का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण सं० 2, धनबाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है ।

अनुसूची

क्या मैसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की दक्षिण गोविन्दपुर कोलियरी, डाकघर सोनारडिह, जिला धनबाद के प्रबन्धतंत्र की, श्री पाल्टन देशवाली, उपस्थिति लिपिक को 14 सितम्बर, 1974 से पदच्युत करने की कार्यवाही न्यायोचित है ? यदि नहीं, तो उक्त कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है ?

[संख्या एल-20012/16/75-डी-3-ए]

ORDER

New Delhi, the 16th July, 1975

S.O. 2715.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of South Govindpur Colliery of Messrs Bharat Coking Coal Limited, Post Office Sonardih, District Dhanbad, and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed ;

And whereas, the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal No. 2, Dhanbad, constituted under section7-A of the said Act.

SCHEDULE

Whether the action of the management of South Govindpur Colliery of Messrs Bharat Coking Coal Limited, Post Office Sonardih, District Dhanbad, in dismissing Shri Paltan Deshwali, Attendance Clerk, with effect from 14th September, 1974 is justified ? If not, to what relief is the said workman entitled ?

[No. L-20012/16/75/D. IIIA]

आदेश

नई दिल्ली, 18 जुलाई, 1975

का० आ० 2716—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में मैसर्स भारत कोकिंग कोल लि० की निचितपुर कोलियरी, डाकघर बांसजोरा, जिला धनबाद के प्रबन्धतंत्र से संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है ;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप-धारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण संख्या 2, धनबाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है ।

अनुसूची

क्या मैसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की निचितपुर कोलियरी, डाकघर बांसजोरा, जिला धनबाद के प्रबन्धतंत्र की, सर्वश्री भीम बहादुर और भुनेश्वर यादव, रात्रि चौकीदारों को, 3 सितम्बर, 1974 से पदच्युत करने की कार्यवाही न्यायोचित है ? यदि नहीं, तो सम्बन्धित कर्मकार किस अनुतोष के हकदार हैं ?

[संख्या एल-20012/47/75-डी-3-ए]

ORDER

New Delhi, the 18th July, 1975

S.O. 2716.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Nichitpur Colliery of Messrs Bharat Coking Coal Limited, Post Office Bansjora, District Dhanbad and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas, the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal No. 2, Dhanbad, constituted under section 7-A of the said Act.

SCHEDULE

Whether the action of the management of Nichitpur Colliery of Messrs Bharat Coking Coal Limited, Post Office Bansjora, District Dhanbad, in dismissing Sarvashri Bhim Bahadur and Bhuneshwar Yadav, Night Guards, with effect from the 3rd September, 1974 is justified ? If not, to what relief are the workmen concerned entitled ?

[No. L-20012/47/75-D III-A]

आदेश

का० आ० 2717—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में मैसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की बलिहारी कोलियरी, डाकघर कुसुंडा, जिला धनबाद, के प्रबन्धतंत्र से संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है ;

अतः अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप-धारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण संख्या 2, धनबाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है ।

अनुसूची

क्या मैसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की बलिहारी कोलियरी, डाकघर कुसुंडा, जिला धनबाद के प्रबन्धतंत्र की, श्री सरजू विश्वकर्मा, वेल्डर को 20 दिसम्बर, 1974 से पदच्युत करने की कार्यवाही न्यायोचित है ? यदि नहीं, तो उक्त कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है ?

[संख्या एल-20012/77/75-डी०-3-ए]

एल० के० नारायणन, अनुभाग अधिकारी (विशेष)

ORDER

S.O. 2717.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Balihari Colliery of Messrs Bharat Coking Coal Limited, Post Office Kusunda, District Dhanbad, and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal No. 2, Dhanbad, constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

Whether the action of the management of Balihari Colliery of Messrs Bharat Coking Coal Limited, Post Office Kusunda, District Dhanbad, in dismissing Shri Sarjoo Vishwakarma, Welder, with effect from 20th December, 1974 is justified? If not, to what relief is the said workman entitled?

[No. L-20012/77/75/D. IIIA]

L. K. NARAYANAN, Section Officer (Spl.)

आदेश

नई दिल्ली, 9 जुलाई, 1975

का० आ० 2718.—इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट औद्योगिक विवाद केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण (संख्या 2), धनबाद के समक्ष लम्बित है;

और केन्द्रीय सरकार, पक्षकारों के लिये असुविधा हटाने के लिये, उक्त विवाद से संबंधित कार्यवाहियों को वापस लेना और उन्हें किसी अन्य अधिकरण को अन्तरित करना वांछनीय समझती है;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7क और धारा 33ख के उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री लक्ष्मीधर मल्लिक होंगे, जिनका मुख्यालय भुवनेश्वर में होगा और केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण (संख्या 2), धनबाद से उक्त विवाद से संबंधित कार्यवाहियां वापस लेती है और उक्त कार्यवाहियों के निपटाने के लिये उक्त अधिकरण को इस निदेश के साथ अन्तरित करती है कि उक्त अधिकरण उस प्रक्रम से आगे कार्यवाही करेगा जिस पर ये उसे अन्तरित की जाती हैं और विधि के अनुसार उनका निपटान करेगा।

अनुसूची

क्रम सं०	विवाद के पक्षकार	औद्योगिक विवाद की निर्देश संख्या और तारीख
1.	मैसर्स टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड के पेलिटाइजिंग प्लांट का प्रबन्धतंत्र और उनका कर्मकार श्री बी० के० मिश्र	संख्या एल-29012/22/74-एल० आर० 4/डी-4(बी), तारीख 21-2-1975 (का० आ० 891)

[संख्या एल-29012/22/74-एलआर-4/डी-4(बी)]

ORDER

New Delhi, the 9th July, 1975

S.O. 2718.—Whereas the industrial dispute specified in the Schedule hereto annexed is pending before the Central Government Industrial Tribunal (No. 2), Dhanbad;

And, Whereas the Central Government considers it desirable, in order to avoid inconvenience to the parties, to withdraw the proceedings in relation to the said dispute and transfer the same to another Tribunal;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7A, and sub-section (1) of section 33B of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri Luxmidhar Mullick shall be the Presiding Officer, with headquarters at Bhubaneshwar and withdraws the proceedings in relation to the said dispute from the Central Government Industrial Tribunal (No. 2), Dhanbad and transfers the same to the said Tribunal for the disposal of the said proceedings with the direction that the said Tribunal shall proceed with the proceedings from the stage at which it is transferred to it and dispose of the same according to law.

SCHEDULE

Sl. No.	Parties to the dispute	Reference No. and date of industrial dispute
1	2	3
1.	Management of Pelletizing Plant of Messrs Tata Iron and Steel Company Limited and their workman Shri B.K. Mishra.	No. L-29012/22/74-LR-IV/D-IV(B) dated 21-2-1975 (S.O. 891).

[No. L-29012/22/74-LR-IV/D-IV (B)]

आदेश

नई दिल्ली, 21 जुलाई, 1975

का० आ० 2719—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इस से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषय के बारे में नेशनल मिनिरल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, डोनिमले लोहे अयस्क प्रायोजन, डोनिमले टाउनशिप, सेंडूर, जिला बेल्लारी के प्रबन्धतन्त्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिये निदेशित करना वांछनीय समझती है;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7क और धारा 10 की उप-धारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री टी० नरसिंह राव होंगे। जिनका मुख्यालय हैदराबाद में होगा और उक्त विवाद को उक्त अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करती है।

अनुसूची

क्या नेशनल मिनिरल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, डोनिमल अयस्क प्रायोजना, डोनिमल टाउनशिप, सेंडूर, जिला बेल्लारी के प्रबन्धतंत्र की, केन्द्रीय डिजाइन कार्यालयों के कर्मचारिवृन्द के बारे में तारीख 4-9-1973 के पारस्परिक समझौते के विपरीत, कार्य घंटों में परिवर्तन करने की कार्रवाई न्यायोचित है? यदि नहीं, तो सम्बन्धित कर्मकार किन लाभों के हकदार हैं?

[संख्या एल-26011/10/75-डी-4 (बी)]

भूपेन्द्र नाथ, अनुभाग अधिकारी (विशे०)

ORDER

New Delhi, the 21st July, 1975

S.O. 2719.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of National Mineral Development Corporation Limited, Donimalai Iron Ore Project, Donimalai Township, Sandur, Bellary District and their workmen in respect of the matter specified in the Schedule hereto annexed ;

And, whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7A, and clause (d) of sub-section (1) of section 10, of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri T. Narasinga Rao shall be the Presiding Officer, with headquarters at Hyderabad and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

SCHEDULE

Whether the action of the management of National Mineral Development Corporation Limited, Donimalai Iron Ore Project, Donimalai Township, Sandur, Bellary District, in effecting a change in working hours contrary to the mutual settlement dated 4-9-1973 in respect of the Central Design Offices Staff is justified ? If not, to what benefits are the workmen concerned entitled ?

[No. L-26011/10/75-D-IV (B)]

BHUPENDRA NATH, Section Officer (Spl.)

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 1975

का० आ० 2720—लौह अयस्क खान श्रम कल्याण उपकर नियम, 1963 के नियम 3 के साथ पठित, लौह अयस्क खान श्रम कल्याण उपकर अधिनियम, 1961 (1961 का 58) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के भूतपूर्व श्रम रोजगार और पुनर्वास मन्त्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) की अधिसूचना संख्या का० आ० 4161, तारीख 14 नवम्बर, 1968 को अधिक्रान्त करते हुए, केन्द्रीय सरकार कर्नाटक राज्य के लिए एक सलाहकार समिति गठित करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात :—

1. श्रम मन्त्री, कर्नाटक राज्य, बंगलौर	अध्यक्ष
2. श्रम-आयुक्त, कर्नाटक सरकार और लौह अयस्क खान कल्याण आयुक्त, बंगलौर	उपाध्यक्ष
3. श्री बी० वी० रामैया, विधान सभा सदस्य, शिरागुप्पा	कर्नाटक राज्य विधान सभा सदस्य
4. अध्यक्ष, आयरन ओर सप्लायर्स एसोसिएशन, बेल्लरी	कर्नाटक के लौह अयस्क खान स्वामियों के प्रतिनिधि
5. प्रबन्ध निदेशक और उपाध्यक्ष, मैसूर आयरन और स्टील वर्कस लिमिटेड भद्रावती।	
6. श्री शिद्दोजी राव, मैसूर आयरन एण्ड स्टील वर्कर्स एम्प्लाईज एसोसिएशन, भद्रावती (कर्नाटक)	कर्नाटक के लौह अयस्क खान कर्मकारों के प्रतिनिधि
7. श्री गुडू साहिब, द्वारा : तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्टस एम्प्लाईज यूनियन, हास्पेट, बेल्लरी (कर्नाटक)	
8. श्रीमती टी० दुर्गादेवी, सदस्य, बेल्लरी जिला कांग्रेस कमेटी, हास्पेट (बेल्लरी जिला)	महिला प्रतिनिधि
9. कल्याण प्रशासन, लौह अयस्क खान श्रम कल्याण निधि कर्नाटक	सचिव

2. लौह अयस्क खान श्रम कल्याण उपकर नियम, 1963 के नियम 18 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार बंगलौर को उक्त सलाहकार समिति का मुख्यालय नियत करती है ।

[फा० सं० यू० 19012/7/71-एम 4]

बी० के० सक्सेना, उप-सचिव

New Delhi, the 31st July, 1975

S.O. 2720.—In exercise of the powers conferred by section 4 of the Iron Ore Mines Labour Welfare Cess Act, 1961 (58 of 1961), read with rule 3 of the Iron Ore Mines Labour Welfare Cess Rules, 1963, and in supersession of the notification of the Government of India in the late Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) number S.O. 1461, dated the 14th November, 1968, the Central Government hereby/constitutes and Advisory Committee for the State of Karnataka with the following as members, namely :—

1. Labour Minister, State of Karnataka, Bangalore.	Chairman
2. Labour Commissioner, Government of Karnataka and Iron Ore Mines Welfare Commissioner, Bangalore.	Vice-Chairman
3. Shir D.V. Ramiah, M.L.A., Shiraguppa	Member of the Legislative Assembly of the State of Karnataka.
4. President, Iron Ore Suppliers Association, Bellary.	Representatives of the Iron Ore Mines Owners of Karnataka.
5. Managing Director and Vice-Chairman, Mysore Iron and Steel Works Limited, Bhadrawati	
6. Shri Shiddoji Rao, Mysore Iron and Steel Workers Employees Association, Bhadrawati (Karnataka).	Representatives of Iron Ore Mines Workers of Karnataka.
7. Shri Gudu Sahib, C/o Thungabhadra Steel Products Employees Union, Hospet, Bellary (Karnataka).	
8. Shrimati T. Durgadevi, Member, Bellary District Congress Committee, Hospet, (Bellary District).	Woman representative
9. The Welfare Administrator, Iron Ore Mines Labour Welfare Fund, Karnataka.	Secretary

2. In pursuance of rule 18 of the Iron Ore Mines Labour Welfare Cess Rules, 1963, the Central Government hereby fixes Bangalore to be the head quarters of the said Advisory Committee.

[F. No. U. 19012/7/71-MIV]

B.K. SAKSENA, Dy Secy

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110027
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110006, 1975